निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 27 **पटना, बुधवार, 15 आषाढ़ 1944 (श0) / 6 जुलाई 2022 (ई0)**

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1– नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और व्यक्तिगत सूचनाएं।	अन्य **2-49**
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**50-51**
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
4 अप्रील 2022

सं0 22 / नि0सि0(वीर0)07–05 / 2017–752––श्री नुतेश कुमार (आई0डी0 सं०–5064), तत्कालीन सहायक अभियंता, पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल, सहरसा के पद पर पदस्थापित थें तब आपके विरूद्ध सुपौल उपशाखा नहर के वि0दू0 26.00 पर निर्मित सी0डी0 संरचना के मामले में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1336 दिनांक 19.06.2018 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सं0–1419 दिनांक–02.07.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

(1) प्रश्नगत कार्य यथा सिंचाई प्रमंडल, सहरसा के अंतर्गत सुपौल उप शाखा नहर के वि0दू0 26.00 पर अवस्थित स्क्यू हयूम पाईप, सी0डी0 संरचना के प्रोटेक्शन वॉल के निर्माण कार्य के माप पुस्त में ह्यूम पाईप के U/S एवं D/S में स्लोप प्रोटेक्शन में पी0सी0सी0 (1:3:6) की मोटाई 1'6'' दर्ज है। जबकि स्थल पर 3'' ब्रीक सोलिंग के उपर 2''/3'' पी0सी0सी0 किया हुआ पाया गया। फलतः खरीफ 2016 में दोनों स्लोप प्रोटेक्शन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुआ। इस प्रकार स्थल पर कम कार्य कराकर प्रावधान के अनुरूप अनियमित भुगतान किये जाने के कारण सरकारी राशि की क्षति पहुँचायी गयी है।

(2) प्रश्नगत संरचना के निर्माण कार्य के माप पुस्त सं0–2678 से स्पष्ट है कि कट ऑफ निर्माण कार्य का भुगतान प्रावधान के अनुरूप किया गया है परन्तु स्थलीय जाँच में कट ऑफ वॉल का कार्य माप पुस्त में अंकित मापी के अनुसार नहीं पाया गया। फलतः प्रोटेक्शन क्षतिग्रस्त होने के कारण ह्यूम पाईप से लीकेज हुआ है एवं बहाव के कारण क्षतिग्रस्त होकर क्रैक कर गया। इस प्रकार इस मद में अनियमित भुगतान होना परिलक्षित है एवं संवेदक को लाभ पहुँचाया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए निम्न बिन्दुओं पर अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग श्री कुमार से की गई –

(i) संचालन पदाधिकारी का कहना है कि पुराने Two vent Hume pipe के जीर्ण अवस्था के कारण Seepage/leakage हो रहा होगा। यह तथ्य संभावना के आधार पर कहा गया है न कि किसी साक्ष्य के आधार पर, अतएव बिना साक्ष्य आधारित तथ्य स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है, जबकि अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा के निरीक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट उद्धित है कि विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं होने से संरचना एवं नहर बाँध क्षतिग्रस्त हुआ है।

(ii) संचालन पदाधिकारी का कथन कि कार्य के कार्यान्वयन के दौरान अथवा इसके बाद भी घटना घटित होने के पूर्व तक किसी भी पदाधिकारी अथवा निरीक्षण दल द्वारा कार्य की विशिष्टि पर प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं किया गया है एवं साढ़े तीन वर्षों तक इस बिन्दु पर कोई टूटान नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कार्य विशिष्टि के अनुरूप कराया गया है, स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि संचालन पदाधिकारी के उपरोक्त तथ्य किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है जबकि अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा के पत्रांक–632 दिनांक 15.11.2016 में स्पष्ट रूप से उद्धित है कि मापपुस्त में U/s एवं D/s में स्लोप प्रोटेक्शन की मोटाई PCC (1:3:6)1'6" दर्ज है जबकि स्थल पर 2" से 3" पाया गया है। कट ऑफ कार्य भी मापपुस्त के अनुसार स्थल पर नहीं पाया गया साथ ही टूटान का कारण स्लोप प्रोटेक्शन का क्षतिग्रस्त होना तथा लीकेज होना बताया गया है।

(iii) संचालन पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 25.08.2016 को किए गये निरीक्षण के आधार पर कहा है कि फेस वॉल लगभग तीस फीट में तथा नहर बाँध पच्चीस फीट में टूटने के कारण सी0डी0 संरचना क्षतिग्रस्त हो गया है, स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि संचालन पदाधिकारी का यह कथन साक्ष्य आधारित नहीं होकर संभावना के आधार पर आधारित प्रतीत होता है, जबकि अधीक्षण अभियंता द्वारा तटबंध के टूटान एवं संरचना क्षतिग्रस्त होने को विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराना बताया गया है।

(iv) संचालन पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता के द्वारा दिनांक 31.08.2016 को स्थल निरीक्षण के आधार पर कहा गया है कि सीपेज Water से हो रहे अंदर माइनिंग से ह्यूम पाईप सी0डी0 एवं प्रोटेक्शन वॉल का फाउंडेशन में सेटलमेंट हुआ एवं उसके कारण दोनो मेंट क्रैक कर दो भागों में विभक्त हो गया था एवं D/s face wall क्षतिग्रस्त होने का कारण भी फाउंडेशन सेटलमेंट प्रतीत होता है। संचालन पदाधिकारी का उपरोक्त कथन साक्ष्य आधारित प्रतीत नहीं होता है ऐसे भी आरोप का मुख्य बिन्दु है कि प्रश्नगत कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराया गया है जो अधीक्षण अभियंता के पत्रांक–632 दिनांक 15.11.2016 से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है।

(v) संचालन पदाधिकारी ने टूटान के पश्चात लगभग ढाई माह के पश्चात स्थल निरीक्षण किये जाने के पूर्व स्थलीय स्थिति से पूर्णतः परिवर्त्तित होने के कारण पूर्व में कराया गया कार्य Cover हो जाने की वजह से निरीक्षण के दौरान ब्रीक सोलिंग के उपर 2" 3" PCC किया हुआ पाया गया होगा के आधार पर कार्य को विशिष्टि के अनुरूप कराने का मंतव्य दिया गया है, स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अधीक्षण अभियंता के निरीक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख है कि मापपुस्त में अंकित PCC की मोटाई 1'6" की जगह पर 2"3" स्थल पर पाया गया तथा फेस वॉल भी प्रावधान के अनुरूप नहीं पाया गया है। मात्र संभावना के आधार पर गठित आरोप को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

श्री नुतेश कुमार का बचाव बयान –

(i) प्रश्नगत RD-26 पर CD एक पुरानी संरचना थी, जिसमें इनके पदस्थापना से पूर्व वर्ष 2012 में अन्य अभियंताओं द्वारा पुनर्स्थापन कार्य के अन्तर्गत दोनो ह्यूम पाईप के Top व साईट में PCC (1:3:6) का कार्य Wing wall, face wall Return wall, B.B pitching plaster आदि के नव निर्माण का वृहत कार्य किया गया।

वर्ष 2013 में प्रश्नगत आरोप कार्य कराया गया था जो कि इस ह्यूम पाईप के U/s एवं D/s में दोनों तरफ केवल पाँच फीट तक था। यह कार्य Foundation का कार्य था, यानि नहर के Bed Level से नीचे मिट्टी के अंदर था। इसी मापी को मापपुस्त में J.E द्वारा अंकित किया गया था। जो सही भी है चूँकि प्रश्नगत कार्य (वर्ष 2013) के पूर्व भी जलश्राव प्रवाहित होता था और इसमें बनने के चार वर्षों तक भी जलश्राव हुआ और यह कार्य Hume pipe से दूर था। अतः नहर के टूटने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। निरीक्षण प्रतिवेदन में भी लिखा हुआ है कि पानी के बहाव से CD क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ तीन जगह पानी बह रहा था। (i) नहर में (ii) कोशी सिपेज यानी कटार धार एवं (iii) Hume pipe में नहर का पानी संचालक के नियंत्रण में था। जिसे समय पर बंद नहीं करने से CD क्षतिग्रस्त होता गया। घटना के समय पदस्थापित नहीं थे।

प्रश्नगत CD के क्षतिग्रस्त का कारण नहर का कटान है जिसको Prima facie witness तत0 कनीय अभियंता (प्रभारी) के पत्र दिनांक 22.08.2016 एवं प्रभारी तत0 अवर प्रमंडल पदाधिकारी के पत्रांक–89 दिनांक 23.08.2016 में देखा जा सकता है। पत्र में थाना में FIR करने एवं Wing wall तथा Face wall क्षतिग्रस्त होने को रिपोर्ट किया गया है। ऐसा दिनांक 21.08.2016 की रात्री में नहर बाँध को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा काटे जाने के कारण हुआ है। इस घटना में पहले तथा तुरंत बाद विभागीय उड़नदस्ता द्वारा पूरे नहर का शुरू से अंतिम छोर तक की संरचनाओं का Sample लेकर प्रयोगशाला में इसकी जाँच की गयी। कार्य गुणवत्ता पूर्ण एवं विशिष्टि के अनुरूप पाया गया।

नहर के टूटने का कारण प्रश्नगत कार्य नहीं है एवं कार्य विशिष्टि से न्यून होने का कोई प्रमाण नहीं है।

(ii) संलग्न साक्ष्य तत0 अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल, सहरसा के निरीक्षण प्रतिवेदन 27.07.2013 के अनुसार नहर के शुरू से अंतिम छोर तक निरीक्षण किया गया है एवं Defect आदि के संबंध में टिप्पणी की गई है लेकिन प्रश्नगत कार्य के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं है।

(iii) तत0 कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक–712 दिनांक 29.08.2016 एवं पत्रांक–780 दिनांक 15.09.2016 में भी विशिष्टि के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। जबकि यह घटना के तुरंत बाद का है।

(iv) घटना के 2½ माह बाद कथित निरीक्षण प्रतिवेदन लिखा गया है। इस समय तक पूर्व स्थिति परिवर्तित हो चुका था।

विभागीय पदाधिकारी के प्रश्नगत आरोप कार्य का नमूना में SE द्वारा मानक प्रक्रिया से जाँच नहीं की गयी है। योजना की प्राक्कलित राशि क्या थी तथा संवेदक को कितना भुगतान किया गया, इसका उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है। PWD कोड के अनुसार अंतिम विपत्र को संवेदक का भुगतान माना जाता है। जिसका भुगतान इनके द्वारा नहीं की गयी है। इनके कार्य कराने के बाद नहर के अंतिम छोर तक पटवन सफलता से हुआ है। अंततः यह कार्य उपयोगी रहा है। संचालन पदाधिकारी ने पूर्व प्रक्रिया के बाद कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं हो पाया है। कार्य विशिष्टि में अनुरूप कराया गया है। इस पर कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

विभागीय समीक्षा–

इनके द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत 26.0RD पर CD एक पुरानी संरचना थी। जिसमें इनके पदस्थापन के पूर्व वर्ष 2012 में अन्य अभियंताओं द्वारा पुनःस्थापन कार्य के तहत hume pipe के Top एवं side में P.C.C का कार्य wing wall, face wall, Return wall, B.B Pitiching एवं Plaster का कार्य कराया गया था।

इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वर्ष 2013 में प्रश्नगत आरोप कार्य कराया गया था, जो कि hume pipe के U/S एवं D/S में दोनों तरफ केवल पाँच फीट चौड़ाई तक था। यह कार्य नहर के वेड lebel के नीचे कराया गया था, जिसकी मापी कनीय अभियंता द्वारा अंकित किया गया था। इसके बनने के चार वर्षों तक श्राव होता रहा है। यह कार्य hume pipe से दूर था। अतः नहर टूटने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। निरीक्षन प्रतिवेदन (अधिक्षण अभियंता) में अंकित है कि पानी के बहाव से CD क्षतिग्रस्त हुआ है। वहाँ पर पानी तीन जगहों से प्रवाहित हो रहा था (i) कटार घाट से (ii) hume pipe से (iii) नहर से, जिसे समय पर बंद नहीं करने से CD क्षतिग्रस्त हो गया। अभिलेखों से परिलक्षित होता है

कि वि0दू0 26.0 पर CD संरचना के बाँया तरफ असमाजिक तत्वों द्वारा नहर बाँध काट दिये जाने से CD क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी प्राथमिकी कनीय अभियंता द्वारा रतनपुरा, (सुपौल) थाना में दर्ज कराया गया है।

इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि इस घटना के पहले एवं तुरंत बाद विभागीय उड़नदस्ता द्वारा पूरे नहर पर अवस्थित संरचना से Sample लेकर प्रयोगशाला में इसकी जाँच की गई एवं कार्य गुणवता पूर्ण एवं विशिष्टि के अनुरूप पाया गया है। उक्त कथन की पुष्टि उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष कंडिका (ii) से होती है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माना जा सकता है कि प्रश्नगत कार्य गुणवत्तापूर्ण कराया गया है। इनका कथन स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

2. इस बिंदु के संबंध में कहा गया है कि कनीय अभियंता द्वारा P.C.C कार्य माप पुस्त 2678 के पेज सं0–01 से 3 से Hume Pipe के दोनों तरफ मात्र पाँच फीट में कार्य कराया गया है। जबकि निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रश्नगत कार्य 6.5 फीट पाया गया है। actual कार्य जो नहर के bed के नीचे मिट्टी के अंदर foundation की था। इसे बिना खुदाई किये एवं तोड़कर देखे बिना P.C.C की मापी नहीं की जा सकती है। अधीक्षण अभियंता द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि देखा गया P.C.C कार्य आदि की मोटाई more than actual है actual कार्य के उपर cover हैं। actual कार्य को अधीक्षण अभियंता द्वारा नहीं देखा गया, जबकि सिपेज एरीया होने से कीचड़ भरा था एवं क्षतिग्रस्त हो चुके संरचना का मलवा का भाग मौजूद था ऐसी स्थिति में सही मापी के लिए intact part को ही consider करना उचित है न कि क्षतिग्रस्त होकर बिखरे टुकड़े को।

माप पुस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि hume pipe के U/S एवं D/S में स्पष्ट है कि hume pipe के U/S एवं D/S में P.C.C का कार्य पाँच फीट चौड़ाई में 47 फीट लम्बाई तथा 1'6" मोटाई में कराया गया है। अधीक्षण अभियंता के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार Hume Pipe के U/S एवं D/S में 6'6" स्लोप मे brick सोलिंग के उपर 2"/3" P.C.C पाया गया है। उससे संभावना बनती है कि अधीक्षण अभियंता द्वारा Protection Wall के नीचे P.C.C की मोटाई P.C.C के अंतिम छोर पर देखा गया होगा। लेकिन यह स्थापित करना संभव प्रतीत नहीं होता है कि वास्तव में P.C.C की ढ़लाई 1'6" कराया गया है। अतएव प्रावधान से कम मोटाई में कार्य कराकर अधिक मोटाई में P.C.C की भुगतान करने के लिए कुछ हद तक दोषी माना जा सकता है।

3. इस बिंदु के संदर्भ में कहा गया है कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक–712 दिनांक–29.08.2016 एवं पत्रांक–780 दिनांक–15.09.2016 में भी विशिष्ट के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है, जबकि यह पत्र घटना के तुरंत बाद का है। कार्यपालक अभियंता के उपरोक्त पत्र में कार्य की गुणवत्ता पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है एवं संरचना क्षतिग्रस्त होने के कारण के संबंध में कहा गया है कि HUME PIPE CD संरचना के U/S Country Side कोशी के Seepage Water से प्रभावित है तथा D/S face wall से सटकर कटार घाट बह रहा है जिसके कारण नहर के दोंनों बाँधों पर seepage water का दबाव बना रहता है। Seepage water flow से हो रहे Under mining से hume pipe CD तथा Protection Wall का Foundation Sattlement होना है।

अतएव आरोपी का कथन स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

4. इस बिंदु के संदर्भ मे कहा गया है कि आरोपित कार्य की जाँच किसी प्रावधानित प्रक्रिया या किसी IS Code के निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत नही किया गया है, निरीक्षण प्रतिवेदन कई विरोधाभाषी तथ्य है। P.C.C की मोटाई अनुमान की भाषा में 2"/3" लिखा गया है। यह माप का मानक तरीका नही हो सकता है। Cut off कार्य को TOE Wall के रूप में 6.5 फीट पर देखने में नही पाये जाने का प्रतिवेदन दिया गया है जो Actual में पाँच फीट पर था जो माप पुस्त में दर्ज हैं।

इसके अतिरिक्त कहा गया है कि संवेदक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में नही है। जबकि एकरारनामा Runing अवस्था में था और न ही कार्य कराने वाले कनीय अभियंता श्री कमलेश कुमार को बुलाया गया, जबकि वे उसी प्रमंडल में कार्यरत थे। प्रमंडल या अंचल द्वारा उनसे स्पष्टीकरण तक नहीं पुछा गया। सीधे विभाग से प्रपत्र 'क' के साथ स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसके जवाब में उनके द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि कार्य सही किया गया है।

अधीक्षण अभियंता के निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से उपरोक्त कथन की पुष्टि होती है।

5. इस बिंदु के संदर्भ में कहा गया है कि संवेदक द्वारा कार्य कराने के बाद JE द्वारा माप पुस्त मे मापी अंकित किया गया है। AE द्वारा Running Bill के रूप में भुगतान हेतु विपत्र एवं मापपुस्त कार्यपालक अभियंता को समर्पित किया गया है। जबकि प्रश्नगत कार्य का निरीक्षण संवेदक एवं इनके प्रतिनिधि के अनुपस्थिति में की गयी है, जो एकरारनामा एवं विभागीय नियमों के प्रतिकूल है।

इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रश्नगत आरोपित कार्य साधारण प्रकृति का है एवं इसके लिए इतनी बड़ी कम्पनी के साथ मिलकर गलत करने का कोई व्यवहारिक कारण नही है। कार्य के दौरान उच्च पदाधिकारी का निरीक्षण होता रहा है। उन लोगों के द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नही की गयी है। कार्य के नमूना से SE द्वारा मानक प्रक्रिया से जाँच नही की गयी है। उक्त कार्य कराने के बाद नहर में अंतिम छोर तक पटवन सफलता से हुआ है एवं कार्य उपयोगी रहा है क्योंकि कार्य विशिष्ट के अनुरूप कराया गया है। उपरोक्त कथन के समर्थन मे कोई साक्ष्य नही दिया गया है तथा अधीक्षण अभियंता के निरीक्षण प्रतिवेदन से स्पष्ट उल्लेख है कि माप पुस्त में अंकित P.C.C मोटाई 1'6" के जगह 2'/3" स्थल निरीक्षण में पाया गया है तथा पाईप के U/S तथा D/S में 6'6" स्लोप मे ब्रीक सोलिंग के उपर P.C.C पाया गया है जबकि

माप पुस्त में उक्त P.C.C की चौड़ाई 5'0" दर्ज है। माप पुस्त सं0–2678 के पेज सं0–02 पर प्रश्नगत कराये गये P.C.C (1:3:6) की कुल मात्रा 0705.0 CFT अर्थात 19.70 घन मी0 है। माप पुस्त सं0–2684 के पेज सं0–32 से स्पष्ट है कि P.C.C (1:3:6) का दर 2120.2005/M^3 के दर से भुगतान की कार्रवाई की गयी है। इस प्रकार उक्त प्रश्नगत P.C.C (1:3:6) की कुल राशि 19.70x2120.o5=41764.98 रूपये का अनियमित भुगतान का होने का मामला बनता है, जिसके लिए श्री कुमार को जिम्मेदार माना जा सकता है।

उपरोक्त की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत श्री नुतेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल, सहरसा को विभागीय अधिसूचना सं0–20 दिनांक 05.01.2022 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया है:–

"तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया है। जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री नुतेश कुमार, तत0 सहायक अभियंता द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में अधिकांश तथ्य वही दिये है जिनपर पूर्व में विचार किया जा चुका है।

उपरोक्त समीक्षा के आलोक में श्री नुतेश कुमार, तत0 सहायक अभियंता, पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल, सहरसा का पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृत करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है।

अतः श्री नुतेश कुमार, तत0 सहायक अभियंता, पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल, सहरसा के द्वारा दिये गये पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

———————

4 अप्रील 2022

सं0 22/नि0सि0(सम0)02–12/2014–760––श्री प्रदीप कुमार मंडल (आई0डी0–जे0 7576), तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगुसराय सम्प्रति अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, बक्सर (बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत) के पदस्थापन अवधि में खगड़िया टाउन प्रोटेक्शन से संबंधित तटबंध निर्माण कार्य में अधिकाई भुगतान के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–1159 दिनांक 11.06.2019 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2580 दिनांक 13.12.2019 द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–605 दिनांक 14.07.2021 द्वारा श्री मंडल को निलंबन मुक्त करते हुए **"एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** का दण्ड संसूचित किया गया।

श्री मंडल, तत0 सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगुसराय सम्प्रति अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, बक्सर (बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत) के निलंबन अवधि के विनियमन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(5) के तहत नोटिस निर्गत करते हुए अभ्यावेदन की माँग की गयी। तदालोक में श्री मंडल द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा की गयी एवं विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उन्ही सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो पूर्व में द्वितीय कारण पृच्छा एवं पुनर्विलोकन अर्जी में किया गया है जिसकी समीक्षा पूर्व में करते हुए अस्वीकार किया गया है। इस प्रकार श्री मंडल का सेवा निरूपण तथा वेतन भत्ता अनुमान्यता संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि श्री मंडल के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया है, जिस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है :–

"निलंबन की सम्पूर्ण अवधि (दिनांक 11.06.2019 से 13.07.2021 तक) को कर्त्तव्य अवधि नहीं मानते हुए उक्त अवधि की गणना मात्र पेंशन प्रयोजनार्थ की जाएगी तथा निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।"

सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया उपर्युक्त निर्णय श्री प्रदीप कुमार मंडल (आई0डी0–जे 7576), तत0 सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगुसराय सम्प्रति अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ नियंत्रण अवर प्रमंडल, बक्सर (बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत) को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

———————

11 अप्रील 2022

सं0 22/नि0सि0(डि0)14–06/2022–860––मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक–1088 दिनांक 10.04.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार "आरा मुख्य नहर के कि0मी0 16.00 के पास स्थित अमियावर ग्राम के पास निर्मित लोहे के पुल की चोरी से संबंधित आरोप की प्राथमिकी नासरीगंज थाना में दर्ज कराया गया है एवं मामले में पुलिस अनुसंधान जारी है।" उक्त मामले में श्री राधेश्याम सिंह (आई0डी0 सं०–जे 7531), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमंडल, नासरीगंज की संलिप्तता के आधार पर निलंबित करने की अनुशंसा की विभागीय समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9(1)(ग) के संगत प्रावधानों के तहत श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री राधेश्याम सिंह, अवर प्रमंडल पदाधिकारी का मुख्यालय–मुख्य अभियंता का कार्यालय, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के निमित्त आरोप–पत्र अलग से निर्गत किया जायेगा।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो0 अफजालुर रहमान, संयुक्त सचिव।

———————

13 अप्रील 2022

सं0 22 / नि0सि0(ल0सिं0)05–01 / 2020–879––मो० जमालुद्दीन, (आई0डी0–1400) तत0 कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता द्वारा दायर समादेश याचिका सं0–22978 / 2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2020 को पारित आदेश के आलोक में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत एवं संसूचित आदेश सं0–258–सह–पठित ज्ञापांक–6166 दिनांक–06.11.15 के विरुद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पर विचारोपरांत लघु जल संसाधन विभाग के पत्रांक–2141 दिनांक 15.06.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में निम्नांकित तथ्य उद्धृत किया गया हैः–

1. जिला पदाधिकारी, नवादा के जनता दरबार में श्री कपिलदेव नारायण सिंह द्वारा दिये गये परिवाद पत्र में आरोप लगाया गया है कि ''असमा अंचल के पकरीबरावॉ के आहर में छिलका निर्माण में घटिया निर्माण सामग्रियों का उपयोग कर राशि का बंदरबाट कर लिया गया है। फलस्वरूप पहली बारिश में ही उक्त छिलका बह गया।''

2. जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–2675 क०/गो0 दिनांक 06.11.07 द्वारा गठित जाँच दल द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया किया गया।

3. जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत आरोप पत्र गठित करते हुए लघु जल संसाधन विभाग के संकल्प सं0–5088 दिनांक 15.09.2008 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 के नियम–17 में निहित प्रावधानों के आलोक में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

4. मो० जमालुद्दीन के दिनांक 31.12.2009 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को लघु जल संसाधन विभाग के संकल्प सं०–1753 दिनांक 18.03.2010 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया।

5. विभागीय जाँच आयुक्त सह संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप सं०– 2, 4 एवं 5 को प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए लघु जल संसाधन विभाग के पत्रांक–4915 दिनांक 25.08.2010 द्वारा आरोपित पदाधिकारी श्री जमालुद्दीन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। स्मारित करने के पश्चात् भी श्री जमालुद्दीन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अप्राप्त रहा।

6. लघु जल संसाधन विभाग के पत्रांक–1274 दिनांक 14.03.15 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–1106 दिनांक–17.07.2015 से प्राप्त परामर्श की समीक्षा के उपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए लघु जल संसाधन विभाग के आदेश सं0–258–सह–पठित ज्ञापांक–6166 दिनांक 06.11.15 द्वारा मो0 जमालुद्दीन के विरूद्ध निम्नांकित दंड संसूचित किया गया है :–

1. **पेंशन से 25 प्रतिशत की कटौती।**
2. **घटिया सामग्री प्रयुक्त होने तथा प्राक्कलन के अनुकूल कार्य नहीं होने के बावजूद भी संवेदक को रू० 2,56,241 / – का अवैध भुगतान कर दिया गया जो छिलका बह जाने के कारण सरकारी राशि के शत प्रतिशत व्यर्थ हो जाने के प्रमाणित आरोपों के फलस्वरूप रू0–2,56,241 / – का 1 / 3 भाग यानि रू0–85,414 / – (पचासी हजार चार सौ चौदह मात्र) की उनके पेंशन से वसूली।**

जिसपर सक्षम प्राधिकार (माननीय मुख्यमंत्री) का अनुमोदन प्राप्त है ।

7. उक्त आदेश के विरूद्ध मो० जमालुद्दीन द्वारा दायर समादेश याचिका सं0–22978 / 2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2020 को पारित आदेश के आलोक में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत एवं संसूचित आदेश सं0–258–सह–पठित ज्ञापांक–6166 दिनांक 06.11.15 के विरुद्ध श्री जमालुद्दीन द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन लघु जल संसाधन विभाग को समर्पित किया गया है, जिसके समीक्षोपरांत उसे अस्वीकृत करने का निर्णय लघु जल संसाधन विभाग द्वारा लिया गया है।

8. मो० जमालुद्दीन दिनांक 31.12.09 को सेवानिवृत हो गये हैं। जल संसाधन विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग के बीच अभियंताओं का कैडर विभाजन (वर्ष–2014) के पूर्व लघु जल संसाधन विभाग में कार्यरत अभियंताओं का पैतृक विभाग जल संसाधन विभाग था।

मो० जमालुद्दीन, तत0 कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता द्वारा संसूचित दण्ड पर मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार पर आपत्ति जताये जाने का उल्लेख है :–

1. उनके द्वारा संबंधित सम्वेदक को गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों एवं विशिष्टि के अनुरूप कार्य हेतु निदेशित किया गया था। साथ ही घटिया कार्य की मापी भी मापी पुरत में अंकित नही की गयी थी । जिसके कारण सरकार को किसी प्रकार के क्षति का आरोप ही गलत है।

2. उनके विरुद्ध विहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। जबकि सेवानिवृत सेवकों के पेंशन से कटौती विहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत किया जाना चाहिए था।

समीक्षा :– जिला पदाधिकारी, नवादा के जनता दरबार में प्राप्त परिवाद के आलोक में असमा अंचल के पकरीबरावाँ के आहर में छिलका निर्माण में घटिया निर्माण सामग्रियों के उपयोग कर राशि का बंदरबांट कर लेने संबंधी परिवाद की जाँच जिला पदाधिकारी, नवादा के द्वारा गठित जाँच दल के द्वारा कराया गया। जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री जमालुद्दीन, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सम्प्रति सेवानिवृति अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लघु जल संसाधन विभाग के संकल्प 5088 दिनांक 15.09.2008 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में निहित प्रावधानों के तहत प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात् श्री जमालुद्दीन के दिनांक 31.12.2009 को सेवनिवृत हो जाने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को लघु जल संसाधन विभाग के संकल्प 1753 दिनांक 18.03.2010 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (बी) में सम्परिवर्तित किया गया।

मो0 जमालुद्दीन द्वारा उठाये गये आपत्ति के बिन्दु पर, यथा संबंधित संवेदक को गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों एवं विशिष्टि के अनुरूप कार्य हेतु निदेशित किये जाने तथा घटिया कार्य की मापी भी मापीपुस्त में अंकित नहीं किये जाने के बिन्दु पर विचारण के उपरांत संचालन पदाधिकारी–सह–विभागीय जाँच आयुक्त के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें आरोप सं0–2 को आंशिक प्रमाणित तथा आरोप सं0–4 एवं 5 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत लघु जल संसाधन विभाग द्वारा दण्ड का निर्धारण किया गया है, जिसमें इन तथ्यों पर विचार किया जा चुका है।

इस प्रकार श्री जमालुद्दीन के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को लघु जल संसाधन विभाग द्वारा पुनर्विचार योग्य नहीं मानते हुए अस्वीकृत किया गया है, जिससे सहमत हुआ जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–22978/2019 में दिनांक–22.01.2020 को पारित आदेश "Since objection regarding maintainability has been taken by the state counsel this court would observe that in the event, review is filed within four weeks, the same be disposed of expeditiously and without any undue delay, in accordance with law" के आलोक में मो० जमालुद्दीन, सेवानिवृत्त, अधीक्षण अभियंता के पुनर्विलोकन अर्जी पर लघु जल संसाधन विभाग से प्राप्त अभिमत पर विचार करते हुए जल संसाधन विभाग के स्तर से पुनर्विलोकन अर्जी के संदर्भ में आदेश निर्गत करना न्यायोचित होगा अथवा नहीं के बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्श/मंतव्य निम्नवत् प्राप्त है :–

"Perused the file the notes given by the department and the order passed by the learned single Judge in CWJC No. 22978 of 2019 by which the Hon'ble Court disposed of the writ application giving liberty to the writ petitioner to prefer a review against the order of punishment dated 06-11-2015 by which petitioner was inflicted punishment of deduction of 25% from his pension and further realisation of 1/3rd of loss amount suffered by the State due to negligence of the petitioner amounting to Rs. 85,414.00 .

In the present case since the Hon'ble Patna High Court remitted the matter giving opportunity to the petitioner to prefer a review before the Department as such in my opinion the department may consider the review application of the petitioner in right prespective and after giving and opportunity of the hearing disposed it off accordingly. The Order of Hon'ble High Court is in accordance with Law as the petitioner had not preferred any appeal against the Order of Punishment."

विधि विभाग से प्राप्त परामर्श/मंतव्य में विद्वान महाधिवक्ता के द्वारा Petitioner (मो० जमालुद्दीन, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता) के पुर्नविलोकन अभ्यावेदन को निष्पादित किये जाने के पूर्व Petitioner को Opportunity of Hearing दिये जाने का परामर्श अंकित है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में मो० जमालुद्दीन, तत0 कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के आदेश संख्या–258–सह– पठित ज्ञापांक–6166 दिनांक– 06.11.2015 द्वारा संसूचित किये गये **दंड** के विरूद्ध, उनके द्वारा लघु जल संसाधन विभाग में समर्पित किये गये पुर्नविलोकन अभ्योवदन के क्रम में अगर कोई नया तथ्य या साक्ष्य विचारण हेतु विभाग को देना चाहें, तो इस हेतु उन्हें एक मौका देते हुए दिनांक 11.03.2022 को अपराह्न 04:00 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु विभागीय पत्रांक–450 दिनांक 02.03.2022 द्वारा निदेशित किया गया।

मो0 जमालुद्दीन सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता दिनांक 11.03.2022 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। इस क्रम में पुनः दिनांक 15.03.2022 को 11:00 बजे सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। तदालोक में विभागीय पत्रांक–557 दिनांक

11.03.2022 द्वारा उन्हें दिनांक 15.03.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया।

मो0 जमालुद्दीन सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता के द्वारा दिनांक 15.03.2022 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के क्रम में एक लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित किये गये लिखित अभ्यावेदन का मुख्य बिन्दु :–

लघु जल संसाधन विभाग में दिये गये रिव्यू पिटीशन में उनके द्वारा अपनी सारी बातें कही जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है। अतएव रिव्यू पिटीशन के आधार पर उन्हें दोषमुक्त किया जाय एवं देय सेवांत लाभों का भुगतान किया जाय।

उनके द्वारा समर्पित किये गये लिखित अभ्यावेदन के अवलोकन एवं उनके पक्षों को सुनने के उपरांत यह पाया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 15.03.2022 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दिये गये लिखित अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य या साक्ष्य विचारण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मो0 जमालुद्दीन (आई0डी0–1400) सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता द्वारा समर्पित किये गये पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के संबंध में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा पुनर्विचार योग्य नहीं मानते हुए अस्वीकृत किये जाने के मंतव्य से सहमत होते हुए इस पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में मो0 जमालुद्दीन (आई0डी0–1400) सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

13 अप्रील 2022

सं0 22/नि0सि0(मोति0)08–03/2013(अंश–1)(खण्ड–क)–882––श्री दिलीप कुमार (आई0डी0–4471), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर को नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक परियोजना के अंतर्गत एकरारनामा के विरूद्ध स्थानीय सामग्री का उपयोग करने संबंधी वित्तीय अनियमितता एवं जान–बूझ कर सरकारी राशि के गबन करने में सहयोग करने संबंधी आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–206 दिनांक–13.02.2014 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक–295 दिनांक–12.03.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री कुमार द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–16266/2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक 13.01.2016 के आलोक में विभाग द्वारा श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना सं0–1513 दिनांक 26.07.2016 द्वारा दिनांक 20.05.2016 के प्रभाव से निलंबनमुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी (अपर विभागीय जाँच आयुक्त) द्वारा श्री दिलीप कुमार के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री कुमार को उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक–1374 दिनांक–18.08.2017 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा (अभ्यावेदन) की माँग की गयी। उक्त आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा (अभ्यावेदन) के समीक्षोपरांत उन्हें प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–649 दिनांक 13.03.2018 द्वारा उनके विरूद्ध "सेवा से बर्खास्तगी" का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-14895/2017 दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक–16.03.2021 को पारित न्याय निर्णय का मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"In order to maintain consistency, the present writ application is disposed of in the similar terms as passed in CWJC No-8711 of 2017 (Braj Bhushan Sharma vs The state of Bihar & others). The respondent have to scrutinize the case of the petitioner and if it is found that the case of the petitioner is similar to that of the petitioner's case which was decided vide Annexure-16 series, the respondents have to act strictly following the aforesaid judgment within a maximum period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order.

With the aforesaid the present writ application stands disposed of."

CWJC No-14895/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–16.03.2021 को पारित न्याय निर्णय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–8711/2017 ब्रजभूषण शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। CWJC No-8711/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–14.05.2019 को आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"4. Under the aforesaid circumstances, in the aforesaid case viz. Dinesh Kumar Chaudhary vs. State of Bihar & Ors. (CWJC No-16258 of 2017) the enquiry report as well as

the order of punishment were set aside and the matter was remanded to the enquiry officer to conduct a de novo enquiry as per the law which was explained in the order.

5. The case of the petitioner, though the nature of punishment given to him is harsher than the employee whose case has been referred to above, is identical and similar. The same enquiry officer who reported against the petitioner and which report was the basis of the disciplinary authority passing an order of punishment of dismissal was not produced for him to be cross-examined by the petitioner.

6. For the aforesaid reasons, the enquiry report as communicated vide letter no. 2405 dated 09.11.2016 and the order of dismissal from the service vide notification no. 544 dated 13.04.2017 are set aside.

7. The case is remitted to the enquiry officer for holding a fresh enquiry, providing an opportunity to the petitioner to question/ cross-examine the maker of the enquiry report, if so advised, and then submit a report accordingly.

8. Since it would be a de novo enquiry, it would be open to the petitioner to raise other points also which shall be considered in correct perspective.

. CWJC No-14895/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–16.03.2021 को पारित आदेश का अनुपालन किया जाय अथवा एल०पी०ए० दायर किया जाए, के बिन्दु पर विधि विभाग से प्राप्त परामर्श का मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"Bihar State Litigation Policy, clearly suggests of same and similar action if cases are identical in nature and here is the case wherein various other cases of other delinquent are pending consideration before the disciplinary authority, hence in my view it may not be a fit case for L.P.A. and the opportunity granted by the Hon'ble Court be used to fill up the irregularity which have occurred in course of conduct of departmental proceeding so that in future such delinquent may not derive benefits thereof.

I opine accordingly."

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–1093 दिनांक–20.11.2018 द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची के भाग (घ) में संशोधन करते हुए कंडिका–4 जोडी गई है, जिसके अनुसार ऐसे मामलों का अनुपालन जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से न्यायादेश पारित किये गये हों, एवं उनके विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार याचिका दायर करना संभव नहीं हो, तो ऐसे मामलों को वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति के पश्चात मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रशासी विभाग मामले को विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए प्रशासी विभाग प्रभारी मंत्री का आदेश प्राप्त कर कार्यान्वयन आदेश ससमय निर्गत करना सुनिश्चित करेगा।

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–14895/2017 (दिलीप कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध विधि विभाग के परामर्शानुसार एल0पी0ए0 दायर किया जाना संभव नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–1093 दिनांक 20.11.2018 के आलोक में वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श/सहमति के उपरांत उक्त न्यायादेश का अनुपालन किये जाने के संबंध में विधि विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ मामले को रखा गया।

विधि विभाग के ज्ञापांक–2978 दिनांक 07.04.2022 द्वारा संसूचित, बैठक की कार्यवाही में समिति द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–14895/2017 (दिलीप कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पारित न्यायादेश का अनुपालन करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–649 दिनांक 13.03.2018 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध "सेवा से बर्खास्तगी" के अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की सुनवाई हेतु सम्पूर्ण मामले को संचालन पदाधिकारी मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को Remand Back किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–14895/2017 (दिलीप कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–16.03.2021 को पारित न्यायादेश एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है –

(1) श्री दिलीप कुमार, (आई०डी०–4471), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–649 दिनांक–13.03.2018 द्वारा "**सेवा से बर्खास्तगी**" के अधिरोपित दंड को निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को सुनवाई हेतु संपूर्ण मामले को संचालन पदाधिकारी, मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को Remand Back किया जाता है।

(2) श्री दिलीप कुमार के दिनांक–28.02.2022 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरूद्ध CCA Rules 2005 के नियम–17 के तहत संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43(बी) में सम्परिवर्तित किया जाता है।

(3) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9(5) में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री दिलीप कुमार, "सेवा से बर्खास्तगी" की तिथि 13.03.2018 से दिनांक–27.02.2022 (सेवानिवृति की तिथि–28.02.2022 से एक दिन पूर्व) तक निलंबित समझे जायेंगे। उक्त निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, मधुबनी निर्धारित मानते हुए, सेवानिवृति की तिथि दिनांक–28.02.2022 से निलंबन मुक्त किया जाता है।

(4) श्री दिलीप कुमार के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में पूर्व से नामित प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के सम्प्रति सेवानिवृत हो जाने के कारण श्री प्रशांत कुमार, (आई०डी०–5082) कार्यपालक अभियंता (प्रभारी), योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–06, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

———————

13 अप्रील 2022

सं0 22 / नि0सि0(सिवान)11–08 / 2015–883––श्री अशोक कुमार नागमणि (आई0डी0–3404), सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा पर आरोपित दण्डादेशों (विभागीय अधिसूचना सं0–802 दिनांक 16.04.2019 एवं अधिसूचना सं0–1118 दिनांक 04.06.2019) के कार्यान्वयन के संबंध में में उचित मार्गदर्शन / दिशानिर्देश उपलब्ध कराने का अनुरोध प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार, पटना से प्राप्त पत्रांक–GN 261020210503720, GEN No: 1840/2021-2022 द्वारा किया गया।

महालेखाकार, बिहार, पटना के उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं0–802 दिनांक 16.04.2019 द्वारा श्री अशोक कुमार नागमणि (आई0डी0–3404), कार्यपालक अभियंता पर "तीन वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक" अधिरोपित किया गया। इसके आलोक में दिनांक 01.07.2019, 01.07.2020 एवं 01.07.2021 को आदेय वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकी गई है। पुनः एक अन्य विभागीय अधिसूचना सं0–1118 दिनांक 04.06.2019 द्वारा श्री नागमणि पर "एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड अधिरोपित किया गया। श्री नागमणि दिनांक 31.05.2022 को सेवानिवृत हो रहे हैं। दिनांक 01.07.2019 से सेवानिवृति तक आदेय सभी वेतनवृद्धियाँ पूर्व में ही संचयात्मक प्रभाव से रोकी जा चुकी है। अतः विभागीय अधिसूचना सं0–1118 दिनांक 04.06.2019 द्वारा निर्गत "एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" के दण्डादेश का अनुपालन संभव नहीं हो पा रहा है।

उल्लेखनीय है कि सारण नहर प्रमंडल, सिवान के अधीन पिथौरी–सिवान वितरणी के पुनर्स्थापन का कार्य निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं कराये जाने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत श्री नागमणि के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–802 दिनांक 16.04.2019 द्वारा "तीन वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड दिया गया है। उक्त मामले के अतिरिक्त एक अन्य मामले में विभागीय उड़नदस्ता के पत्रांक–30 दिनांक 30.07.2015 द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में स्वीकृत आलेख्य एवं प्राक्कलन के अनुरूप कैनाल लाईनिंग कार्य नहीं कराये जाने के प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1118 दिनांक 04.06.2019 द्वारा श्री अशोक कुमार नागमणि के विरूद्ध "एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राप्त उपर्युक्त पत्र के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–28 में निहित प्रावधान के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत श्री अशोक कुमार नागमणि (आई0डी0–3404) कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–1118 दिनांक 04.06.2019 द्वारा अधिरोपित "एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" के स्थान पर प्रतिस्थानी दण्ड "एक वर्ष के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में एक प्रक्रम पर अवनति" संसूचित किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

अतएव सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री अशोक कुमार नागमणि (आई0डी0–3404) कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–1118 दिनांक 04.06.2019 द्वारा अधिरोपित दण्ड "एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" के स्थान पर प्रतिस्थानी दण्ड के रूप में "एक वर्ष के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में एक प्रक्रम पर अवनति" का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

———————

13 अप्रील 2022

सं0 22 / नि0सि0(पट0)03–16 / 2017–890––श्री शैलेन्द्र कुमार, (आई0डी0–3803) तत0 कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, आरा के पद पर पदस्थापित थे तो उनके विरूद्ध बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, आरा के अन्तर्गत बाढ़ वर्ष–2016 के पूर्व एजेंडा संख्या–133 / 354 के तहत आरा शहर सुरक्षा बांध के चेन–86 से 166 के बीच बाढ़ 2016 के पूर्व कराए गए उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य एवं सलेमपुर ग्राम के नजदीक BKG बांध के चेन संख्या–37.30 से 44.00 से कराए गए

कटाव निरोधक कार्य में मिट्टी कार्य में बरती गई अनियमितता का आरोप प्रतिवेदित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1984 दिनांक–07.09.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

आरोप– बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, आरा के अन्तर्गत एजेंडा संख्या–133/350 के तहत आरा शहर सुरक्षा बांध के चेन 86 से 166.00 के बीच बाढ़ 2016 के पूर्व कराए गए उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य एवं सलेमपुर ग्राम के नजदीक BKG बांध के चेन सं0–37.30 से 44.00 के बीच कराए गए कटाव निरोधक कार्य के मिट्टी कार्य में अनियमितता से संबंधित माननीय सांसद, आरा के परिवाद पत्र की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से कराई गई। उड़नदस्ता का जाँच प्रतिवेदन की विभागीय स्तर पर समीक्षा के उपरांत निम्न आरोप के लिए दोषी है–

(i) बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, आरा के अन्तर्गत एजेंडा सं0–133/354 के तहत आरा शहर सुरक्षा बांध के चेन सं0–86 से 166.00 के बीच बाढ़ 2016 के पूर्व कराए गए मिट्टी कार्य (एकरारनामा सं0–3F2/15-16) में कि0मी0 2.5 से 3.00 कि0मी0 लीड के अन्तर्गत यांत्रिक साधन से ढुलाई कर मिट्टी भराई मद में 410.88.00 घनमीटर मिट्टी का मात्र स्वीकृत है। मुख्य अभियंता, डिहरी के पत्रांक–1372, दिनांक–31.05.2016 में निहीत निदेश एवं संहिता के नियम–182A के प्रावधान के अनुसार मिट्टी भराई मद की स्वीकृत मात्रा से अधिकाई मात्रा का भुगतान सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के उपरांत किया जाना है। परन्तु 5वाँ चालू विपत्र के माध्यम से मिट्टी भराई मद में कि0मी0 2.50 से 3.00 कि0मी0 लीड के तहत कुल 58676.45 M^3 मिट्टी का भुगतान बिना सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के उपरांत किया जाना परिलक्षित होता है। जिससे स्वीकृत/एकरारित मिट्टी की मात्रा से 17587.58 घनमीटर अधिक मिट्टी की मात्रा का भुगतान किए जाने का मामला बनता है। इस प्रकार वरीय पदाधिकारी का निदेश एवं संहिता के प्रावधान के विपरीत स्वीकृत/एकरारित मिट्टी की मात्रा से 17587.58 घनमीटर मिट्टी का किया गया भुगतान नियमानुकूल नही होने एवं अनियमितता की श्रेणी में होने का मामला बनता है, जिसके लिए आप दोषी हैं।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में अधीक्षण अभियंता–सह–संचालन पदाधिकारी, बांध एवं गेट रूपांकन अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक–554 दिनांक–15.12.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्न बिंदुओं को निष्कर्षित किया गया है–

"विभागीय कार्यवाही के संचालन की तिथि–11.10.2018 20.11.2018 तथा 04.12.2018 के क्रम में आरोपी तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा जो साक्ष्य रखे गए हैं उससे स्पष्ट होता है कि आरोप वर्ष–2016 बाढ़ के पूर्व आरा शहर के सुरक्षा बांध के CH 86 से 166 के बीच कराए गए उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य जो एजेंडा सं0–133/354 के तहत कार्यान्वित किया गया है। इसमें 2.5 से 3.0 कि0मी0 लीड के अन्तर्गत कुल 41088.87 घनमीटर मिट्टी की मात्रा यांत्रिक साधन से ढुलाई करने की स्वीकृति थी। कार्य के दौरान 2.50 घनमीटर से 3.00 कि0मी0 लीड के अन्तर्गत कुल 58676.58 घनमीटर मिट्टी का भुगतान किया गया है। जो कि एकरारित मिट्टी की मात्रा से 17587.58 घनमीटर मिट्टी अधिक मात्रा है एवं यह एकरारित मात्रा से लगभग 42.80% अधिक मात्रा आता है। नियमतः इस अधिकाई मिट्टी की मात्रा का भुगतान करने के पूर्व सक्षम प्राधिकार जो विभागीय स्तर पर गठित है, से लिया जाना आवश्यक होता है परन्तु इसका अनुपालन नहीं हो सका है। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के द्वारा अपने पत्रांक–1372 दिनांक 31.05.2016 से इस कार्य हेतु एकरारित मद से अतिरिक्त 18029.73घनमीटर अर्थात कुल 59118.60 घनमीटर के लीड प्लान का अनुमोदन देते हुए एक निर्देश दिया गया था कि भुगतान सक्षम प्राधिकारी से विचलन की स्वीकृति के उपरांत नियमानुकूल किया जाए।

श्री कुमार द्वारा अपने पक्ष में कहा गया है कि उनके द्वारा जानबूझ कर गलत अभिप्राय से कार्य मद का भुगतान नहीं किया गया है एवं जितनी की राशि का भुगतान किया गया है वह एकरारित मद के अन्तर्गत ही है।

श्री कुमार द्वारा प्राप्त बचाव बयान के गहन समीक्षा के पश्चात आरोपी के द्वारा किसी राशि के जानबूझ कर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गबन किया जाना सिद्ध नहीं हो पा रहा है। संभवतः आरोपी द्वारा विभाग में समर्पित विचलन प्रस्ताव की स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान कर दिया गया है। जहाँ तक एकरारित मिट्टी की मात्रा से 17,587.58 घनमीटर अधिक मात्रा का भुगतान के नियमानुकूल नहीं होने एवं अनियमितता की श्रेणी का प्रश्न है तो अब जबकि विभाग द्वारा 17,587.58 घनमीटर मिट्टी की अतिरेक मात्रा में से 16824.86 घनमीटर की विचलन स्वीकृति दे दी गई है, तो अब मात्र 761.85 घनमीटर मिट्टी के भुगतान का प्रश्न अनुतरित रह जाता है। इस 761.85 घनमीटर मिट्टी की राशि कुल रू0 2,28,860/– मात्र है, जिसकी वसूली संवेदक को की जाने वाली शेष राशि से की जा सकती है एवं राजस्व की क्षति से बचा जा सकता है। इस पूरे मामले में यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हुआ है कि यद्यपि राशि का गबन नहीं किया गया है, परन्तु किए गए भुगतान नियमानुकूल नहीं होने एवं अनियमितता की श्रेणी में होने के मामले में प्रक्रियात्मक भूल आरोपी के स्तर पर हुई है, यह सिद्ध होता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की तकनीकी समीक्षा की गई। तकनीकी समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित उक्त मंतव्य से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–1716 दिनांक 08.08.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से की गई। श्री कुमार द्वारा अपने पत्रांक–0 दिनांक 09.09.2019 द्वारा विभाग को अपना जवाब समर्पित किया गया। प्राप्त जवाब के तकनीकी समीक्षा की गई।

इसी क्रम में श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, आरा के दिनांक 29.02.2020 को सेवानिवृत होने के बाद विभागीय अधिसूचना सं0–640 दिनांक 29.04.2020 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43बी के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

श्री कुमार द्वारा प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की तकनीकी समीक्षा निम्नवत है –

श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध बाढ़ वर्ष 2016 के पूर्व एजेंडा सं0–133/354 में आलोच्य कार्य के तहत 2.50कि0मी0 से 3.0कि0मी0 लीड से मिट्टी ढुलाई मद में बिना सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त किए एकरारनामा में प्रावधानित मात्रा 41088.00 घनमीटर के अतिरिक्त 17587.58 घनमीटर का अनियमित ढंग से 5वें चालू विपत्र के माध्यम से भुगतान करने के कारण प्रक्रियात्मक त्रुटि का आरोप है।

उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के समीक्षा कंडिका 7.2.0(A) एवं 7.3.0 (A) में एकरारित मात्रा 41088.87M^3 से 17587.58M^3 अधिक कार्य कराए जाने से हुए विचलन की स्वीकृति हेतु विभाग को भेजे जाने का उल्लेख है जिसकी सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति अपेक्षित बताया गया है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि विभागीय पत्रांक–4758 दिनांक 27.11.2018 द्वारा 17587.58 घनमीटर मिट्टी की अतिरेक मात्रा में से 16824.86 घनमीटर की विचलन स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दिनांक 27.11.2018 को दी गई है। शेष 762.72 घनमीटर मिट्टी की मात्रा की राशि की वसूली संवेदक को दी जाने वाली शेष राशि से की जा सकती है। जिससे राजस्व की क्षति से बचा जा सके। पांचवे चालू विपत्र के मापपुस्त में संवेदक को Limit कर भुगतान किए जाने से पांचवे चालू विपत्र तक अतिरिक्त मिट्टी कार्य की मात्रा सहित कराए गए कुल रू0 1,80,95,683/– (एक करोड़ अस्सी लाख पंचानवे हजार छः सौ तिरासी) में से 10% कम दर पर कार्य आंवटित होने एवं Royality कटौती उपरांत कार्य की कुल राशि रू0 1,64,15201/– (एक करोड चौसठ लाख पन्द्रह हजार दो सौ एक) रूपये के विरूद्ध मात्र 1,54,56,151/– (एक करोड चौवन लाख छप्पन हजार एक सौ एकावन) की भुगतान होने से अधिकाई भुगतान होने का मामला नहीं बनता है। संवेदक द्वारा एकरारित मद से कराए गए अधिक कार्य को पंचम चालू विपत्र के माध्यम से किए गए भुगतान के समय कार्य की मात्रा मापपुस्त से अंकित कर एकरारित मात्रा तक सीमित कर देना चाहिए था ताकि सक्षम प्राधिकार से विचलन स्वीकृति उपरांत भुगतान किया जाता, परन्तु मापपुस्त में कराए गए कार्य के मद संख्या–2 को एकरारित मात्रा तक सीमित नहीं किया गया। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी का यह बचाव बयान की जितनी राशि का भुगतान किया गया वह एकरारित मद के अन्तर्गत है, सही है। परन्तु मद सं0–2 में एकरारित मद से 42.80% की बढोतरी का विचलन का प्रस्ताव विभाग द्वारा दिनांक 27.11.2018 को स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व ही पंचम चालू विपत्र के माध्यम से दिनांक 06.10.2016 को भुगतान किए जाने से नियमों/संहिता का अनुपालन नहीं होने से प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रमाणित होता है एवं विभाग द्वारा स्वीकृत विचलन के अनुसार भुगतान करते हुए मापपुस्त में 762.72M^2 अतिरिक्त मिट्टी (कुल मिट्टी का 1.3%) की मात्रा की कटौती संवेदक के अगले विपत्र से कर लिए जाने की कार्रवाई संबंधित निदेश मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना को दिया गया।

उक्त समीक्षा के आलोक में श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पदस्थापन काल में बाढ़ वर्ष 2016 के पूर्व एजेंडा सं0–133/354 के तहत एकरारनामा सं0–3F2/2015-16 के अन्तर्गत आरा शहर सुरक्षा बांध के CH-86 से 166 के बीच कराए गए उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य एवं सलेमपुर ग्राम के पास BKG बांध CH 37.30 से 44.00 में कराए गए कटाव निरोधक कार्य की पंचम चालू विपत्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकार से विचलन प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त किए बिना संवेदक को भुगतान किए जाने से नियमों/संहिता का अनुपालन नहीं होना परिलक्षित होता है, जिससे प्रक्रियात्मक त्रुटि का आरोप प्रमाणित होता है।

अतएव श्री शैलेन्द्र कुमार, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के तकनीकी समीक्षा के आलोक में अस्वीकृत करते हुए प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए आरोप प्रमाणित माना गया है। प्रमाणित आरोप के लिए श्री शैलेन्द्र कुमार, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को निम्न दण्ड अधिरोपित करने हेतु प्रस्तावित किया गया :–

"10% पेंशन पर 2 वर्षों तक कटौती"।

उक्त दण्ड के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग का पत्रांक–3877 दिनांक 16.03.2022 द्वारा सहमति प्राप्त है।

अतएव श्री शैलेन्द्र कुमार (आई0डी0–3803) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है –

"10% पेंशन पर 2 वर्षों तक कटौती"।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजीव कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

---

26 अप्रील 2022

सं0 22/नि0सि0(दर0)16–03/2014–973––श्री मनोज कुमार (आई0डी0–5205) तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना द्वारा अपने उक्त पदस्थापन काल में बरती गई अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल द्वारा की गई। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–2037 दिनांक 16.11.17 द्वारा श्री कुमार से आरोप पत्र के साथ स्पष्टीकरण किया गया।

आरोप सं0–1– उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन एवं माप पुस्त से स्पष्ट होता है कि दोनो एकरारनामा यथा 1SBD/2008-09 एवं 2SBD/2008-09 का क्रमशः 6वें एवं 9वें चालू विपत्र 30.03.11 के कार्यपालक अभियंता द्वारा पारित करते हुए भुगतान किया गया है। स्पष्टतः जून 2010 तक कराये गये सारे कार्यों की मापी लेकर ही मार्च 2011 में दोनों

एकरारनामा के कार्यों का विपत्र तैयार किया गया है तो जुलाई 2013 में बिना कार्य कराये ही बिना मापी लिए एवं बिना अंतिम विपत्र तैयार किये ही जून 2010 तक कराये गये कार्य की मात्रा में बढोतरी कैसे संभव है ?

इससे स्पष्ट है कि आप के द्वारा बिना कार्य कराये ही जुलाई 2013 में मनमाने ढंग से निजी स्वार्थवश संवेदक को लाभ पहुँचाने के लिए जून 2010 के पूर्व कराये गये कार्यों के विभिन्न मदों में बढ़ा–चढ़ाकर तुलनात्मक विवरणी समर्पित किया गया। जिसके लिए आप दोषी है।

आरोप सं0–2–कार्यपालक अभियंता के द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में आपको बार–बार कार्य की अंतिम मापी लेकर अंतिम विपत्र समर्पित करने का निदेश दिया जाता रहा परन्तु आपके द्वारा अंतिम विपत्र समर्पित नहीं किया गया। फलतः आपके द्वारा समर्पित तुलनात्मक विवरणी को कार्यपालक अभियंता द्वारा सही मानकर जमानत की राशि एवं समयवृद्धि मद में काटी गयी राशि को विमुक्त कर दिया गया। जो अनियमित है। अतएव उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने एवं सरकारी राशि के गबन की साजिश करने तथा कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए आप दोषी प्रतीत होते हैं।

श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर विभाग में समर्पित किया गया। विभागीय निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा बार–बार निदेश देने के बावजूद भी दोनों एकरारनामा के तहत कराये गये कार्यों का अंतिम मापी लेते हुए अंतिम विपत्र तैयार नहीं करने के संबंध में कहा गया है कि दोनों एकरारनामा के कार्यों में पायी गयी त्रुटियों का निराकरण Defect Liability Period के तहत संवेदक को कराना था। परन्तु बार–बार निदेश के बावजूद संवेदक द्वारा निराकरण नहीं करने के कारण अंतिम विपत्र तैयार किया जाना संभव नहीं था। स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि जून 2010 के पश्चात कार्य बन्द था। जबकि अंतिम मापी लेकर अंतिम विपत्र तैयार करने का आदेश वर्ष 2013 में दिया गया। ऐसी स्थिति में त्रुटिपूर्ण कार्य को छोड़कर विशिष्टि के अनुरूप कराये गये कार्यो की मापी लेकर अंतिम विपत्र तैयार करना इनका दायित्व था। जिसका पालन नहीं किया गया। इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अवर प्रमंडल में उपलब्ध मापपुस्त में पन्ना खाली नहीं रहने एवं कार्यपालक अभियंता से मापपुस्त निर्गत करने के अनुरोध करने के बावजूद भी मापपुस्त निर्गत नहीं होने के कारण अंतिम विपत्र तैयार नहीं किया जा सका। यह एक बहानाबाजी प्रतीत होता है क्योंकि इनके द्वारा मापपुस्त सं0–700 के पेज 55 तक ही 7वाँ चालू विपत्र तैयार किया गया है जिससे परिलक्षित होता है कि मापपुस्त सं0–700 में पृ0 56–से पृ0 100 तक के पेज खाली था। कार्यपालक अभियंता द्वारा मापपुस्त निर्गत नहीं किये जाने की स्थिति में अवर प्रमंडल से लेवल बुक निर्गत कर पोस्ट लेवल लेकर प्रमंडल में समर्पित करना इनका दायित्व था। ऐसे भी इनके द्वारा अवर प्रमंडल से निर्गत सभी मापीपुस्त का विवरणी नहीं दिया गया है। फलतः श्री कुमार द्वारा दिये गये तर्क कि मापपुस्त के अभाव में कार्य का अंतिम मापी लेकर अंतिम विपत्र तैयार नहीं किया जा सका। स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। अतः विभागीय पत्रांक–1283 दिनांक 04.10.13 में निहित निदेश एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा बार–बार दिये गये आदेश का उल्लंघन करते हुए अंतिम विपत्र समर्पित नहीं करने के लिए श्री कुमार दोषी पाए गये।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए मामले के सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध **"एक (01) वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री मनोज कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता (आई0डी0–5205) पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–865 दिनांक 18.08.2021 द्वारा **"एक (01) वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा विभाग में पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षोपरांत आरोपों से संबंधित कोई भी नया तथ्य/साक्ष्य नहीं पाये जाने के कारण इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री मनोज कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खटौना के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–865 दिनांक 18.08.2021 द्वारा अधिरोपित **"एक (01) वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** को बरकरार रखते हुए श्री कुमार के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है। उक्त निर्णय में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

4 मई 2022

सं0 22/नि0सि0(भाग0)09–03/2014–1023––श्री रामलखन रजक (आई0डी0–जे 8019), तत0 कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, गरही संप्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध सुनिश्चित एवं सघन रोजगार योजना के तहत उपलब्ध करायी गयी राशि से किये गये कार्यों में बरती गई अनियमितता के लिए निगरानी तकनीकी परीक्षक कोषांग के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–2474 दिनांक 05.11.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। श्री रजक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

श्री रामलखन रजक, तत्कालीन कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, गरही के पदस्थापन काल में जिला मद से सुनिश्चित एवं सघन रोजगार योजना के तहत समाहर्त्ता, जमुई द्वारा सीधे सिंचाई प्रमंडल, गरही को उपलब्ध कराई गई राशि में किये गये कार्यो में हुई गड़बड़ी के संदर्भ में तकनीकी निगरानी परीक्षक कोषांग, पटना के जाँच प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को आपराधिक कांड दर्ज करने एवं जल संसाधन विभाग को संबंधित अभियंताओं पर विभागीय कार्यवाही चलाने के निदेश के क्रम में, निगरानी थाना कांड सं०–36/2006 दिनांक 30.06.2006 दर्ज

किया गया एवं पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरों के पत्रांक–444 दि० 28.02.2014 से उपलब्ध कराये गये अभिलेखों पर श्री रजक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संकल्प सं०–2475 दिनांक 05.11.2015 द्वारा संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री रजक से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, जिसके प्रत्युत्तर के समीक्षोपरान्त मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर से आरोप सं०–2 पर मंतव्य की माँग की गयी। मुख्य अभियंता, भागलपुर के पत्रांक–1549 दिनांक 19.12.2020 द्वारा मंतव्य समर्पित किया गया है।

विभागीय आदेश सं०–87 सहपठित ज्ञापांक–1615 दिनांक 30.07.2019 द्वारा श्री रजक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को दिनांक 31.03.2019 को इनके सेवानिवृति के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया है।

आरोप पत्र के आधार पर आरोप के बिन्दु निम्नवत् है :–

(i) कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, गरही में पदस्थापन काल में आप उक्त प्रमंडल के अधीन विभागीय चालू परियोजना में अपने आवंटित कार्य को करने के लिए अधिकृत थे परन्तु बिना विभागीय आदेश प्राप्त किये आपने अपने कार्यक्षेत्र की सीमा का उल्लंघन कर स्वेच्छापूर्वक जमुई जिला प्रशासन की सुनिश्चित एवं सघन रोजगार योजना के तहत कार्यो को अपने हाथ में लिया जबकि विभागीय कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं करने का सरकार का स्पष्ट एवं विशिष्ट अनुदेश था।

इस प्रकार आपके द्वारा एक ओर विभागीय कार्यो की उपेक्षा की गई तो दूसरी ओर विभाग से पूर्व अनुमति लिए बिना आपके द्वारा विभाग के बाहर जिला प्रशासन के कार्यो को अपने हाथ में लेकर घोर अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का कार्य किया गया है जिसके लिए आप दोषी है।

(ii) जमुई जिला प्रशासन की सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत गरही ग्राम पंचायत अन्तर्गत हारोडीह ग्राम में चेक डैम निर्माण कार्य के स्थल जाँच में मात्र 4374 वर्ग फीट स्टोन पीचिंग का कार्य किया हुआ पाया गया, जबकि माप पुस्तिका में आपके द्वारा 16220 वर्गफीट स्टोन पीचिंग को अंकित किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वास्तविक स्टोन पीचिंग कार्य की मात्रा से अत्यधिक स्टोन पीचिंग कार्य की मात्रा का भुगतान किया गया है जिससे सरकारी राजस्व की क्षति हुई एवं इसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी है।

(2) **मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर से प्राप्त मंतव्य :–**

मुख्य अभियंता, भागलपुर से आरोप सं०–2 के संदर्भ में मंतव्य की माँग की गयी थी जो निम्नवत् हैः–

उक्त मामले से संबंधित अभिलेख, माप पुस्त एवं कैशबुक, निगरानी जाँच ब्यूरो भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर द्वारा जब्त कर लिया गया है। इस कारण मंतव्य/प्रतिवेदन उपलब्ध कराने में कठिनाई है।

बोल्डर पीचिंग की मात्रा प्राक्कलन के अनुरूप नहीं है एवं पूर्व में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर द्वारा की गयी जाँच में पाया गया स्टोन पीचिंग की मात्रा सही प्रतीत होती है।

समीक्षा–01 :– श्री रामलखन रजक, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं तत्पश्चात श्री रजक से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर के समीक्षोपरान्त श्री रजक द्वारा बिना विभागीय आदेश प्राप्त किये अपने कार्यक्षेत्र की सीमा का उल्लंघन कर घोर अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का कार्य किये जाने के लिए दोषी परिलक्षित होने एवं विभागीय कार्यो की उपेक्षा किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं रहने के कारण आरोप सं०–01 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है।

समीक्षा–02 :– श्री रामलखन रजक, तत्कालीन कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, गरही के विरूद्ध संचालित कार्यवाही के फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं तत्पश्चात श्री रजक से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर के समीक्षा के क्रम में श्री रजक के सिंचाई प्रमंडल, गरही अन्तर्गत पदस्थापन काल में जिला मद से सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत हारोडीह ग्राम में चेक डैम निर्माण कार्य में बोल्डर पिचिंग कार्य से संबंधित माप पुस्त सं०–1 के पृ० सं० 40–52 एवं माप पुस्त सं०–14 के पृ० सं० 42–45 में श्री रजक का हस्ताक्षर नहीं पाया गया है। साथ ही तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित माप पुस्त सं० 02 एवं माप पुस्त सं० 12 अनुपलब्ध है। इस संदर्भ में मुख्य अभियंता, भागलपुर से विभागीय पत्रांक 253 दि० 30.01.2019 द्वारा मंतव्य की माँग की गयी। जिसके आलोक में मुख्य अभियंता, भागलपुर के पत्रांक 2226 दि० 01.10.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "विषयांकित मामले की निगरानी जाँच हेतु निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर द्वारा संबंधित सभी अभिलेख, माप पुस्त एवं कैशबुक इत्यादि जब्त कर लिया गया है।" फलस्वरूप अभिलेख के अभाव में मंतव्य उपलब्ध कराने में कठिनाई का जिक्र किया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक 2623 दि० 18.12.2019 द्वारा मुख्य अभियंता से अनुरोध किया गया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर जब्त अभिलेखों की मूल प्रति/छायाप्रति प्राप्त कर यथाशीघ्र मंतव्य उपलब्ध कराये। जिसके आलोक में मुख्य अभियंता, भागलपुर के स्तर से त्रिसदस्यीय समिति गठित कर मामले की जाँच कराते हुए अपने पत्रांक 1549 दि० 19.12.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर ने अपने पत्रांक 1549 दिनांक 19.12.2020 द्वारा त्रिसदस्यीय कमिटी के जाँचोपरान्त मंतव्य दिया है कि उक्त मामले में बोल्डर पीचिंग की मात्रा प्राक्कलन के अनुरूप नहीं है एवं पूर्व में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर द्वारा की गई जाँच में पाया गया स्टोन पीचिंग की मात्रा सही प्रतीत होती है। मुख्य अभियंता के मंतव्य पर आरोप बनता प्रतीत होता हैं।

निष्कर्ष–01 :– समीक्षा कंडिका 01 के आलोक में श्री रामलखन रजक, तत्कालीन कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, गरही के पदस्थापन काल में बिना विभागीय आदेश प्राप्त किये अपने कार्य क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन कर घोर अनुशासनहीनता एवं

स्वेच्छाचारिता का कार्य किये जाने के लिए दोषी परिलक्षित होने एवं विभागीय कार्यों की उपेक्षा किये जाने का साक्ष्य नहीं रहने के कारण आरोप सं०–1 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

निष्कर्ष–02 :– समीक्षा कंडिका–02 के आलोक में श्री रामलखन रजक, तत्कालीन कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, गरही के पदस्थापन काल में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत हारोडीह ग्राम में चेक डैम निर्माण में वास्तविक स्टोन पिचिंग कार्य की मात्रा 4374 वर्गफीट के विरूद्ध माप पुस्त में 16220 वर्गफीट अंकित कर भुगतान किये जाने के मामले में आरोप प्रमाणित माना जा सकता है।

उपर्युक्त मामले में, पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा भी निगरानी थाना कांड सं0–036/2006 दिनांक–30.06.2006 में श्री रामलखन रजक, तत0 कनीय अभियंता संप्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध आरोप सं0–46/2020 दिनांक–13.10.2020 धारा 420/409/465/467/477ए/120बी भा0द0वि एवं धारा 13(2) सह–पठित धारा 13(1)(सी)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 के अन्तर्गत माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी भागलपुर के न्यायालय में समर्पित किया गया है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यो के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार के स्तर पर प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रामलखन रजक (आई0डी0–जे 8019), तत0 कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, गरही संप्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध निम्नांकित दण्ड देने का निर्णय लिया गया है –

'50% (पचास प्रतिशत) पेंशन पर स्थायी रूप से रोक'।

उपर्युक्त विनिश्चत दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–1411 दिनांक 05.11.2021 तथा पत्रांक–517 दिनांक 09.03.2022 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गई। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–194 दिनांक 20.04.2022 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है।

वर्णित स्थिति में श्री रामलखन रजक (आई0डी0–जे 8019), तत0 कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, गरही संप्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है।

'50% (पचास प्रतिशत) पेंशन पर स्थायी रूप से रोक'।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार अरूण, अवर सचिव।

---

5 मई 2022

सं0 22/नि0सि0(सिवान)11–02/2021–1034––श्री अशोक कुमार सिंह (आई0डी0–जे 7460) तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, इसुआपुर के पदस्थापन काल के दरम्यान मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान के पत्रांक–942 दिनांक 16.05.2019 द्वारा सारण नहर प्रमंडल, छपरा के सरकारी वाहन रजि सं0–BR04Q-5423 (बोलेरो) की चोरी श्री सिंह के निजी आवास पटना से हो जाने संबंधी प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया। तत्पश्चात विभागीय पत्र के आलोक में मुख्य अभियंता के पत्रांक–781 दिनांक 04.05.2021 के माध्यम से उक्त वाहन चोरी की तिथि (दिनांक 02.04.2019) को उक्त वाहन का कीमत का निर्धारण 2,50,780/– (दो लाख पचास हजार सात सौ अस्सी) रूपये निर्धारित किये जाने संबंधी जिला परिवहन कार्यालय, सारण, छपरा के पत्रांक–392 दिनांक 13.04.2021 की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान से प्राप्त उक्त प्रतिवेदनों के आलोक में श्री सिंह से विभागीय पत्रांक–978 दिनांक 01.09.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के क्रम में श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्रांक–01 दिनांक 21.10.2021 समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर की समीक्षोपरांत उक्त वाहन चोरी होने के फलस्वरूप हुए आर्थिक क्षति एवं लापरवाही बरतने के लिए विभाग स्तर से गठित आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–538 दिनांक 10.03.2022 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

उक्त के क्रम में श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण प्रत्युत्तर (पत्रांक–शून्य दिनांक 02.04.2022) में निम्नलिखित बातें कही गयी :–

उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब होने की सूचना मिलने के बाद उन्हें जल्दी से जल्दी पटना पहुंचना था। इसलिए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति संबंधी पत्र विशेष दूत के माध्यम से भेजवाने के बाद स्थानीय बाजार इसुआपुर में प्राइवेट गाड़ी का काफी खोजबीन किया। चूँकि छोटा जगह, चुनावी माहौल तथा शादी ब्याह का अवसर होने के कारण वक्त पर प्राइवेट गाड़ी नहीं मिली। उस समय इनके द्वारा तीन अवर प्रमंडलों के कार्यों के निष्पादन के साथ–साथ चुनाव कार्य के सेक्टर पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन भी किया जा रहा था। उसी समय इनकी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती थी जिसके कारण ये मानसिक तनाव में थे। इस प्रकार विवश होकर विशेष परिस्थिति में मानवता के आधार पर ये सरकारी वाहन संख्या BR–04Q–5423 बोलेरो का निजी उपयोग के तहत संलग्न चालक के साथ उन्हें पटना जाना पड़ा जिसका उल्लेख वाहन के लॉग बुक में इनके द्वारा किया गया।

पत्नी की तबीयत सही न पाकर इन्हें रात्रि में ठहरना पड़ा। रात्रि में गाड़ी इनके निवास स्थान के अंदर चारदीवारी में थी। चारदीवारी में लगे ग्रिल गेट में ताला बंद था जिसे तोड़कर गाड़ी की चोरी की गई। चोरी की सूचना अगमकुँआ थाना, पटना में कांड संख्या 321/19 दिनांक 02.04.2019 भा०द०वि० 379 के तहत दर्ज है। चोरी किए गए उक्त विभागीय वाहन के संदर्भ में माननीय न्यायालय (A.C.J.M 1st, Patna City) द्वारा पारित न्यायिक आदेश की प्रति संलग्न किया गया

है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि वाहन के ह्रासित मूल्य रु० 2,50,780/– (दो लाख पचास हजार सात सौ अस्सी रुपये) मात्र की वसूली करना चाहें तो इसकी उनकी वेतन से 20 (बीस) बराबर किस्तों में कर ली जाए।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि रात्रि में गाड़ी श्री सिंह के निवास स्थान के अंदर चारदीवारी में थी। चारदीवारी में लगे ग्रिल गेट में ताला बंद था जिसे तोड़कर गाड़ी की चोरी की गई। चोरी की सूचना संबंधित थाना पटना में कांड संख्या 321/19 दिनांक 02.04.2019 भा०द०वि० 379 के तहत दर्ज की गयी। इस संदर्भ में चोरी गए विभागीय वाहन संख्या BR–04Q–5423 के मामले में माननीय न्यायालय (A.C.J.M.1st, Patna City) द्वारा पारित न्यायिक आदेश में निम्न तथ्य उल्लेखित है,

"It is found that the instant case was registered u/s 379 of I. P. C. against unknown. From perusal of the case diary it is found that the I.O. has submitted the final report finding this case true but no clue and accordingly, the final report has been submitted."

श्री सिंह, सहायक अभियंता द्वारा अपने बचाव वयान में यह भी कहा गया है कि वाहन के ह्रासित मूल्य रु० 2,50,780 (दो लाख पचास हजार सात सौ अस्सी रुपये) मात्र की वसूली उनके वेतन से 20 (बीस) बराबर किस्तों में कर ली जाए। उल्लेखनीय हे कि श्री सिंह से उक्त राशि की वसूली के बिन्दु पर एवं उनका आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के अनुकूल नहीं होने के संबंध में ही स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी।

उक्त तथ्यों के आलोक में यह पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध सरकारी वाहन चोरी हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 02.04.2019 की तिथि में वाहन का ह्रासित मूल्य 2,50,780/– (दो लाख पचास हजार सात सौ अस्सी रुपये) मात्र की क्षति संबंधी आरोप प्रमाणित होता है। साथ ही, सरकारी वाहन उनके निजी प्रयोग में लाए जाने के क्रम में पटना स्थित उनके निजी आवास से चोरी हो जाने में उनके विरूद्ध लापरवाही का आरोप भी प्रमाणित होता है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री अशोक कुमार सिंह (आई0डी0–जे 7460) तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, इसुआपुर के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया :–

(i) सरकारी वाहन संख्या BR–04Q–5423 बोलेरो के ह्रासित मूल्य रु० 2,50,780/– (दो लाख पचास हजार सात सौ अस्सी) मात्र की सम्पूर्ण राशि की वसूली उनके वेतन से की जाए।

(ii) भावी देय प्रोन्नति पर एक वर्ष के लिए रोक।

(iii) एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अशोक कुमार सिंह (आई0डी0–जे 7460) तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, इसुआपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–01, खगौल, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है :–

(i) सरकारी वाहन संख्या BR–04Q–5423 बोलेरो के ह्रासित मूल्य रु० 2,50,780/– (दो लाख पचास हजार सात सौ अस्सी) मात्र की सम्पूर्ण राशि की वसूली उनके वेतन से की जाए।

(ii) भावी देय प्रोन्नति पर एक वर्ष के लिए रोक।

(iii) एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

18 मई 2022

सं0 22/नि0सि0(मुज0)–06–13/2010–1149––श्री प्रद्युम्न शर्मा (आई0डी0 सं०–3691), तत्कालीन सहायक अभियंता, जल पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को उनके उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान बोल्डर आपूर्ति एवं उसके विरूद्ध किये गये भुगतान में बरती गई अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल, पटना द्वारा की गई। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। तदोपरांत विभागीय पत्रांक–2289, दिनांक 06.10.2015 द्वारा श्री प्रद्युम्न शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा गया एवं तत्पश्चात विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं०–1466, दिनांक 22.07.16 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) में विहित रीति से निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :–

आरोप :– जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत जलपथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के केन्द्रीय भण्डार में 5000 घनमी0 बोल्डर भण्डारण के लिए विभागीय पत्रांक–83 दिनांक–13.01.2010 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई। इसका व्यय गैर योजना मद शीर्ष 2711 में भारित किया जाना था। 5000 घनमी0 बोल्डर की आपूर्ति के लिए संवेदक मेसर्स दीप शिखा कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 को कार्य आवंटित किया गया। संवेदक द्वारा 5440.47 घनमी0 बोल्डर की आपूर्ति की गई। जो एकरारित मात्रा से 8.81 प्रतिशत अधिक है। गैर योजना मद में एकरारित मात्रा में वृद्धि अनुमान्य नहीं है। अतः निम्न आरोप के लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी हैं :–

(1) एकरारित मात्रा से अधिक मात्रा में लिये गये बोल्डर आपूर्ति एवं इसके विरूद्ध किये गये भुगतान को अनियमित माना गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री शर्मा, तत0 सहायक अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपित के लिए विभागीय पत्रांक–845 दिनांक–05.06.2017 द्वारा श्री शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता को संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग की गई।

उक्त के आलोक में श्री शर्मा, तत्का0 सहायक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–1034 दिनांक–04.09.2017 से द्वितीयकारण पृच्छा का जवाब विभाग में समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी, समीक्षोपरांत निम्न तथ्य पाये गये :–

आरोप का मुख्य बिन्दु है कि विभागीय पत्रांक–83, दिनांक 13.01.2010 के 5000 घनमीटर केन्द्रीय भंडार जल पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर बोल्डर भंडारण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसका व्यय गैर योजना मद शीर्ष 2711में भारित किया जाना था। परन्तु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं०–948, दिनांक 16.07.1986 के विपरीत गैर योजना मद में एकरारित मात्रा से अधिक कुल 5440.47 घनमीटर बोल्डर की आपूर्ति लेने एवं अनियमित भुगतान करने से संबंधित है।

उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 5.1.5 में नियम के विरूद्ध एकरारित मात्र से अधिक मात्रा में किये गये बोल्डर आपूर्ति एवं इसके विरूद्ध किये गये अनियमित भुगतान करने के लिए कार्य में संलग्न कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को जिम्मेवार माना गया है।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं०–948, दिनांक 16.07.1986 के कंडिका 8.1.2 के अनुसार गैर योजना मद के तहत मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य के प्राक्कलन जो चालु अनुसूचित दर पर बनाये गये हो उसके उपर किसी प्रकार की बढ़ोतरी अनुमान्य नहीं है। किसी स्तर के भी पदाधिकारी राशि से अधिक खर्च करने के लिए सक्षम नहीं होगे। ऐसे कार्यों के कार्य मद की मात्रा में किसी प्रकार की बढ़ोतरी अनुमान्य नहीं होगी। निविदा निस्तार में भी कार्य बढ़ोतरी अनुमान्य नहीं होगा।

इस संदर्भ में अभियंता प्रमुख से प्रश्नगत कार्य बोल्डर आपूर्ति का कार्य को मूल कार्य मानते हुए दर एवं मात्रा में वृद्धि अनुमान्य है अथवा नहीं के संदर्भ में मंतव्य की मांग की गई। अभियंता प्रमुख द्वारा मंतव्य के रूप में अंकित किया गया कि "संदर्भित मामले में गैर योजना शीर्ष 2711 के अन्तर्गत बोल्डर भंडारण का प्रस्ताव था। इस शीर्ष के अन्तर्गत कार्य कराने के संदर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं०–948, दिनांक 16.07.1986 के कंडिका 8.1.2 में उल्लेखित नियम लागु होते है।

संचालन पदाधिकारी के द्वारा भी कार्य हित में एकरारित मात्रा से अधिक मात्रा में बोल्डर आपूर्ति लेने की बाध्यता नहीं होने एवं बिना उच्चाधिकारी के आदेश प्राप्त किये ही संवेदक के लाभ पहुँचाने के लिये एकरारित मात्रा से अधिक मात्रा में लिये गये बोल्डर आपूर्ति एवं अनियमित भुगतान करने के आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। आरोपी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में लगभग वही तथ्य एवं साक्ष्य दिया गया है। जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष विभागीय कार्यवाही के दौरान दिया गया है एवं कहा गया है कि –

(क) आपूर्ति लिये गये बोल्डर की मात्रा एवं गुणवता पर कोई विवाद नहीं है। बोल्डर की आपूर्ति मात्रा के विरूद्ध एकरारित दर पर भुगतान करने की अनुशंसा की गयी थी।

(ख) बोल्डर आपूर्ति होते हुए इसके केन्द्रीय गोदाम में भंडारण के कार्य को मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य नहीं माना जा सकता है। अतः एकरारित मात्रा में वृद्धि को अनुमान्य नहीं किये जाने का कोई कारण नहीं है।

उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 5.1.5 के अंतिम पारा से स्पष्ट होता है कि एकरारित मात्रा कुल 5000 घनमीटर आपूर्ति बोल्डर को चम्पारण प्रमंडल मोतिहारी एवं बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा को हस्ताक्षरित किया गया। उक्त के आलोक में आरोपी का कथन की आपूर्ति मात्रा पर कोई विवाद नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है तथा मापपुस्त सं०–3465, के पेज 32 से स्पष्ट है कि कुल आपूर्ति बोल्डर की मात्रा 5440.47 घनमीटर को एकरारित दर 2207.30+6% प्रति घनमीटर की दर से कुल 1,27,29,274 रूपये का भुगतान किया गया है। अतएव आरोपी का कथन की आपूर्ति बोल्डर का एकरारित दर पर भुगतान किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है। परन्तु जहाँ तक अनियमित भुगतान का प्रश्न है इनके द्वारा एकरारित मात्रा से कुल 440.47 घनमीटर अधिक बोल्डर की आपूर्ति ली गई । उक्त बोल्डर आपूर्ति का एकरारित दर पर मूल रूपये 10.306लाख होता है। परन्तु अनुसूचित दर पर यह राशि रू0 9.722 लाख होता है। इस प्रकार एकरारित मात्रा से अधिक ली गई बोल्डर को एकरारित दर 6 प्रतिशत अधिक दर पर भुगतान किये जाने के कारण रूपये 58349/– का अधिक भुगतान का मामला बनता है। आरोपी का कथन है कि केन्द्रीय भंडार में बोल्डर भंडारण के कार्य को मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य नहीं माना जा सकता है को स्वीकार योग्य नहीं माना गया है क्योंकि उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 5.1.5 अभियंता प्रमुख का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में नियम के विरूद्ध एकरारित मात्रा से अधिक मात्रा बोल्डर आपूर्ति लेने एवं तदनुरूप भुगतान करने के लिए श्री शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता दोषी हैं। अतएव आरोप प्रमाणित होता है।

समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रद्युम्न शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्शोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0–1876 दिनांक–30.08.2018 से निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया :–

"एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री प्रद्युम्न शर्मा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी विभाग में समर्पित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

सहायक अभियंता भुगतान करने वाला पदाधिकारी नहीं है, अपितु कराये गये/ली गई आपूर्ति की मात्रा का वास्तविकता के आधार पर विपत्र का निर्माण किया जाता है। आपूरित मात्रा एकरारित मात्रा से मात्र 8.81 प्रतिशत अधिक है, जिस हेतु कार्यपालक अभियंता बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 294 (iv) के तहत सक्षम प्राधिकार है।

कार्यपालक अभियंता द्वारा विभागीय आदेश सं० 83 दिनांक 13.01.2010 में निहित आदेश के क्रम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य हेतु बोल्डर का सुरक्षित भंडारण हेतु 5000 घनमीटर एवं प्रावधानित राशि 127.50 लाख के तहत आपूर्ति लिया जाना था। उक्त बोल्डर का प्रयोग आगामी बाढ़ के पूर्व कराये जाने वाले बाढ सुरक्षात्मक कार्यों में किया जाना था। एकरारनामा की एकरारित दर अनुसूचित दर से कम रहने के कारण बची हुई राशि से उच्चाधिकारियों के निदेश के आलोक में 8.81 प्रतिशत अतिरिक्त बोल्डर की मात्रा की आपूर्ति गई थी। इस हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया था एवं अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई थी। उक्त के क्रम में मुख्य अभियंता मुजफ्फरपुर के पत्रांक सह ज्ञापांक 865 दिनांक 27.03.2010 द्वारा अवशेष राशि के विरूद्ध ली जाने वाली बोल्डर की मात्रा का 10 प्रतिशत से कम रहने के कारण सक्षम प्राधिकार को नियमानुकूल अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि ली गयी अतिरिक्त मात्रा पर उच्चाधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं थी। कार्य की स्वीकृति भले ही गैर योजना मद शीर्ष 2711–0003 से दी गयी थी, परन्तु कार्य योजना मद की थी। यह कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मत मद का नहीं था। गैर योजना मद में अनुरक्षण एवं कार्य हेतु निर्धारित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता है। कार्य मद की मात्रा से अधिक व्यय नही किए जाने से संबंधित किसी नियम की जानकारी मुझे नहीं है। अतः मदवार मात्रा पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। निर्धारित राशि के अन्तर्गत नियमानुकूल कार्य कराने हेतु कार्रवाई करते हुए 8.81 प्रतिशत मात्रा का अतिरिक्त आपूर्ति उच्चाधिकारियों के निर्देश के आलोक में ली गई थी।

अतिरिक्त मद की स्वीकृति देने वाले सक्षम प्राधिकार तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री हरीश कुमार सिंह को इन्ही आरोप के लिए समीक्षोपरान्त शीर्ष 2711 के तहत नियम के विरूद्ध एकरारित मात्रा से अधिक मात्रा के लिए गये बोल्डर की अपूर्ति का आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण उन्हें लघु जल संसाधन विभाग के पत्रांक 1747 दिनांक 15.05.2020 द्वारा आरोप मुक्त कर दिया गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री हरीश कुमार सिंह को आरोप मुक्त किये जाने के फलस्वरूप एवं नये तथ्यों के प्रकाश में आने के कारण इनके द्वारा अपने विरुद्ध संसूचित दंड को विलोपित करने का अनुरोध किया गया है।

श्री प्रद्युम्न शर्मा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत निम्न तथ्य पाये गये :–

श्री शर्मा द्वारा कहा गया है कि ली गई आपूर्ति की मात्रा का वास्तविकता के आधार पर विपत्र समर्पित किया गया है। आपूरित मात्रा एकरारित मात्रा से मात्र 8.81 प्रतिशत अधिक है, जिस हेतु कार्यपालक अभियंता बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 294 (iv) के तहत सक्षम प्राधिकार है।

श्री शर्मा द्वारा उल्लेखित किया गया है कि एकरारनामा की एकरारित दर अनुसूचित दर से कम रहने के कारण बची हुई राशि से उच्चाधिकारियों के निदेश के आलोक में 8.81 प्रतिशत अतिरिक्त बोल्डर की मात्रा की आपूर्ति की गई थी। इस हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया था एवं अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई थी। उक्त के क्रम में मुख्य अभियंता मुजफ्फरपुर द्वारा अवशेष राशि के विरूद्ध ली जाने वाली बोल्डर की मात्रा का 10 प्रतिशत से कम रहने के कारण सक्षम प्राधिकार को नियमानुकूल अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि ली गयी अतिरिक्त मात्रा पर उच्चाधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं थी।

श्री शर्मा द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि अतिरिक्त मद की स्वीकृति देने वाले सक्षम प्राधिकार तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री हरीश कुमार सिंह को इन्हीं आरोप के लिए समीक्षोपरान्त शीर्ष 2711 के तहत नियम के विरूद्ध एकरारित मात्रा से अधिक मात्रा के लिए गये बोल्डर की आपूर्ति का आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण उन्हें लघु जल संसाधन विभाग के पत्रांक 1747 दिनांक 15.05.2020 द्वारा आरोप मुक्त कर दिया गया है।

श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप का मुख्य अंश है कि गैर योजना मद में एकरारित मात्रा में वृद्धि अनुमान्य नहीं है। अतएव एकरारित मात्रा से अधिक लिये गये बोल्डर आपूर्ति एवं इसके विरुद्ध किये गये अनियमित भुगतान के लिये इन्हें दोषी पाया गया है। विभागीय अधिसूचना सं० 133 दिनांक 02.02.2021 जिसमें श्री गुंजालाल राम, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता को आरोपमुक्त किया गया है के अंतिम अंश में उल्लेखित किया गया है कि,

"मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं० 948 दिनांक 16.07.1986 को बिहार लोक निर्माण संहिता (संशोधित) पत्रांक 2676 दिनांक 15.05.2005 के कंडिका 6 के आलोक में पुर्नख्यापित (Reiterate) किये जाने के संदर्भ में कोई भी विभाग द्वारा किसी तरह का कोई मंतव्य नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि संकल्प सं० 948 दिनांक 16.07.1986 को पुर्नख्यापित (Reiterate) नहीं हो सका है। फलतः यह संकल्प वर्ष 2009–10 के पूर्व से ही निष्प्रभावी माना जा सकता है।"

उक्त के आलोक में श्री राम, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के संदर्भ में की गयी समीक्षा में प्रश्नगत बोल्डर आपूर्ति कार्य मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य नहीं माने जाने तथा अतिरिक्त मद की स्वीकृति देने वाले सक्षम प्राधिकार तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री हरीश कुमार सिंह को इन्ही आरोपों के लिये आरोपमुक्त किये जाने के फलस्वरुप श्री प्रद्युम्न शर्मा, सेवानिवृत

कार्यपालक अभियंता का पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकार करते हुए पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0–1876 दिनांक–30.08.2018 से संसूचित दण्ड यथा "**एक वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक**" को निरस्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

अतएव सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री प्रद्युम्न शर्मा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, तिरूपति इन्कलेव, फ्लैट नं0–304, P.N.T Road, बेला मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर का अपील अभ्यावेदन स्वीकार करते हुए पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0–1876 दिनांक–30.08.2018 को संसूचित दण्ड यथा "**एक वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक**" को निरस्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

9 मई 2022

सं0 22 / नि0सि0(मोति0)–08–08 / 2014 / 1052––चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी (सम्प्रति परिवर्तित नाम बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी) के अन्तर्गत बाढ़ 2013 के दौरान घोड़हिया स्थल पर कराए गए बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो में बरती गई अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से कराई गई। उडनदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उक्त प्रतिवेदन पर अभियंता प्रमुख (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त श्री सतीश प्रसाद सिंह (आई0डी0–3929), तत0 सहायक अभियंता, चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी (सम्प्रति परिवर्तित नाम बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी) के विरूद्ध निम्नांकित आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–1737, दिनांक 13.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई :–

(i) प्रश्नगत कार्य में गलत मंशा एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता बरतते हुए कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में बोल्डर क्रेटिंग कार्य में पत्युक्त 368 अद्द B.A.Wire Crate में कुल 368x2.16=794.88 घन मी० बोल्डर की मापी दर्शायी गयी है। उड़नदस्ता जाँच में Randomly Selected बोल्डर क्रेटिंग की मापी के अनुसार 20% Voids घटाने के पश्चात कुल 564.07 घन मी० पाया गया। इस प्रकार कुल 230.81 घन मी० बोल्डर की गलत ढंग से अधिक मापी दर्ज कर अनियमितता बरती गयी। जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अगर उड़नदस्ता जाँच नहीं होती तो संभव था कि उक्त बोल्डर की मात्रा का भुगतान हो जाता।

(ii) आलोच्य बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में प्रयुक्त B.A.Wire Crate में प्रति क्रेट 100 अद्द ई०सी० बैग के बदले बोरा में कम बालू भराई कराने के कारण 80 अद्द ई०सी० बैग के समतुल्य भुगतान करने का आदेश दिया गया। शेष 20 अद्द ई०सी० बैग की कीमत संवदेक से दुगनी दर पर कटौती कर भुगतान का आदेश निर्गत किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि उनके द्वारा गलत मंशा से कार्य के प्रति लापरवाही / उदासीनता बरतने के कारण संवेदक के द्वारा B.A. Wire Crate में न्यून विशिष्टि के ई०सी० बैग पिचिंग का कार्य कराया गया, जो उनकी कर्त्तव्यहीनता, उदासीनता एवं निदेशो का उल्लंघन होना दर्शाता है।

(iii) प्रश्नगत स्थल पर कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की जाँच में निर्धारित आकार के B.A. Wire Crate की बुनाई नहीं पाये जाने के संबंध में मुख्य अभियंता द्वारा समानुपातिक कटौती कर विपत्र पारित कर भुगतान का आदेश निर्गत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उनकी लापरवाही / उदासीनता के कारण न ही B.A.Wire Crate की बुनाई प्रावधानित आकार में हो पाया, न ही कार्य विशिष्टि के अनुरूप B.A.Wire Crate का उपयोग हो पाया। परन्तु प्रावधान के अनुरूप मापी दर्ज किया गया एवं उसकी जाँच भी की गयी। अतएव न्यून विशिष्टि के B.A.Wire Crate की बुनाई कराकर कार्य में उपयोग होने के बावजूद गलत मंशा से प्रावधान के अनुरूप मापी दर्ज कर अनियमित भुगतान करने का प्रयास किया जाना परिलक्षित होता है।

उक्त आलोक में श्री सिंह द्वारा समर्पित आरोप बार दिये गये बचाव बयान के समीक्षोपरांत उनके विरूद्ध गठित आरोप सं0–01 एवं 03 प्रमाणित नहीं पाया गया, परन्तु आरोप सं0–02 को प्रमाणित पाये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0–316 दिनांक 25.02.2020 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया :–

"दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"।

उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है :–

उनके द्वारा मुख्य रूप से एन0सी0 का कार्य कराया गया है। बी0ए0 वायर क्रेट में ई0सी0 बैग भरने के कार्य का देख–रेख प्रतिनियुक्त अभियंताओं द्वारा कराया गया है एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन भी कनीय अभियंता द्वारा तैयार कर भेजा गया है।

उनके द्वारा अपने कार्यपालक अभियंता एवं सभी उच्चाधिकारी की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में पूरी निष्ठा के साथ युद्ध स्तर पर चल रहे बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में संलग्न लगभग 60 संवेदकों के लिए स्थल / भण्डार में उपयोग होने वाले सामग्रियों की उपलब्धता का आकलन, ससमय हस्तानांतरण, निर्गत कराना आदि के साथ–साथ स्थल पर उपस्थित / कार्यरत पदाधिकारियों का ठहरने / खाने इत्यादि का समुचित व्यवस्था करने से लेकर क्षेत्राधीन तटबंधों की भी देख रेख करना / करवाना इत्यादि जैसे कार्यों में मुख्य भूमिका पुरी मुस्तैदी से निभाते हुए, सम्पादित कराया गया है।

अधीक्षण अभियंता, जल निस्सरण अंचल, मोतिहारी के साथ–साथ उच्चाधिकारियों को भी कराये गए कार्य का विस्तृत प्रतिवेदन (एन0आर0) ससमय भेजा गया है। फिर भी कार्य के दौरान स्थल पर कभी भी ई0सी0 बैग में अपेक्षित मात्रा में कम बालु भरा होना दृष्टिगोचर नहीं हुआ, जबकि उनके भी उपस्थिति एवं निदेशन में प्रतिनियुक्त अभियंतागण कार्य करा रहे थे। प्रतिदिन के कार्य के प्रतिवेदन (एन0आर0) को देखने के बाद भी इस त्रुटि को अधीक्षण अभियंता द्वारा स्थलीय जाँचोपरांत स्थल पंजी में सम्यक दिशा निदेश नहीं दिया गया। साथ ही साथ कम मात्रा में बालू भरे ई0सी0 बैग प्रयोग केवल बी0ए0 वायर में किया गया। अधीक्षण अभियंता, जल निस्सरण अंचल, मोतिहारी द्वारा काफी दिनों बाद (प्रपत्र–24 प्रेषण के समय) बिना किसी तरह जाँच किए/कराए बी0ए0 वायर में प्रयुक्त ई0सी0 बैग में ही एकदम 20% अपेक्षित मात्रा में कम बालु भराई का आकलन किया गया एवं उड़नदस्ता द्वारा भी इसी आधार पर बिना जाँच किए वर्णित कार्य में प्रयोग हुए ई0सी0 बैग में मात्रा से कम बालु भरे होने का अभ्युक्ति दर्ज की गई।

समीक्षाः–

प्रस्तुत मामले में बरती गई अनियमितता के लिए श्री सतीश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता के साथ–साथ श्री अंशुमन ठाकुर, तत0 कार्यपालक अभियंता, श्री अशोक कुमार, तत0 सहायक अभियंता एवं श्री अमरेश कुमार मिश्र, तत0 कनीय अभियंता के विरूद्ध दण्ड अधिरोपित किया गया है। उक्त के अवलोकन से निम्नवत वस्तुस्थिति परिलक्षित है :–

1. सभी चार अभियंताओं के विरूद्ध एक समान तीन आरोप गठित है।
2. संवेदक के विपत्र में आवश्यक सुधार एवं कटौती करते हुए विपत्र बनाये जाने के फलस्वरूप किसी भी आरोपी पदाधिकारी के संदर्भ में अधिकाई भुगतान का मामला नहीं बनता है।
3. श्री अंशुमन ठाकुर, तत0 कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध गठित तीनों आरोप आंशिक प्रमाणित, श्री अशोक कुमार, तत0 सहायक अभियंता एवं श्री अमरेश कुमार मिश्र, तत0 कनीय अभियंता के विरूद्ध दो आरोप (आरोप सं0–01 एवं 02) प्रमाणित पाया गया है, जबकि श्री सतीश प्रसाद सिंह, तत0 सहायक अभियंता के विरूद्ध एकमात्र आरोप (आरोप सं0–02) ही प्रमाणित पाया गया है।
4. श्री सतीश प्रसाद सिंह, तत0 सहायक अभियंता एवं श्री अशोक कुमार, तत0 सहायक अभियंता के विरूद्ध दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक, श्री अंशुमन ठाकुर, तत0 कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आरोप वर्ष (2013–14) के लिए निन्दन तथा श्री अमरेश कुमार मिश्र, तत0 कनीय अभियंता के विरूद्ध कालमान वेतनमान में दो वेतन प्रक्रम पर एक वर्ष के लिए अवनति का दण्ड अधिरोपित है।

मामले के समीक्षोपरांत पाया गया है कि श्री सतीश प्रसाद सिंह, तत0 सहायक अभियंता के विरूद्ध गठित आरोप सं0–02 बनता प्रतीत होता है। इसलिए पुनर्विलोकन अर्जी को पूर्णरूपेण स्वीकार नहीं किया जा सकता है, परन्तु इस मामले में सभी अभियंताओं के विरूद्ध संसूचित दण्ड समानुपातिक नहीं होने के कारण श्री सतीश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध एकमात्र आरोप प्रमाणित होने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0–316 दिनांक 25.02.2020 द्वारा उनके विरूद्ध संसूचित दण्ड **"दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** के स्थान पर **"एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** का दण्ड संसूचित किए जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सतीश प्रसाद सिंह (आई0डी0–3929), तत0 सहायक अभियंता, चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–316 दिनांक 25.02.2020 द्वारा उनके विरूद्ध संसूचित दण्ड **"दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** के स्थान पर **"एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** का दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

20 मई 2022

सं0 22/नि0सि0(मुज0)06–11/2016–1160––श्री अरूण कुमार (आई0डी0–4436) तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, गंडक बराज अंचल, वाल्मीकिनगर को उनके उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान गंडक बराज में दिनांक 21.07.2016 के शाम से दिनांक 22.07.2016 के सुबह तक गंडक नदी के जलश्राव में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण गंडक बराज के गेट संख्या–33 क्षतिग्रस्त हो जाने एवं पूर्वी मुख्य नहर में तीव्र गति से पानी प्रवेश करने तथा 6.00 RD पर नहर बाँध ओभरटॉप करने एवं जिसके कारण त्रिवेणी पावर हाउस के यंत्रो की क्षति तथा कॉलोनी के घरों की क्षति होने में बरती गई अनियमितता से संबंधित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1660 दिनांक 03.08.2016 द्वारा निलंबित किया गया। तत्पश्चात उक्त मामले में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1702 दिनांक 05.08.16 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0–194 दिनांक 17.01.2019 द्वारा श्री कुमार को निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

"दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(5) में निहित प्रावधान के आलोक में निलंबन के पश्चात पुनः स्थापित किये जाने पर सेवा तथा वेतनभत्ता की अनुमान्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक–2420 दिनांक 25.11.2019 द्वारा नोटिस निर्गत करते हुए श्री कुमार से अभ्यावेदन की मांग की गयी।

उक्त के क्रम में श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पत्रांक–0 दिनांक 14.01.2021 की समीक्षा के उपरांत पाया गया कि इनके बचाव–बयान में आरोप से संदर्भित तथ्य के रूप में कहा गया है कि जो साक्ष्य मेरे पक्ष में है उसकी अनदेखी कर साक्ष्य विहीन आरोपों के लिए बिना गहन समीक्षा किये मुझे निलंबित कर दिया गया। श्री अरूण कुमार, तत0 अधीक्षण अभियंता, गंडक बराज अंचल, वाल्मीकिनगर को मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा आपात स्थिति से निबटने के लिए पर्याप्त संख्या में मजदूर रखने तथा बराज के गेटों एवं बाँधों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित किये जाने के आदेश का अनुपालन नहीं करने, अपने पदीय दायित्वों की घोर उपेक्षा करने, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाह रहने, निरीक्षी पदाधिकारी के रूप में कार्य स्थल का निरीक्षण नहीं करने एवं कर्त्तव्य उपेक्षा के कारण श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में विभागीय अधिसूचना सं0–194 दिनांक 17.01.2019 द्वारा **"दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"** का दण्ड अधिरोपित किया गया है। अतएव इनका उक्त अभ्यावेदन पत्रांक–0 दिनांक 14.01.2021 स्वीकार योग्य नहीं है।

वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के निलंबन अवधि का विनियमन निम्नवत किये जाने का निर्णय लिया गया –

"निलंबन अवधि (दिनांक 03.08.2016 से दिनांक 03.09.2018 तक) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं होगा एवं निलंबन अवधि की गणना मात्र पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरूण कुमार (आई0डी0–4436) तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, गंडक बराज अंचल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर के निलंबन अवधि का विनियमन निम्नवत किया जाता है :–

"निलंबन अवधि (दिनांक 03.08.2016 से दिनांक 03.09.2018 तक) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं होगा एवं निलंबन अवधि की गणना मात्र पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

20 मई 2022

सं0 22 / नि0सि0(मुज0)06–11 / 2016–1161––श्री सुभाष कुमार वर्मा (आई0डी0–M0538), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यॉ0), सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, वाल्मीकिनगर को उनके उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान गंडक बराज में दिनांक 21.07.2016 के शाम से दिनांक 22.07.2016 के सुबह तक गंडक नदी के जलश्राव में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण गंडक बराज के गेट संख्या–33 क्षतिग्रस्त हो जाने एवं पूर्वी मुख्य नहर में तीव्र गति से पानी प्रवेश करने तथा 6.00 RD पर नहर बाँध ओभरटॉप करने एवं जिसके कारण त्रिवेणी पावर हाउस के यंत्रो की क्षति तथा कॉलोनी के घरों की क्षति होने में बरती गई अनियमितता से संबंधित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1662 दिनांक 03.08.2016 द्वारा निलंबित किया गया। तत्पश्चात उक्त मामले में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1704 दिनांक 05.08.16 द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में श्री वर्मा के दिनांक 30.11.2016 को सेवानिवृत हो जाने के कारण उन्हें विभागीय अधिसूचना सं0–190 दिनांक 07.02.2019 द्वारा दिनांक 30.11.2016 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालनोंपरांत विभागीया अधिसूचना सं0–1883 दिनांक 29.08.2019 द्वारा श्री वर्मा को निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

"दस प्रतिशत पेंशन की कटौती पाँच वर्षो के लिए"।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(5) में निहित प्रावधान के आलोक में निलंबन के पश्चात पुनः स्थापित किये जाने पर सेवा तथा वेतनभत्ता की अनुमान्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक–2419 दिनांक 25.11.2019 द्वारा नोटिस निर्गत करते हुए श्री वर्मा से अभ्यावेदन की मांग की गयी।

उक्त के क्रम में श्री वर्मा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पत्रांक–0 दिनांक 25.11.2016 की समीक्षा के उपरांत पाया गया कि इनके बचाव–बयान में आरोप से संदर्भित कोई तथ्य एवं साक्ष्य नहीं दिया गया है एवं मात्र यह कहा गया है कि सेवानिवृति के तीन माह के पश्चात आरोप पत्र दिया गया है। इस प्रकार आरोप पत्र गठित किये बिना ही निलंबित रखा गया। अतः निलंबन अवधि को नियमित करते हुए उक्त अवधि का वेतन भुगतान किया जाय। चूँकि इनके द्वारा आरोप से संदर्भित न तो कोई तथ्य दिया गया है और न ही कोई साक्ष्य दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत गेट के स्काडा सिस्टम को ठीक कराने का दायित्व श्री वर्मा का था। घटना के समय स्काडा सिस्टम कार्य नहीं करने के कारण समय पर गेटों का उठाव नहीं हो सका एवं गेट सं0–33 क्षतिग्रस्त हो गया। उक्त तथ्यों की सम्यक समीक्षा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में भी किया जा चुका है एवं श्री वर्मा के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में विभागीय अधिसूचना सं0–1883 दिनांक 29.08.2019 द्वारा **"दस प्रतिशत पेंशन की कटौती पाँच वर्षो के लिए"** का दण्ड अधिरोपित किया गया है। अतएव इनका उक्त अभ्यावेदन पत्रांक–0 दिनांक 05.11.2016 स्वीकार योग्य नहीं है।

वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री वर्मा के निलंबन अवधि का विनियमन निम्नवत किये जाने का निर्णय लिया गया –

"निलंबन अवधि (दिनांक 03.08.2016 से दिनांक 29.11.2016 तक) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं होगा एवं निलंबन अवधि की गणना मात्र पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुभाष कुमार वर्मा (आई0डी0–M0538) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यॉ0), सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति सेवानिवृत के निलंबन अवधि का विनियमन निम्नवत किया जाता है :–

"निलंबन अवधि (दिनांक 03.08.2016 से दिनांक 29.11.2016 तक) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं होगा एवं निलंबन अवधि की गणना मात्र पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

20 मई 2022

सं0 22/नि0सि0(मुज0)06–11/2016–1162——श्री राम विनय शर्मा (आई0डी0–3612) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर को उनके उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान गंडक बराज में दिनांक 21.07.2016 के शाम से दिनांक 22.07.2016 के सुबह तक गंडक नदी के जलश्राव में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण गंडक बराज के गेट संख्या–33 क्षतिग्रस्त हो जाने एवं पूर्वी मुख्य नहर में तीव्र गति से पानी प्रवेश करने तथा 6.00 RD पर नहर बॉंध ओभरटॉप करने एवं जिसके कारण त्रिवेणी पावर हाउस के यंत्रो की क्षति तथा कॉलोनी के घरों की क्षति होने में बरती गई अनियमितता से संबंधित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1661 दिनांक 03.08.2016 द्वारा निलंबित किया गया। तत्पश्चात उक्त मामले में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1703 दिनांक 05.08.16 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0–1346 दिनांक 04.07.2019 द्वारा श्री शर्मा को निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

"तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"।

श्री शर्मा के विरूद्ध उक्त अधिरोपित दण्ड का पूर्णरूपेण क्रियान्वयन न होने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0–505 दिनांक 21.06.2021 द्वारा पूर्व के दण्डादेश को निरस्त करते हुए निम्न दण्ड संसूचित किया गया –

"कालमान वेतनमान में दो वेतन प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति। भावी वेतन वृद्धि देय नहीं होगी"।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(5) में निहित प्रावधान के आलोक में निलंबन के पश्चात पुनः स्थापित किये जाने पर सेवा तथा वेतनभत्ता की अनुमान्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक–2417 दिनांक 25.11.2019 द्वारा नोटिस निर्गत करते हुए श्री शर्मा से अभ्यावेदन की मांग की गयी।

उक्त के क्रम में श्री शर्मा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पत्रांक–403 दिनांक 30.04.2020 की समीक्षा के उपरांत पाया गया कि इनके बचाव–बयान में आरोप से संदर्भित तथ्य के रूप में कहा गया है कि मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के आदेश के आलोक में आपात स्थिति में निपटने के लिए चार अदद मजदूर रखा गया था। इससे ज्यादा मजदूर रखने का कोई आदेश प्राप्त नहीं था। नेपाली सिम क्रय के संबंध में पूर्व में चर्चा की गई है। गेटों के खामियाँ की विस्तृत चर्चा पूर्व के प्रतिवेदन में की गई है । यह सब वही तथ्य है जो इनके द्वारा पूर्व में संचालन पदाधिकारी एवं द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में दिया गया है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा किये गये कार्रवाई का उल्लेख करते हुए विभागीय कार्यवाही को न्यायोचित नहीं बताया गया। चूँकि इनके द्वारा आरोप से संदर्भित कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य नहीं दिया गया है एवं श्री शर्मा के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में विभागीय अधिसूचना सं0–505 दिनांक 21.06.2021 द्वारा **"कालमान वेतनमान में दो वेतन प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति। भावी वेतन वृद्धि देय नहीं होगी"** का दण्ड अधिरोपित किया गया है। अतएव इनका उक्त अभ्यावेदन पत्रांक–403 दिनांक 30.04.2020 स्वीकार योग्य नहीं है।

वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शर्मा के निलंबन अवधि का विनियमन निम्नवत किये जाने का निर्णय लिया गया –

"निलंबन अवधि (दिनांक 03.08.2016 से दिनांक 03.09.2018 तक) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं होगा एवं निलंबन अवधि की गणना मात्र पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राम विनय शर्मा (आई0डी0–3612) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति सेवानिवृत के निलंबन अवधि का विनियमन निम्नवत किया जाता है :–

"निलंबन अवधि (दिनांक 03.08.2016 से दिनांक 03.09.2018 तक) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं होगा एवं निलंबन अवधि की गणना मात्र पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

20 मई 2022

सं0 22/नि0सि0(मुज0)06–11/2016–1163——श्री सुबोध प्रसाद शर्मा (आई0डी0–J4749), तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, शीर्ष कार्य अवर प्रमंडल सं0–1, वाल्मीकिनगर को उनके उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान गंडक बराज में दिनांक 21.07.2016 के शाम से दिनांक 22.07.2016 के सुबह तक गंडक नदी के जलश्राव में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण गंडक बराज के गेट संख्या–33 क्षतिग्रस्त हो जाने एवं पूर्वी मुख्य नहर में तीव्र गति से पानी प्रवेश करने तथा 6.00 RD पर नहर बॉंध ओभरटॉप करने एवं जिसके कारण त्रिवेणी पावर हाउस के यंत्रो की क्षति तथा कॉलोनी के घरों की क्षति होने में बरती गई अनियमितता से संबंधित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1663 दिनांक 03.08.2016 द्वारा निलंबित

किया गया। तत्पश्चात उक्त मामले में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1701 दिनांक 05.08.16 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में श्री शर्मा के दिनांक 30.11.2017 को सेवानिवृत हो जाने के कारण उन्हें विभागीय अधिसूचना सं0–132 दिनांक 15.01.2018 द्वारा दिनांक 30.11.2017 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालनोंपरांत विभागीया अधिसूचना सं0–1882 दिनांक 29.08.2019 द्वारा श्री शर्मा को निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

"10 (दस) प्रतिशत पेंशन की कटौती पाँच वर्षो के लिए"।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(5) में निहित प्रावधान के आलोक में निलंबन के पश्चात पुनः स्थापित किये जाने पर सेवा तथा वेतनभत्ता की अनुमान्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक–2418 दिनांक 25.11.2019 द्वारा नोटिस निर्गत करते हुए श्री शर्मा से अभ्यावेदन की मांग की गयी।

उक्त के क्रम में श्री शर्मा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पत्रांक–0 दिनांक 29.01.2020 की समीक्षा के उपरांत पाया गया कि इनके बचाव–बयान में आरोप से संदर्भित तथ्य के रूप में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा में उक्त गेट में दो अदद पेड फसने, कम्प्युटर आधारित गेटों का संचालन व्यवस्था पूर्णतः खराब हो जाने आदि विभिन्न कारणों से गेट क्षतिग्रस्त हो गया। उक्त तथ्यों की सम्यक समीक्षा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में किया जा चुका है एवं श्री शर्मा के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में विभागीय अधिसूचना सं0–1882 दिनांक 29.08.2019 द्वारा **"10 (दस) प्रतिशत पेंशन की कटौती पाँच वर्षो के लिए"** का दण्ड अधिरोपित किया गया है। अतएव इनका उक्त अभ्यावेदन पत्रांक–0 दिनांक 29.01.2020 स्वीकार योग्य नहीं है।

वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शर्मा के निलंबन अवधि का विनियमन निम्नवत किये जाने का निर्णय लिया गया –

"निलंबन अवधि (दिनांक 03.08.2016 से दिनांक 29.11.2017 तक) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं होगा एवं निलंबन अवधि की गणना मात्र पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुबोध प्रसाद शर्मा (आई0डी0–J4749) तत्कालीन तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, शीर्ष कार्य अवर प्रमंडल सं0–1, वाल्मीकिनगर सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रा0+पो0–मफो, भाया–शेखपुरा, जिला–मुंगेर के निलंबन अवधि का विनियमन निम्नवत किया जाता है :–

"निलंबन अवधि (दिनांक 03.08.2016 से दिनांक 29.11.2017 तक) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं होगा एवं निलंबन अवधि की गणना मात्र पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

26 मई 2022

सं0 22/नि०सि०(वीर०)07–06/2013/1205––श्री जुनैद अहमद (ID-J 7869), तत्कालीन कनीय अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में बरती गयी निम्न अनियमितता के लिए विभागीय आदेश सं0–74 सह–पठित ज्ञापांक–1564 दिनांक–08.09.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

आरोप निम्न है :–

1. पूर्वी कोशी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विटुमिनस सड़क निर्माण कार्य (एकरारनामा सं0–01SBD/2010) के लिए निरीक्षण भवन, भपटियाही के प्रागन में अवस्थित जी0टी0एस0 बेंच मार्क के आधार पर पूर्वी कोशी तटबंध के 40 कि0मी0 के पास मंदिर के स्लैब के टॉप पर टी0बी0एम0 60.341 मी0 उड़नदस्ता जाँच में सही पाया गया जबकि पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल द्वारा निर्धारित टी0बी0एम0 57. 925 मी0 जाँच में सही नहीं पाया गया। तटबंध के कि0मी0 52.00 पर दो अवर प्रमंडलों के मिलान बिन्दु पर प्री–लेवल में अंतर पाया गया है जिससे त्रुटिपूर्ण लेवल लिया जाना परिलक्षित होता है। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण लेवल लिये जाने के कारण पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल सुपौल के अंतर्गत रू0 5,32,38,572.70 अधिकाई भुगतान त्रिसदस्यीय समिति के जाँच में पाया गया है। उच्चाधिकारियों द्वारा जी0टी0एस0 बेंच मार्क के आधार पर लेवल सुधार हेतु पत्राचार किये जाने के बाद भी प्री–लेवल में सुधार नहीं किए जाने से अधिकाई भुगतान की स्थिति बनी रही। पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल सुपौल के अंतर्गत कि0मी0 40.00 से 84.00 तक प्री–लेवल लेने एवं जाँच करने में आपकी सहभागिता–संलिप्तता परिलक्षित है। जिससे उक्त विषयक कार्य का त्रुटिपूर्ण टी0बी0एम0 Carry करने एवं प्री–लेवल लेने/जाँच के लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं।
2. पूर्वी कोशी तटबंध के उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण एवं विटुमिनस सड़क निर्माण में पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के अंतर्गत कि0मी0 40.00 से 84.00 के बीच कुल 54,29,152.02 घनमी0 मिट्टी कार्य का भुगतान किया गया है जबकि त्रिसदस्यीय जाँच समिति द्वारा कुल 50,82,823.303 घनमी0 मिट्टी कार्य पाया गया है। इस प्रकार कुल 34,63,34.717 घनमी0 के लिए एकरारित दर पर कुल राशि रू0 53,23,85,72.70 (रॉयल्टी राशि को छोड़कर) संवेदक को अधिक भुगतान होना परिलक्षित होता है। उक्त कार्य में अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत कार्य के क्रियान्वयन

एवं विपत्र तैयार करने से आप संबंधित रहे हैं। अधीक्षण अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा द्वारा लेवल में विसंगति निराकरण हेतु कई पत्राचार किये जाने के बाद भी जी0टी0एस0 मार्क के आधार पर लेवल की जाँच नहीं किये जाने से संवेदक को अधिकाई भुगतान होने की स्थिति बनी रही। इस प्रकार उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद भी प्री–लेवल में सुधार नहीं करते हुए त्रुटिपूर्ण प्री–लेवल के आधार पर कार्य कराने एवं विपत्र तैयार किये जाने से रू0 5,32,38,572.70 संवेदक को अधिकाई भुगतान के लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री जुनैद अहमद, तत्कालीन कनीय अभियंता से विभागीय पत्रांक–1103 दिनांक–08.09.2020 द्वारा अभ्यावेदन की माँग की गयी।

श्री अहमद, तत्कालीन कनीय अभियंता से प्राप्त जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री अहमद, तत0 कनीय अभियंता द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से निम्न का उल्लेख किया गया है :–

श्री अहमद, तत0 कनीय अभियंता द्वारा कहा गया है कि कि0मी0 52.00 से कि0मी0 64.00 के बीच प्री–लेवल लेने का कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया है। कार्य का एकरारनामा सं0–01SBD/2009–10 के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 05.11.2009 है। उक्त एकरारनामा के अंतर्गत पूर्वी कोशी तटबंध के कि0मी0 52.00 से कि0मी0 64.00 के बीच उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व असम्बद्ध प्रमंडल से प्री–लेवल की जाँच दिनांक–24.12.2009 से दिनांक–17.01.2010 के बीच की गयी है। इस रीच (कि0मी0 52.00 से 56.00 तक) का अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के पत्रांक–401 दिनांक–20.02.2010 के आलोक में इनके द्वारा दिनांक–20.02.2010 के बाद लिया गया हैं इस रीच का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के समय इस भाग में मिट्टी भराई का कार्य प्रगति में था।

श्री अहमद द्वारा कहा गया है कि मेरे अतिरिक्त प्रभार में आने के पूर्व से ही संबंधित प्रमंडल द्वारा संवेदक के साथ साझा रूप से प्री–लेवल लेकर लेवल पंजी को असम्बद्ध प्रमंडल (मुख्य अभियंता द्वारा नामित असम्बद्ध प्रमंडल) द्वारा प्री–लेवल की जाँच करा ली गयी थी और इस रीच में वास्तविक रूप से मिट्टी भराई का कार्य प्रारंभ हो चुका था। अतः ऐसी परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्री–लेवल की पुनः जाँच किया जाना नियमानुकूल एवं व्यवहारिक नहीं था। अंत में श्री अहमद, तत्कालीन कनीय अभियंता द्वारा आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री अहमद, तत्कालीन कनीय अभियंता से प्राप्त जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में मुख्य रूप से निम्न तथ्य पाये गये :–

आरोप सं0–01 :– पूर्वी कोशी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विटुमिनस सड़क निर्माण कार्य में त्रुटिपूर्ण लेवल लिये जाने संबंधी आरोप के संदर्भ में श्री अहमद द्वारा कहा गया है कि कि0मी0 52.00 से कि0मी0 64.00 के बीच प्री–लेवल लेने का कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में भी उल्लेखित किया गया है कि TBM Carry करने के कार्य में ये संलग्न नहीं रहे हैं। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में उललेखित किया गया है कि कि0मी0 40.00 से 52.00 कि0मी0 तक प्री–लेवल लेने के कार्य में ये संलग्न रहे हैं परन्तु इनके द्वारा लिए गये प्री–लेवल के आधार पर कराये गये मिट्टी कार्य की कुल मात्रा 11,55,664.02m^3 है जबकि त्रिसदस्यीय समिति द्वारा गणना की गई मिट्टी की मात्रा 12,79,079.55m^3 है। इस प्रकार अधिकाई भुगतान का मामला नहीं बनता है। कि0मी0 52.00 से कि0मी0 64.00 के बीच इनके द्वारा मात्र प्रथम एवं द्वितीय विपत्र का भुगतान किया गया है।

उक्त के आलोक में श्री अहमद के विरूद्ध कार्य के दौरान प्री–लेवल की त्रुटि इनके स्तर से उजागर नहीं कर पाने के लिए ये आंशिक रूप से दोषी प्रतीत होते हैं।

आरोप सं0–02 :– पूर्वी कोशी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विटुमिनस सड़क निर्माण में संवेदक को अधिकाई भुगतान किये जाने संबंधी आरोप के संदर्भ में श्री अहमद द्वारा कि0मी0 40.00 से कि0मी0 52.00 के बीच कराये गये मिट्टी कार्य की कुल मात्रा 12,79,079.52m^3 है। इस प्रकार इस रीच में अधिकाई भुगतान का कोई मामला नहीं बनता है। कि0मी0 52.00 से 64.00कि0मी0 के बीच इनके द्वारा मात्र प्रथम एवं द्वितीय विपत्र का भुगतान किये जाने के कारण अधिकाई भुगतान का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

उक्त के आलोक में श्री अहमद के विरूद्ध अधिकाई भुगतान से संबंधी आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री जुनैद अहमद, तत्कालीन कनीय अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के विरूद्ध आरोप सं0–1 आंशिक प्रमाणित एवं आरोप सं0–2 अप्रमाणित पाया गया है।

वर्णित स्थिति में श्री जुनैद अहमद, तत्कालीन कनीय अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के विरूद्ध आरोप सं0–01 आंशिक प्रमाणित के लिए सरकार के स्तर पर समीक्षोपरांत निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है :–

''कालमान वेतन में तीन प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति''

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का परामर्श प्राप्त है।

उक्त के आलोक में श्री जुनैद अहमद, तत्कालीन कनीय अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल संप्रति सहायक अभियंता, उड़नदस्ता अंचल–2, जल संसाधन विभाग, पटना को निम्न दण्ड दिया जाता है :–

''कालमान वेतन में तीन प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

26 मई 2022

सं0 22/नि0सि0(वीर0)–07–06/2013/1206––श्री अशोक कुमार शर्मा (आई0डी0–4488), तत0 सहायक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में बरती गयी निम्न अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प सं0–1549 दिनांक 06.09.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

आरोप निम्न है :–

(1) पूर्वी कोशी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं बिटुमिनस सड़क निर्माण कार्य (एकरारनामा सं0–01SBD/2010) के लिए निरीक्षण भवन, भपटियाही के प्रांगन में अवस्थित जी0टी0एस0 बेंच मार्क के आधार पर पूर्वी कोशी तटबंध के 40कि0मी0 के पास मंदिर के स्लैव के टॉप पर टी0बी0एम0 60.341मी0 उड़नदस्ता जाँच में सही पाया गया जबकि पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल द्वारा निर्धारित टी0बी0एम0 57.925मी0 जाँच में सही नही पाया गया। तटबंध के कि0मी0 52.00 पर दो अवर प्रमंडलों के मिलान बिन्दु पर प्री–लेवल में अंतर पाया गया है, जिससे त्रुटिपूर्ण लेवल लिया जाना परिलक्षित होता है। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण लेवल लिये जाने के कारण पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के अन्तर्गत रू0 5,32,38,572.70 अधिकाई भुगतान त्रिसदस्यीय समिति के जाँच में पाया गया है।

उच्चाधिकारियों द्वारा GTS बेंच मार्क के आधार पर लेवल सुधार हेतु पत्राचार किये जाने के बाद भी प्री–लेवल में सुधार नहीं किये जाने से अधिकाई भुगतान की स्थिति बनी रही। पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के अन्तर्गत कि0मी0 40. 00 से 84.00 तक प्री–लेवल लेने एवं जाँच करने में आपकी सहभागिता–संलिप्तता परिलक्षित है। जिससे उक्त विषयक कार्य का त्रुटिपूर्ण टी0बी0एम0 Carry करने एवं प्री–लेवल लेने/जाँच के लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं।

(2) पूर्वी कोशी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं बिटुमिनस सड़क निर्माण में पूर्व कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के अन्तर्गत कि0मी0 40.00 से 84.00 के बीच कुल 54,29,152.02 घन मी0 मिट्टी कार्य का भुगतान किया गया है। जबकि त्रिसदस्यीय जाँच समिति द्वारा कुल 50,82,823.303 घन मी0 मिट्टी कार्य पाया गया है। इस प्रकार कुल 346334.717 घन मी0 के लिए एकरारित दर पर कुल राशि रू0 53238572.70 (रॉयल्टी राशि को छोड़कर) संवेदक को अधिक भुगतान होना परिलक्षित होता है। उक्त कार्य में अपने कार्यक्षेत्र अन्तर्गत कार्य के क्रियान्वयन एवं विपत्र तैयार करने से आप संबंधित रहे है। अधीक्षण अभियंता पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा द्वारा लेवल में विसंगति के निराकरण हेतु कई पत्राचार किये जाने के बाद भी GTS बेंच मार्क के आधार पर लेवल की जाँच नहीं किये जाने से संवेदक को अधिकाई भुगतान होने की स्थिति बनी रही। इस प्रकार उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद भी प्री–लेवल में सुधार नहीं करते हुए त्रुटिपूर्ण प्री–लेवल के आधार पर कार्य कराने एवं विपत्र तैयार किये जाने से रू0 53238572.70 संवेदक को अधिकाई भुगतान के लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अशोक कुमार शर्मा, तत0 सहायक अभियंता से विभागीय पत्रांक–1102 दिनांक 08.09.2020 द्वारा अभ्यावेदन की माँग की गयी।

श्री शर्मा, तत0 सहायक अभियंता से प्राप्त जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री शर्मा, तत0 सहायक अभियंता द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से निम्न का उल्लेख किया गया है :–

श्री शर्मा, तत0 सहायक अभियंता द्वारा कहा गया है कि ये किसी भी तरह की TBM CARRY करने या फिक्स करने में शामिल नहीं थे। स्वीकृत DPR में बराज के Left side के Permanent/ GTS B.M से ही डाउन स्ट्रीम में लेवल लेने का निर्देश था। लेवल लिया गया था, जिसके कारण दूसरे बेंच मार्क की जानकारी लेने की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी। मेरे द्वारा कार्य क्षेत्र 52–64 कि0मी0 के बीच उच्चाधिकारी के प्री–लेवल में हुई त्रुटि संबंधी विवाद की जानकारी देने के पहले ही (दिनांक 14.06.2011) तक मिट्टी कार्य करा दिया गया था, उसके बाद मिट्टी कार्य की मात्रा का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

संवेदक के अंतिम विपत्र से कुल रूपये 5,32,38,572.70 की वसूली अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग के पत्रांक–1642/पटना, दिनांक 14.11.2016 के आदेश पर कर ली गयी है। स्वीकृत DPR में GFCC RECOMMENDED डिजायन H.F.L., F.R.L. इत्यादि संलग्न था तथा स्थल स्थिति के अनुसार डिजायन DISCHARGE (9.0-9.50 लाख) के लिए तटबंध के टॉप पर मिट्टी की भराई आवश्यक था।

मेरे पदस्थापन के समय वर्ष 2005 से कई जगहों पर तटबंध के उच्चीकरण के पहले तक 3.5 लाख CUSECS डिस्जार्च पर ही तटबंध के कई बिन्दुओं पर तथा स्पर से पानी Overtop करते हुए देखा गया है। मेरे कार्य क्षेत्र 52–64 कि0मी0 के बीच तटबंध को डिजायन फार्मेशन लेवल के अनुसार उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य कर दिया गया था जिसके कारण तटबंध से पानी Overtop नहीं होता पाया गया और सुपौल जिला मुख्यालय काफी सुरक्षित हो गया था।

जहाँ तक मिट्टी की मात्रा में 26.78% कि बढ़ोतरी का प्रश्न है, यह एकरारनामा के दृष्टि से तर्क संगत सही नहीं है। एकरारनामा 0 से 123.772कि0मी0 के लिए की गयी थी न कि 52–64 कि0मी0 के बीच के कार्य के लिए। अतः मिट्टी की मात्रा की बढ़ोतरी या घटोतरी एकरारित मात्रा पर कि जानी है न कि अवर प्रमंडल वाइज मिट्टी की मात्रा पर की जानी है। अंतिम विपत्र भी 0–123.772 कि0मी0 के लिए ही तैयार कर निदेशानुसार अधिकाई मिट्टी के समतुल्य राशि की कटौती संवेदक के अंतिम विपत्र से कर ली गयी है।

मेरे द्वारा क्षेत्र 52–64कि0मी0 में लगभग पाँच सालों के बाद जाँचने पर Country साईड स्लोप में Encroachment कर झुग्गी झोपड़ी का निर्माण कुछ ग्रामीणों द्वारा कर ली गयी और स्लोप क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। रिवर साईड का भी Toe, Slope बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण पाँच सालों बाद स्थल पर पूर्व के कराये गये मिट्टी की मात्रा से कम मात्रा आया और अधिकाई भुगतान की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसे निर्देशानुसार संवेदक के अंतिम विपत्र से वसूली कर ली गयी है।

श्री शर्मा, तत0 सहायक अभियंता से प्राप्त जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में मुख्य रूप से निम्न तथ्य पाये गये :–

आरोप सं0–1 के संदर्भ में श्री शर्मा, तत0 सहायक अभियंता द्वारा कहा गया है कि स्वीकृत DPR में बराज के Left साइड के Permanent/GTS B.M से ही डाउनस्ट्रीम में लेवल लेने का निर्देश था जिसके कारण दूसरे बेंच मार्क की जानकारी लेने की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी। इनके इस कथन को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

जैसा कि संचालन पदाधिकारी द्वारा भी उल्लेख किया गया है कि एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते इनके द्वारा GTS Bench Mark से TBM Carry संबंधी तथ्य की जाँच कर GTS Bench Mark की जानकारी प्राप्त करने संबंधी प्रयास किया जाना चाहिए था। इनके द्वारा FFF Chairman के प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है जिसमें 2.5लाख क्यूसेक डिस्चार्ज पर पानी फ्री बोर्ड में Encroach करने का उल्लेख है परन्तु उक्त प्रतिवेदन में यह बात कि0मी0 10.00 से कि0मी0 16.64 के संदर्भ में कही गयी है। जो आलोच्य कार्यक्षेत्र से अलग है। इस प्रकार इनके कथन को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री शर्मा के विरूद्ध त्रुटिपूर्ण लेवल लिये जाने संबंधी आरोप प्रमाणित माना जा सकता है।

आरोप सं0–2 के संदर्भ में श्री शर्मा द्वारा कहा गया है कि प्री लेवल में हुई त्रुटि संबंधी विवाद की जानकारी देने के पूर्व ही (दिनांक 14.06.11) तक मिट्टी कार्य करा दिया गया था। उसके बाद मिट्टी कार्य का कोई भुगतान नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्री–लेवल में यह त्रुटि उजागर होने के बाद कोशी बराज से कि0मी0 40.00 तक फ्लाई लेवल हेतु गठित दल द्वारा दिनांक 10.10.11 को लेवल लिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि मिट्टी कार्य के भुगतान कि तिथि तक प्री लेवल की त्रुटि उजागर नहीं हो पायी थी। परन्तु यह भी सही है कि प्री–लेवल में त्रुटि के कारण ही अधिकाई भुगतान की स्थिति उत्पन्न हुई जिसके लिए श्री शर्मा दोषी पाये गये है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री अशोक कुमार शर्मा, तत0 सहायक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के आरोप सं0–1 एवं 2 प्रमाणित पाया गया है।

वर्णित स्थिति में श्री अशोक कुमार शर्मा, तत0 सहायक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के विरूद्ध प्रमाणित आरोप सं0–1 एवं 2 के लिए सरकार के स्तर पर समीक्षोपरांत निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है :–

"तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का परामर्श प्राप्त है।

उक्त के आलोक में श्री अशोक कुमार शर्मा, तत0 सहायक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल को निम्न दण्ड दिया जाता है :–

"तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

———————

27 मई 2022

सं0 22 / नि0सि0(पट0)–03–01 / 2016 / 1208––श्री अनिल कुमार शर्मा (आई0डी0–3301) तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमंडल, विक्रम सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित थे तो उनके विरूद्ध चाट भूमि बन्दोबस्ती नियमावली, 2007 के विरूद्ध चाटभूमि बन्दोबस्ती की अनुशंसा करने एवं अनियमित रूप से 2002–03 से 2009–10 तक का रसीद काटने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए निम्न आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–325 दिनांक 22.02.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

आरोप –

(1) बिहार नहर चाट / भूमि बन्दोबस्ती नियमावली, 2007 दिनांक 05.07.2007 से दिनांक 12.07.2010 तक लागू था। इस नियमावली के प्रावधानो के विरूद्ध अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमंडल, विक्रम, पटना के पत्रांक–139 दिनांक 28.06.2009 द्वारा व्यक्ति विशेष को अनियमित रूप से चाट बन्दोबस्ती करने की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता से की गई एवं अनियमित रूप से श्री सत्यनारायण शर्मा के नाम चाट बन्दोबस्ती के लिए वर्ष 2002–2003 से 2009–2010 के लिए रसीद काटा गया जिसके लिए दोषी है।

(2) बिहार नहर चाट / भूमि नियमावली 2010 दिनांक 13.07.2010 से प्रभावी था, परन्तु इसके प्रावधान के विरूद्ध अवैध बन्दोबस्ती धारी श्री सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिए दिनांक 02.02.2012 को अनियमित रूप से रसीद काटा गया जिसके लिए दोषी है।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में अभियंता प्रमुख–सह–संचालन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–93 / सि0, दिनांक 09.05.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जिसमें आरोप

सं0–1 को अप्रमाणित एवं आरोप सं0–2 को अंशतः प्रमाणित माना गया है। संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की तकनीकी समीक्षोपरांत आरोप सं0–01 से संदर्भित संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए निम्न असहमति के बिन्दु निर्धारित किया गया –

असहमति के बिन्दु – श्री सत्यनारायण शर्मा के चाट बन्दोबस्ती आवेदन पर कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल द्वारा प्रतिवेदन की मांग किए जाने पर श्री शर्मा के पत्रांक–139 दिनांक 28.06.2009 से श्री शर्मा के नाम चाट बन्दोस्ती पत्र पत्रांक–834 दिनांक 07.07.2009 निर्गत किया गया जबकि नहर चाट बन्दोबस्ती नियमावली, 2007 के कंडिका–2 के अनुसार चाट बन्दोबस्ती खुली निलामी से किया जाना है। साथ ही कंडिका–3 के अनुसार चाट बन्दोबस्ती मात्र 09 माह के लिए किया जाना है। जबकि इनके द्वारा कार्यपालक अभियंता के आदेश को विधिसम्मत नहीं मानते हुए श्री शर्मा के साथ वर्ष 2002–03 से 2009–10 तक बन्दोबस्ती अभिलेख हस्ताक्षरित करते हुए उक्त अवधि का रसीद काटा गया है। इस प्रकार इनके विरूद्ध नहर चाट बन्दोबस्ती नियमावली, 2007 के कंडिका–2 एवं 3 का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति विशेष को अनुशंसा करने एवं अनियमित रूप से वर्ष 2002–03 से 2009–10 तक रसीद काटने का मामला बनता है।

उक्त असहमति के बिन्दु एवं आरोप सं0–2 के प्रमाणित होने पर विभागीय पत्रांक–1848 दिनांक 12.10.2017 द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत/असहमत होने की स्थिति में द्वितीय कारण पृच्छा की गई। जिसके आलोक में श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा अपने पत्रांक–530 दिनांक 02.11.2017 द्वारा अपना जवाब विभाग को समर्पित किया गया। प्राप्त जवाब की तकनकी समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई।

विभागीय समीक्षा–बिहार नहर चाट बन्दोस्ती नियमावली 2007 एवं 2010 प्रभावी रहने के बावजूद अनुपालन बगैर सोन नहर अवर प्रमंडल, विक्रम अन्तर्गत पुराना रेवा जलवाहा के प्लॉट नं0–226 का वर्ष 2002–03 से 2009–10 तक रसीद काटे जाने की अनियमितता मामले में की गई कार्रवाई के क्रम में श्री अनिल कुमार शर्मा, तत्का0 अवर प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा कार्यपालक अभियंता, खगौल का पत्रांक–834 दिनांक 07.07.2009 एवं विभागीय पत्रांक–548 दिनांक 06.06.2008 जिसके अनुसार वर्ष 2007–08 में बन्दोबस्ती प्राप्तकर्त्ता को वर्ष 2008709 में भी बन्दोबस्ती किया जाना है में निहित निदेशों के अनुसार वर्ष 2009–10 की बन्दोबस्ती एवं अनधिकृत रूप से प्रयोग की जा रही चाट भूमि के लिए वर्ष 2002–03 से 2009–10 तक के लिए रसीद काटा गया एवं प्राप्ति राशि सरकारी खजाने में जमा की गई। साथ ही कहना है कि विक्रम जैसे छोटे जगह में इंटरनेट की सुविधा नहीं होने से चाट नियमावली 2007 की जानकारी नहीं थी एवं कार्यपालक अभियंता के पृच्छा के क्रम में श्री सत्यनारायण शर्मा के अभ्यावेदन पर मांग कर स्थल स्थिति देते हुए इन्हें बन्दोबस्ती हेतु अनुशंसा की गई थी।

बिहार नहर चाट/भूमि बन्दोबस्ती नियमावली, 2007 दिनांक 05.07.2007 से प्रभावी है। श्री सत्यनारायण शर्मा, भूतपूर्व सैनिक के चाट बन्दोबस्ती संबंधी अभ्यावेदन दिनांक 02.05.2009 के संबंध में आरोपित पदाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की गई। आरोपित पदाधिकारी श्री शर्मा ने अधीनस्थ पदाधिकारियों से स्थल जाँच कराकर पुराना रेवा जलवाहा के प्लॉट नं0–226 में 16.48 डि0 भूखंड पर अवैध कब्जा होने एवं शेष 89 डि0 भूखंड श्री सत्यनारायण शर्मा को बन्दोबस्त किए जाने की अनुशंसा अपने पत्रांक–139 दिनांक 28.06.2009 से की गई। कार्यपालक अभियंता, खगौल द्वारा आरोपित पदाधिकारी के उक्त पत्र को प्रसंगित करते हुए निम्न नियमाधीन शर्त के तहत अन्य के साथ श्री शर्मा के पक्ष में बन्दोबस्ती आदेश पत्रांक–834 दिनांक 07.07.2009 निर्गत किया गया।

कंडिका–2 – संबंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त बन्दोबस्त जमीन का रसीद काटकर सरकारी जमीन का राजस्व जमा कर दें।

कंडिका–3 – चाट नियमावली प्रक्रिया को अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

कंडिका–4 – संबंधित चाट भूमि का बकाया लंबित लगान भी जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

बिहार नहर चाट/भूमि बन्दोबस्ती नियमावली 2007 के कंडिका–2(1) के अनुसार कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रकाशित निलामी सूचना के आलोक में खुली बोली के आधार पर बन्दोबस्ती किया जाना है। कार्यपालक अभियंता, खगौल के उक्त कार्यालय आदेश कंडिका–3 में चाट नियमावली प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करने का निदेश है। स्पष्ट है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा बन्दोबस्ती प्रक्रिया 2(1) का उल्लंघन करते हुए बन्दोबस्ती प्रक्रिया का अनुपालन करनो निदेश दिया गया है। आरोपित पदाधिकारी श्री शर्मा द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश पर पुनर्विचार हेतु कार्यपालक अभियंता से अनुरोध किया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा किया गया परिलक्षित नहीं होता है। आरोपित पदाधिकारी के जुलाई 2007 में निर्गत नियमावली दो वर्ष बाद अगस्त 2009 तक के अनभिज्ञ रहने का कथन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

इसी प्रकार नियमावली कंडिका–3 के अनुसार बन्दोबस्ती प्रत्येक वर्ष 09 माह के लिए किया जाना है। कार्यपालक अभियंता के कार्यालय आदेश के कंडिका–4 में बकाया लंबित लगान जमा करने का निदेश है। परन्तु स्पष्ट नहीं किया गया है कि बिना बन्दोबस्ती के बकाया लगान किस बन्दोबस्तधारी से किया जाना है। उक्त अस्पष्ट निदेश के क्रम में आरोपित पदाधिकारी द्वारा बिना स्थिति स्पष्ट कराए ही श्री सत्यनारायण शर्मा से बकाया वर्ष्ज 2002–03 से 2008–09 एवं चालू वर्ष 2009–10 तक कुल रू0 5696.00 का रसीद काटकर राशि जमा करा दी गई है।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता के कार्यालय आदेश–834 दिनांक 07.07.2009 में अंकित नियमाधीन शर्त का गंभीरता से नहीं लेते हुए उनके त्रुटिपूर्ण आदेश को बिना स्पष्ट कराए वर्ष 2002–03 से वर्ष 2009–10 तक श्री सत्यनारायण शर्मा के पक्ष में बन्दोबस्ती करते हुए रू0 5696.00 की रसीद काटकर प्राप्त राशि जमा

कराई गई। इस प्रकार कार्यपालक अभियंता, खगौल त्रुटिपूर्ण आदेश का अनुपालन किए जाने से बिहार नहर चाट/भूमि बन्दोबस्ती नियमावली 2007 का प्रावधानों का उल्लंघन आरोपित पदाधिकारी द्वारा किया जाना स्पष्ट होता है। यद्यपि इससे सरकारी राजस्व की प्राप्ति ही हुई है।

निष्कर्ष :– उपरोक्त वर्णित तथ्यों बचाव–बयान के आलोक में श्री अनिल कुमार शर्मा, तत्का0 अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमंडल, विक्रम द्वारा बिहार नहर चाट/भूमि बन्दोबस्त नियमावली, 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल के त्रुटिपूर्ण/अस्पष्ट आदेश का अनुपालन कर अनियमित तरीके से श्री सत्यनारायण शर्मा को बन्दोबस्ती हेतु अनुशंसा करने एवं वर्ष 2002–03 से 2009–10 तक रू0 5696.00 का रसीद काटे जाने का मामला प्रमाणित है। हालांकि उनके उक्त कृत्य से सरकारी राशि की क्षति नहीं होना एवं बन्दोबस्त सरकारी चाट भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होना परिलक्षित होता है।

आरोप सं0–2 – प्रस्तुत आरोप बिहार नहर चाट बन्दोबस्त नियमावली, 2010 के प्रावधान के विरूद्ध अवैध बन्दोबस्तधारी श्री सत्यनारायण शर्मा के पक्ष में वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 को अनियमित रूप से रसीद काटे जाने से संबंधित है।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में मुख्य रूप से नहर चाट/भूमि बन्दोबस्ती नियमावली 2010 की जानकारी नहीं होने, उच्चाधिकारियों द्वारा इसे निदेशानुसार प्रचालित नहीं किए जाने एवं कार्यपलाक अभियंता, खगौल के पत्रांक–183 दिनांक 28.01.2011 में निहित निदेश के अनुपालन में वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की बन्दोबस्ती किए जाने को प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही नियमावली की जानकारी प्रथमवार वर्ष 2012 में प्रकाशित निलामी सूचना से होने को प्रतिवेदित किया गया है।

आरोपित पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य के रूप में संलग्न पत्रांक–183 दिनांक 28.01.2011 से बन्दोबस्त नियमावली, 2007 में संशोधन की कार्रवाई स्थगित रहने तथा वर्ष 2007–2008 एवं 2008–09 के बन्दोबस्तधारी के पक्ष में बन्दोबस्ती कायम रहना कार्यपालक अभियंता द्वारा अंकित किया जाना स्पष्ट होता है। उक्त पत्र को आधार बनाकर आरोपित पदाधिकारी द्वारा श्री सत्यनारायण शर्मा के पक्ष में वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिए बन्दोबस्ती करते हुए रू0 1424/– का रसीद काटकर राजस्व जमा कराया गया है। जबकि नहर चाट/भूमि बन्दोबस्ती नियमावली 2010 दिनांक 13.07.2010 से प्रभावी है एवं निलामी की सूचना प्रकाशित करते हुए एक समिति द्वारा लॉटरी के आधार पर 03 वर्षों के लिए बन्दोबस्ती किया जाना है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कार्यपालक अभियंता, खगौल के उक्त गलत संसूचन एवं दोषपूर्ण आदेश का अनुपालन आरोपित पदाधिकारी द्वारा पुनर्विचार हेतु बिना उपस्थापित किए वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की बन्दोबस्ती किया जाना स्पष्टतः बन्दोबस्ती नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रतीत होता है। यद्यपि इनके उक्त कृत्य से सरकारी राजस्व की क्षति का मामला नहीं बनता है।

निष्कर्ष :– उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री अनिल कुमार शर्मा, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमंडल, विक्रम के विरूद्ध बिहार चाट/भूमि बन्दोबस्त नियमावली 2010 के प्रावधानों के विपरीत कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल के निदेशानुसार वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिए श्री सत्यनारायण शर्मा, भू0पू0 सैनिक के पक्ष में बंदोबस्ती किए जाने का आरोप प्रमाणित होता है। हालांकि उनके उक्त कृत्य से सरकारी राजस्व की क्षति होने का मामला परिलक्षित नहीं होता है।

इसी क्रम में श्री अनिल कुमार शर्मा (आई0डी0–3301), तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमंडल, विक्रम दिनांक 30.04.2018 को सेवानिवृत होने के उपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0–1723 दिनांक 08.08.2018 द्वारा सम्परिवर्तित किया गया।

श्री अनिल कुमार शर्मा, तत्का0 अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमंडल, विक्रम सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव के उक्त तकनीकी समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित मानते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया –

" 05% (पाँच प्रतिशत) पेंशन की कटौती पाँच वर्षों के लिए"।

उक्त निर्णित दण्ड पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदनोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का पत्रांक–514 दिनांक 13.05.2022 द्वारा सहमति प्राप्त है।

अतएव श्री अनिल कुमार शर्मा (आई0डी0–3301), तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमंडल, विक्रम सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को निम्न अनुमोदित दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है –

" 05% (पाँच प्रतिशत) पेंशन की कटौती पाँच वर्षों के लिए"।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संतोष कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

---

27 मई 2022

सं0 22/नि0सि0(मुक0)–मोति0–19–04/2020/1209—श्री रंजन प्रसाद समैयार (आई0डी0–3223), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के विरूद्ध विभागीय उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–उद0–002/2014–12, दिनांक 25.03.2015 के आलोक में नेपाल हितकारी योजना–2009 गंडक परियोजना के तहत शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के अन्तर्गत पूर्वी मुख्य नहर के पुनर्स्थापन कार्य में बरती गयी अनियमितता संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–72, दिनांक 18.01.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री समैयार के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–653 दिनांक 13.03.2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री समैयार से द्वितीय कारण पृच्छा (अभ्यावेदन) की माँग की गयी। उक्त आलोक में श्री समैयार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1779 दिनांक 22.08.2019 द्वारा उनके विरूद्ध **"सेवा से बर्खास्तगी"** का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री समैयार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-2695/2020 दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक–14.12.2021 को पारित न्याय निर्णय की कंडिका–03, 04, 05, 06 एवं 07 में निम्नवत आदेश पारित है :–

3. Learned counsel for the State submitted that the enquiring officer has not maintained day to day order-sheet in respect of holding enquiry against the petitioner. Therefore, it is crystal clear that the presenting officer has not presented the case on behalf of the department against the petitioner.

4. In the light of these facts and circumstances, there is a procedural lapses. In other words, there is non-compliance of Rule 17 of Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules 2005. Accordingly, petitioner has made out a prima facie case so as to interfere with the impugned orders. Thus, the impugned orders dated 18.01.2018 and 22.08.2019 are set aside. The matter is remanded to the disciplinary authority/enquiry authority to commence the enquiry from the defective stage and complete the enquiry proceedings within a period of three months from the date of receipt of this order, in accordance with relevant rules.

5. The monetary benefits for the intervening period is required to be examined by the disciplinary authority in the light of Apex Court's decision rendered in case of Managing Director, ECIL V. B. Karunakar reported in (1993) 4 SCC 727 read with Chairman-cum-Managing Director, Coal India Limited & Ors. V. Ananta Saha & Ors. reported in (2011) 5 SCC 142 para 46 to 50 as mentioned in the order.

6. Aforesaid decision shall be taken into consideration for the purpose of extending monetary benefit, if any to the petitioner.

7. With the above observations, the instant petitioner stands disposed of.

नेपाल हितकारी योजना–2009 गंडक परियोजना में मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के अंतर्गत बरती गयी अनियमितता की जाँच तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग द्वारा किये जाने के उपरांत समर्पित किये गये जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर, प्रमंडल वाल्मीकिनगर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालनोपरांत ''सेवा से बर्खास्तगी'' का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध श्री दिलीप कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर CWJC No–14895/2017 में दिनांक–16.03.2021 को पारित आदेश में श्री दिलीप कुमार के विरूद्ध संसूचित दंडादेश को एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण निरस्त करते हुए संपूर्ण मामले को संचालन पदधिकारी को Remand Back किया गया। उक्त मामले में संबंधित संचिका संख्या–22/नि0सि0(मोति)–08–03/2013 (अंश 1)(खंड क) में विधि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया है, जो निम्नवत हैः–

"Bihar State Litigation Policy, clearly suggests of same and similar action if cases are identical in nature and here is the case wherein various other cases of other delinquent are pending consideration before the disciplinary authority, hence in my view it may not be a fit case for L.P.A. and the opportunity granted by the Hon'ble Court be used to fill up the irregularity which have occurred in course of conduct of departmental proceeding so that in future such delinquent may not derive benefits there of.

I opine accordingly."

श्री रंजन प्रसाद समैयार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर CWJC NO–2695/2020 में दिनांक–14.12.2021 को पारित न्याय निर्णय में भी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण उनके विरूद्ध संसूचित दंडादेश एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को निरस्त करते हुए सम्पूर्ण मामले को संचालन पदाधिकारी को Remand Back किया गया है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–1093 दिनांक–20.11.2018 द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची के भाग (घ) में संशोधन करते हुए कंडिका–4 जोड़ी गई है, जिसके अनुसार ऐसे मामलों का अनुपालन जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से न्यायादेश पारित किये गये हों, एवं उनके विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार याचिका दायर करना संभव नहीं हो, तो ऐसे मामलों को वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति के पश्चात मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रशासी विभाग मामले को विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए प्रशासी विभाग प्रभारी मंत्री का आदेश प्राप्त कर कार्यान्वयन आदेश ससमय निर्गत करना सुनिश्चित करेगा।

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–2695/2020 (रंजन प्रसाद समैयार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 14.12.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध एल0पी0ए0 दायर किया जाना संभव नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–1093 दिनांक 20.11.2018 के आलोक में वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श/सहमति के उपरांत उक्त न्यायादेश का अनुपालन किये जाने के संबंध में विधि विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ मामले को रखा गया।

विधि विभाग के ज्ञापांक–4480A दिनांक 17.05.2022 द्वारा संसूचित, बैठक की कार्यवाही में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–2695/2020 (रंजन प्रसाद समैयार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 14.12.2021 को पारित न्यायादेश का अनुपालन करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–1779 दिनांक 22.08.2019 द्वारा श्री समैयार के विरूद्ध **"सेवा से बर्खास्तगी"** के अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की सुनवाई हेतु सम्पूर्ण मामले को संचालन पदाधिकारी को Remand Back किये जाने तथा प्रशासी विभाग को श्री समैयार के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर नियमानुसार Examine कर विचार किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–2695/2020 (रंजन प्रसाद समैयार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–14.12.2021 को पारित न्यायादेश एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है :–

(1) श्री रंजन प्रसाद समैयार, (आई०डी०–3223), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–1779 दिनांक–22.08.2019 द्वारा **"सेवा से बर्खास्तगी"** के अधिरोपित दंड को निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को सुनवाई हेतु, संपूर्ण मामले को संचालन पदाधिकारी को Remand Back किया जाता है।

(2) श्री समैयार के दिनांक–31.03.2021 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरूद्ध CCA Rules 2005 के नियम–17 के तहत संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43(बी) में सम्परिवर्तित किया जाता है।

(3) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9(5) में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री समैयार, **"सेवा से बर्खास्तगी"** की तिथि 22.08.2019 से दिनांक–30.03.2021 (सेवानिवृति की तिथि–31.03.2021 से एक दिन पूर्व) तक निलंबित समझे जायेंगे। उक्त निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण जल संसाधन विभाग, पटना निर्धारित मानते हुए, सेवानिवृति की तिथि दिनांक–31.03.2021 से निलंबन मुक्त किया जाता है।

(4) श्री रंजन प्रसाद समैयार के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में पूर्व से नियुक्त संचालन पदाधिकारी श्री राजेश कुमार, अभियंता प्रमुख (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण), जल संसाधन विभाग, पटना के सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके स्थान पर पदनाम के साथ मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालंदा, बिहारशरीफ को संचालन पदाधिकारी एवं पूर्व के प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण श्री अरूण कुमार सिन्हा (आई0डी0–4019) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

---

31 मई 2022

सं0 22/नि0सि0(मुज0)–06–09/2017–1240––श्री अनिल कुमार प्रसाद (आई0डी0–जे–7926) तत्कालीन कनीय अभियंता, बागमती अवर प्रमंडल, बैरगनियाँ सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता को उनके उक्त अवर प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान दिनांक 13.08.2017 को ललबकिया नदी पर निर्मित बैरगनियाँ रिंग बाँध में मसान नरोत्तम ग्राम में सीपेज के कारण हुए टूटान में जान–माल का व्यापक क्षति, रिंग बाँध के क्षतिग्रस्त होने में बरती गई अनियमितता सहित अन्य आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं०–86, सह ज्ञापांक–1619, दिनांक 14.09.17 द्वारा निलंबित किया गया एवं तदोपरांत विभागीय आदेश सं०–96, सह ज्ञापांक–1712, दिनांक 22.09.17 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में विहित रीति से आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक–1041 दिनांक

11.05.2018 द्वारा लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग की गई। श्री प्रसाद, कनीय अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय आदेश सं0–104 –सह– ज्ञापांक–2087 दिनांक 19.09.2018 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

"कालमान वेतनमान में छः वेतन प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति। भावी वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।"

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री प्रसाद, सहायक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–31 दिनांक 31.10.2018 एव पत्रांक–15 दिनांक 04.02.2019 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया। जिसके समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0–2127 दिनांक 04.10.2019 द्वारा पूर्व में विभागीय आदेश सं0–104 सह ज्ञापांक–2087 दिनांक 19.09.2018 द्वारा संसूचित दण्ड यथा **"कालमान वेतनमान में छः वेतन प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति। भावी वेतन वृद्धि देय नहीं होगी"** को यथावत रखा गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-9279/2020 दायर किया गया जिसमें दिनांक–14.12.2021 को पारित न्यायादेश में कार्यकारी अंश (ऑपरेटिव पार्ट) निम्नवत है :–

Thus impugned order 19.09.2018 (Annexure-10) is set aside. Matter is remanded to the enquiry officer to continue the enquiry proceedings from the defective stage relating to examination of witnesses and cross-examination of witnesses and conclude the enquiry within a period of three months from the date of receipt of this order. In respect of monitory benefits are concerned, the disciplinary authority is hereby directed to take note of decision of the **Hon'ble Apex Court** dicision in the case of **ECIL vs. B. Karunakaran** reported in **(1993) 4 SCC 727 and Chairman-cum-Managing Coal India Ltd. vs. Ananta Saha and Ors.** reported in **(2011) 5 SCC 142.** paragraphs 46 to 50 reads as under :-

the relief sought by the delinquent that the appellants be directed to pay the arrears of back wages from the date of first termination order till date, cannot be entertained and is hereby rejected. In case the appellants choose to hold a fresh enquiry, they are bound to reinstate the delinquent and, in case, he is put under suspension, he shall be entitled to subsistence allowance till the conclusion of the enquiry. All other entitlements would be determined by the disciplinary authority as explained hereinabove after the conclusion of the enquiry. With these observations, the appeal stands disposed of. No costs." The aforesaid decision shall be taken in order to extend any monitory benefits to the petitioner or not? Accordingly, this petition stands allowed.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में मामले की समीक्षा सक्षम प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 14.12.2021 को पारित न्याय निर्णय (Thus impugned order 19.09.2018 (Annexure-10) is set aside. Matter is remanded to the enquiry officer to continue the enquiry proceedings from the defective stage relating to examination of witnesses and cross-examination of witnesses and conclude the enquiry within a period of three months from the date of receipt of this order.) का अनुपालन करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

अतएव सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री अनिल कुमार प्रसाद (आई0डी0–जे 7926), तत्कालीन कनीय अभियंता, बागमती अवर प्रमंडल, बैरगनियाँ सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध **संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन दिनांक 04.05.2018, विभागीय आदेश सं0–104 सह ज्ञापांक–2087 दिनांक 19.09.2018 द्वारा संसूचित दण्डादेश यथा "कालमान वेतनमान में छः वेतन प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति। भावी वेतन वृद्धि देय नहीं होगी" एवं विभागीय अधिसूचना सं0–2127 दिनांक 04.10.2019 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने से संबंधित आदेश को निरस्त** किया जाता है।

2. श्री अनिल कुमार प्रसाद (आई0डी0–जे 7926), तत0 कनीय अभियंता, बागमती प्रमंडल, बैरगनिया सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के दिनांक–30.06.2020 को सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43बी में सम्परिवर्तित किया जाता है।

3. श्री अनिल कुमार प्रसाद (आई0डी0–जे 7926), तत0 कनीय अभियंता, बागमती प्रमंडल, बैरगनिया सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी श्री राजीव कुमार, तत्कालीन संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना के सेवानिवृत हो जाने के कारण श्री प्रसाद, सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अधीक्षण अभियंता, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं संचालन पदाधिकारी के समक्ष विभाग/सरकार का पक्ष रखने हेतु श्री बिपीन कुमार, सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल सं0–2, खगौल, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राशिद कलीम अंसारी, उप–सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

29 जून 2022

सं0 05/स्था0 (DTO)–30/2013 (खण्ड–II)–3839––श्री राम बाबू (बि0प्र0से0), जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 05/स्था0 (DTO)–30/2013 (खण्ड– II))–3840––श्री प्रमोद कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री प्रमोद कुमार जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं0 05/स्था0 (DTO)–30/2013 (खण्ड– II))–3841––श्री राजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 05/स्था0 (DTO)–30/2013 (खण्ड– II))–3842––श्री मनोज कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा (अतिरिक्त प्रभार जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री मनोज कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 05/स्था0 (DTO)–30/2013 (खण्ड– II))–3843––श्री मनोज कुमार रजक, जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 05/स्था0 (DTO)–30/2013 (खण्ड–II))–3844––श्री अनुराग कौशल सिंह (बि0प्र0से0), जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी (अतिरिक्त प्रभार जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 05/स्था0 (DTO)–30/2013 (खण्ड– II))–3845––श्री रवि कुमार (बि0प्र0से0), जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा(अतिरिक्त प्रभार जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार, संयुक्त सचिव।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं

28 जून 2022

सं0 6/सं0–04–02/2021–1796/(वा0कर)––बिहार वित्त सेवा के 60वीं से 62वीं बैच के अधोलिखित पदाधिकारियों को राज्य–कर सहायक आयुक्त (पुनरीक्षित वेतनमान लेवल–09 रू0–53,100–1,67,800) के पद पर उनके नाम के सामने कॉलम–5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है :–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/वर्त्तमान पदस्थापन	गृह जिला	जन्म तिथि/ योगदान की तिथि	सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री सुमन कुमार मिश्रा पाटलिपुत्र अंचल, पटना।	मधुबनी	16.02.1982/ 22.06.2019	22.06.2021
2	श्री रवीश कुमार सिंह बाढ़ अंचल, बाढ़।	धनबाद	25.12.1982/ 22.06.2019	22.06.2021
3	भावना श्री भभुआ अंचल, भभुआ।	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	17.07.1988/ 22.06.2019	22.06.2021
4	देवाश्री भागलपुर अंचल, भागलपुर	रोहतास	13.09.1988/ 22.06.2019	22.06.2021

5	दीपा ज्योति मुख्यालय, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना।	पटना	21.12.1983 / 22.06.2019	22.06.2021
6	सबानाज परवीन बक्सर अंचल, बक्सर	भोजपुर	02.07.1992 / 22.06.2019	22.06.2021
7	रानी कुमारी जमुई अचल, जमुई।	पटना	14.03.1990 / 22.06.2019	22.06.2021

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार सिन्हा, राज्य–कर अपर आयुक्त–सह–संयुक्त सचिव।

————————

28 जून 2022

सं0 6 / वि0पत्रा0–24–13 / 2017–1800––बिहार वित्त सेवा के श्री नवीन कुमार (53वीं से 55वीं बैच), तत्कालीन वाणिज्य–कर पदाधिकारी को उनके द्वारा दिये गये त्याग पत्र से संबंधित आवेदन के आलोक में दिनांक 01.01.2018 से त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है।

2 त्याग पत्र स्वीकृति के पश्चात् बिहार वित्त सेवा में भविष्य में इनका कोई दावा विचारणीय नहीं होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार सिन्हा, राज्य–कर अपर आयुक्त–सह–संयुक्त सचिव।

————————

28 जून 2022

सं0 6 / वि0पत्रा0–24–03 / 2020–1801––बिहार वित्त सेवा के श्री अभिनव आनन्द (60वीं से 62वीं बैच), तत्कालीन राज्य–कर सहायक आयुक्त, को उनके द्वारा पुनः बिहार वित्त सेवा में वापस लिए जाने से संबंधित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके द्वारा पूर्व में दिये गये त्याग पत्र से संबंधित आवेदन के आलोक में दिनांक 05.12.2019 से त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार सिन्हा, राज्य–कर अपर आयुक्त–सह–संयुक्त सचिव।

————————

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

————————

अधिसूचनाएं

21 जून 2022

सं0 भा०व०से०(स्था०)–15 / 2019(खण्ड) 2061 / प०व०––श्री एन. जवाहर बाबू, भा०व०से०, (BH:91), वन संरक्षक (मुख्यालय) कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना जिन्हें प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर–16) में प्रोन्नति दी गयी है, को स्थानांतरित करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्र भूमि, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री एन. जवाहर बाबू के पदस्थापन अवधि तक के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्र भूमि, बिहार, पटना के पद को प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर–16) में उत्क्रमित किया जाता है।

सं0 भा०व०से०(स्था०)–15 / 2019(खण्ड) 2062 / प०व०––श्री सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०, (BH:2001), निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार – मुख्य वन संरक्षक–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार, पटना अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कोष, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 भा०व०से०(स्था०)–15 / 2019(खण्ड) 2063 / प०व०––श्री कमलजीत सिंह, भा०व०से०, (BH:2004), वन संरक्षक, कार्य नियोजना, अनुसंधान एवं विस्तार, पटना अगले आदेश तक वन संरक्षक (मुख्यालय) कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 भा०व०से०(स्था०)–15 / 2019(खण्ड) 2064 / प०व०––श्री सुधीर कुमार, भा०व०से०, (BH:2004), मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन एवं विकास, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार–वन संरक्षक, वन्य प्राणी अंचल, पटना / वन संरक्षक–सह–अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक मुख्य वन संरक्षक–सह–निदेशक, हरियाली मिशन, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

श्री कुमार को वन संरक्षक, वन्य प्राणी अंचल, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है। वे वन संरक्षक–सह–अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे।

सं0 भा०व०से०(स्था०)–15/2019(खण्ड) 2065/प०व०––श्री संजय प्रकाश, भा०व०से०, (BH:2008), वन संरक्षक–सह–अपर निदेशक, हरियाली मिशन, उत्तर बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक, वन्य प्राणी अंचल, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री संजय प्रकाश अगले आदेश तक वन संरक्षक–सह–अपर निदेशक, हरियाली मिशन, उत्तर बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 भा०व०से०(स्था०)–15/2019(खण्ड) 2066/प०व०––श्री अम्बरीश कुमार मल्ल, भा०व०से०, (BH:2015), वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल–1, बेतिया को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा०व०से०(स्था०)–15/2019(खण्ड) 2067/प०व०––श्री अभिषेक कुमार, भा०व०से०, (BH:2016), वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर अतिरिक्त प्रभार :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 भा०व०से०(स्था०)–15/2019(खण्ड) 2068/प०व०––श्री प्रद्युम्न गौरव, भा०व०से०, (BH:2016), वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल–1, बेतिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री गौरव अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 भा०व०से०(स्था०)–15/2019(खण्ड) 2069/प०व०––श्री चंचल प्रकाशम, भा०व०से०, (BH:2017), वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा०व०से०(स्था०)–15/2019(खण्ड) 2070/प०व०––श्री मनीष कुमार वर्मा, भा०व०से०, (BH:2019), संलग्न पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 भा०व०से०(स्था०)–15/2019(खण्ड) 2071/प०व०––श्री राम सुन्दर एम., भा०व०से०, (BH:2019), संलग्न पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री राम सुन्दर एम. अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

———

30 जून 2022

सं0 2/बि०व०से० (स्था०)–03/2018–3118/प०व०ज०प०––श्री सुनील कुमार शरण, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल को स्थानातंरित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया वन प्रमंडल, बेतिया के रिक्त पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 2/बि०व०से० (स्था०)–03/2018–3119/प०व०ज०प०––श्री रमेन्द्र कुमार सिन्हा, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा को अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं0 2/बि०व०से० (स्था०)–03/2018–3120/प०व०ज०प०––सुश्री श्वेता कुमारी, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, पटना वन प्रमंडल, पटना को स्थानातंरित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी वन प्रमंडल, मोतिहारी के रिक्त पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 2/बि०व०से० (स्था०)–03/2018–3121/प०व०ज०प०––सुश्री अमिता राज, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल–2, बेतिया (अतिरिक्त प्रभार–मदनपुर वन प्रक्षेत्र) को स्थानातंरित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर के रिक्त पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सुश्री अमिता राज मदनपुर वन प्रक्षेत्र के प्रभार से मुक्त हो जायेंगी।

सं0 2/बि०व०से० (स्था०)–03/2018–3122/प०व०ज०प०––श्री मिथिलेश कुमार चौधरी, बि०व०से०,(संविदा), उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना (प्रतिनियुक्त –कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना) को स्थानातंरित करते हुए उन्हें उप वन संरक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना के रिक्त पद पर अपने ही नियत मानदेय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

30 जून 2022

सं0 भा०व०से० (आ०)–05/2021–3128/प०व०,ज०प०––श्री कमलजीत सिंह, भा०व०से०, तत्कालीन वन संरक्षक–सह–अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना पदेन सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) सम्प्रति वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, पटना के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या–2704 दिनांक–15.09.2021 द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–8 एवं 10 के तहत आर्टिकल्स ऑफ चार्जेज गठित किया गया तथा उनसे लिखित बचाव बयान की मांग की गयी।

श्री कमलजीत सिंह, भा०व०से० द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान पर सम्यक् विचारोपरांत श्री सिंह, भा०व०से० को भविष्य के लिए ''सचेत'' करते हुए इस आरोप प्रकरण को निष्पादित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

———

30 जून 2022

सं0 भा०व०से० (आ०)–06/2021–3129/प०व०,ज०प०––श्री आलोक कुमार, भा०व०से०, तत्कालीन सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियत्रंण पर्षद, पटना पदेन सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विषेषज्ञ आकलन समिति (SEAC) सम्प्रति विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या–2703 दिनांक–15.09.2021 द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम–8 एवं 10 के तहत आर्टिकल्स ऑफ चार्जेज गठित किया गया तथा उनसे लिखित बचाव बयान की मांग की गयी।

श्री आलोक कुमार, भा०व०से० द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान पर सम्यक् विचारोपरांत श्री कुमार, भा०व०से० को भविष्य के लिए ''सचेत'' करते हुए इस आरोप प्रकरण को निष्पादित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

———

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

———

अधिसूचना

23 जून 2022

सं0 01/दि०स०नि०यो0(सम्बल)–03/2022–500––सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं । वर्तमान में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत संचालित राज्य योजना 'सम्बल' के तहत कृत्रिम अंग एवं उपकरण का वितरण किया जा रहा है।

2. दिव्यांगजनों में भी चलंत (Locomotor) दिव्यांगजनों की मूलभूत आवश्यकता आवागमन है। इसमें एक विशेष श्रेणी छात्र–छात्राओं तथा रोजगारपरक व्यक्तियों की है, जिन्हें पढ़ाई अथवा रोजगार के लिए अत्यधिक दूर जाना पड़ता है तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा रोजगार स्थल तक दूर जाने में हस्त चालित ट्राईसाईकिल से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एवं रोजगार हेतु आवागमन की गुणवत्तापूर्ण सुविधा के लिए इस विशेष श्रेणी के चलंत (Locomotor) दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राईसाईकिल देना समीचीन प्रतीत होता है ।

3. वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के अनुमोदन के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (अधिसूचना संख्या–5722 दिनांक–27.11.2017) की कंडिका– 6.1 अंतर्गत पात्र चलंत (Locomotor) दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान शामिल किया जाता है ।

4. **पात्रताः–**

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत बैट्री चालित ट्राईसाईकिल हेतु निम्न श्रेणी के चलंत (Locomotor) दिव्यांगजन पात्र होंगे :–

(i) (a) चलंत (Locomotor) दिव्यांगजन छात्र/छात्राएँ जिनका आवासन बिहार राज्य स्थित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो

अथवा

(b) वैसे चलंत (Locomotor) दिव्यांगजन जो स्वावलंबन के उद्देश्य से बिहार राज्य में अपना रोजगार करते हों और परिवार के कमाऊ सदस्य हों तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो।

(ii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी एवं बिहार में आवासन अनिवार्य होगा

(iii) आयः–अधिकतम 2 लाख प्रतिवर्ष

(iv) आयुः–18 वर्ष या उससे अधिक

(v) दिव्यांगता (प्रतिशत):– न्यूनतम 60 प्रतिशत चलंत दिव्यांगता

5. आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रियाः–

(i) विहित प्रपत्र में आवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त किए जाएंगे।

(ii) आवेदन के साथ आधार कार्ड, सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का आई0कार्ड (पहचान पत्र), रोजगार / व्यवसाय संबंधित प्रमाण–पत्र, मान्यता प्राप्त दिव्यांगता प्रमाण–पत्र एवं फोटो आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(iii) प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जायेगा जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगाः–

1. जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2. उप विकास आयुक्त	सदस्य
3. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
4. जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
5. रेड क्रॉस सोसायटी, जिला इकाई के प्रतिनिधि	सदस्य
6. सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग	सदस्य सचिव

बजट उपबंध के अधीन विभाग द्वारा जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्क्रीनिंग समिति के द्वारा आवेदन पत्रों में से सुयोग्य दिव्यांगजनों का चयन किया जायेगा तथा प्रथम आओ, प्रथम पाओ (First Come First Serve) के आधार पर क्रमवार सूची तैयारी की जायगी । इसकी सूची जिला स्थित सभी कार्यालयों तथा प्रखंड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर तथा पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जायगी । साथ ही चयनित / अचयनित दिव्यांगजनों को भी इसकी सूचना पोर्टल/ SMS /e-Mail के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी ।

(iv) योजना अंतर्गत त्वरित लाभ प्रदान करने हेतु स्क्रीनिंग समिति की बैठक नियमित रूप से की जायगी ।

(v) स्क्रीनिंग समिति द्वारा चयनित दिव्यांगजनों के लिए बैट्री चालित ट्राईसाईकिल के क्रय हेतु अधियाचना से लेकर वितरण तक की कार्रवाई संबंधित सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा की जाएगी। वितरण का कार्य शिविर के माध्यम से किया जायगा ।

(vi) पात्र आवेदकों को प्रथम आओ, प्रथम पाओ (First Come First Serve) के आधार पर लाभान्वित किया जायगा ।

(vii) इस योजना से वित्तीय वर्ष 2022–23 में 10,000 चलंत दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जायगा ।

(viii) एक बार लाभान्वित होने के पश्चात लाभुक को आगामी 10 वर्ष तक बैट्री चालित ट्राईसाईकिल का लाभ नहीं दिया जायगा ।

(ix) बैट्री चालित ट्राईसाईकिल का क्रय भारत सरकार के उपक्रम एलिमको (ALIMCO) से किया जायगा ।

(x) लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने, कैंप आयोजित करने आदि के लिए 'सम्बल' योजना अंतर्गत 1% राशि का व्यय प्रशासनिक/कार्यालय व्यय पर किया जायगा ।

(xi) इस योजना के व्यवहारिक क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शिका आवश्यकतानुसार माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जायगी ।

6. बजट शीर्ष :–

इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे । जिला के सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यय सहित राशि उपलब्ध करायी जायगी। इसका व्यय भार राज्य योजना 'सम्बल' के सामान्य घटक के लिए विपत्र कोड–51–2235021010119 एवं 'सम्बल' के विशेष घटक के लिए विपत्र कोड–51–2235027890111 के अंतर्गत भारित होगा।

7. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (अधिसूचना संख्या–5722 दिनांक–27.11.2017) में शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रमेश कुमार झा, संयुक्त निदेशक (मु0)।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग(मत्स्य)

अधिसूचना

28 जून 2022

(1). मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती–

सं0 म०बंदो०–07/22–**1232/मत्स्य**––राज्य में कुल 121 मत्स्य बीज प्रक्षेत्र हैं। इनमें से 49 मत्स्यबीज प्रक्षेत्र तीन एकड़ से अधिक तथा 72 मत्स्यबीज प्रक्षेत्र तीन एकड़ से कम जलक्षेत्र के हैं। वर्तमान में लोक जनसहभागिता के आधार पर 06 मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बंदोबस्त है।

3.00 एकड़ से कम जलक्षेत्र के मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों पर गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज यथा फिंगरलिंग, इयरलिंग तथा जीरोसाईज बीज का उत्पादन एवं 3.00 एकड़ से अधिक जलक्षेत्र के मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों पर वार्षिक 8–10 मिलियन फ्राई उत्पादन अथवा 40 मिलियन स्पॉन उत्पादन क्षमता के हैचरी का अधिष्ठापन किया जायेगा ताकि मत्स्य कृषकों को सालों भर उन्नत मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज का संचयन तालाबों/जलकरों में होने से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि होगी। विभागीय प्रबंधन (ब्रूड बैंक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, मत्स्यबीज उत्पादन, प्रजाति विविधता आदि कार्य) में रखे गये मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती लोक जन सहभागिता के आधार पर की जायेगी।

1.दीर्घकालीन बन्दोबस्ती–

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपने जिले में स्थित मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों में से दीर्घकालीन बन्दोबस्ती योग्य मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों को सूचीबद्ध करते हुए दीर्घकालीन बन्दोबस्ती का विज्ञापन प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा। विज्ञापन ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे। विज्ञापन में मत्स्यबीज प्रक्षेत्र का नाम, रकवा, वार्षिक सुरक्षित जमा राशि आदि प्रकाशित किया जायेगा। विज्ञापन द्वारा ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' प्राप्त की जायेगी जिसकी विवरणी प्रपत्र–1 संलग्न है। आवेदन का प्रारूप प्रपत्र–2 एवं ऑफर मनी का प्रारूप प्रपत्र–3 संलग्न है।

2. मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों का सुरक्षित जमा का निर्धारण :–

(क) मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों का सुरक्षित जमा का निर्धारण जिला स्तर पर गठित सुरक्षित जमा निर्धारित समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(1) उप मत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र)– अध्यक्ष

(2) सरकार द्वारा मनोनित मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रतिनिधि– सदस्य

(3) सरकार द्वारा मनोनित मत्स्यपालक के प्रतिनिधि – सदस्य

(4) जिला मत्स्य पदाधिकारी– सदस्य सचिव

(ख) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा प्रक्षेत्र के वार्षिक उत्पादन क्षमता तथा उत्पाद के बाजार बिक्री मुल्य के आधार पर सुरक्षित जमा का निर्धारण किया जाएगा।

(ग) प्रक्षेत्र का वार्षिक सुरक्षित जमा राशि उसके वार्षिक उत्पादन मुल्य के पच्चीस प्रतिशत से कम या तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

तीन सदस्यों से कोरम पूरा माना जाएगा।

किसी सदस्य के त्याग– पत्र अथवा लगातार अनुपस्थित रहे तो सरकार से मनोनयन के प्रत्याशा में जिला पदाधिकारी से मनोनयन किया जा सकेगा।सरकार से आदेश निर्गत होने पर जिला पदाधिकारी के अनुशंसित सदस्य की वैधता समाप्त हो जाएगी।

3. मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की बन्दोबस्ती–

सभी मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों की बन्दोबस्ती अधिसूचना में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा औपबंधिक रूप से की जायेगी। तकनीकी रूप से सुयोग्य आवेदकों में से अधिकतम ऑफर मनी का प्रस्ताव समर्पित करने वाले के साथ सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन उपरांत बन्दोबस्ती की जायेगी। बन्दोबस्ती अवधि प्रत्येक वर्ष 1, अप्रैल से प्रभावी होगी।

4. मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के बन्दोबस्ती की स्वीकृति –

सभी मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों के बन्दोबस्ती की स्वीकृति संबंधित जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र के माध्यम से प्रस्ताव गठित कर निदेशक मत्स्य, बिहार को उपस्थापित की जायेगी। निदेशक मत्स्य द्वारा सरकार के अनुमोदन से बन्दोबस्ती की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

5. मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के बन्दोबस्ती को रद्द करना –

पट्टेदार द्वारा मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों की बन्दोबस्ती के शर्तों का उल्लंघन अथवा मत्स्यबीज प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के उल्लंघन करने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर निदेशक मत्स्य के द्वारा बन्दोबस्ती को रद्द किया जायेगा। बन्दोबस्ती राशि ससमय नहीं जमा करने पर उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र के आदेश से बन्दोबस्ती रद्द की जा सकेगी। बकाया राशि की नोटिस देकर राजस्व की वसूली हेतु निलामवाद दायर किया जायेगा।

राज्य सरकार के आदेश द्वारा विभागीय योजना के संचालन अथवा सरकारी कार्य हेतु मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों की आवश्यकता होने पर, पैंतालीस दिन की पूर्व सूचना देकर की गयी बन्दोबस्ती सरकार के अनुमोदन से रद्द कर नई बंदोबस्ती प्रावधानुसार की जायेगी अथवा विभागीय प्रबंधन में निर्णय अनुसार रखा जायेगा।

6. **बन्दोबस्ती अवधि –**

तीन एकड़ से अधिक तथा तीन एकड़ से कम जलक्षेत्र के पी0पी0पी0 मोड पर बन्दोबस्ती 10 वर्षो के लिए की जाएगी। तीन एकड़ तक के मत्स्यबीज प्रक्षेत्र पर मत्स्यबीज का उत्पादन तथा तीन एकड़ से अधिक रकवा वाले मत्स्यबीज प्रक्षेत्र पर मत्स्यबीज हैचरी का निर्माण कर अथवा पूर्व से निर्मित मत्स्यबीज हैचरी का जीर्णोद्धार कर मछली की ब्रीडिंग करायी जायेगी। मत्स्यबीज हैचरी के निर्माण अथवा जीर्णोद्धार में हुए व्यय का भार वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा। मत्स्यबीज हैचरी का निर्माण चयनित पट्टेदार द्वारा एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप निर्धारित अवधि के अन्दर अपने खर्च से किया जायेगा। बन्दोबस्ती करने के संबंध मे जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा की जायेगी और बन्दोबस्ती की स्वीकृति उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र एवं निदेशक मत्स्य के माध्यम से सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर परवाना निर्गत किया जायेगा।

राज्य स्तर पर लोक जनसहभागिता के आधार पर बन्दोवस्त किए गये मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की समीक्षा, एवं मुल्यांकन निम्नलिखित समिति द्वारा की जाएगीः–

1. निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना– अध्यक्ष
2. संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु०)– सदस्य
3. संयुक्त मत्स्य निदेशक (रा0प0ई0)– सदस्य
4. संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्र० एवं प्र०)– सदस्य
5. संयुक्त मत्स्य निदेशक (अनुसंधान)– सदस्य
6. उप मत्स्य निदेशक (मु०)– सदस्य सचिव
7. उप मत्स्य निदेशक (रा0प0ई0)– सदस्य
8. कनीय अभियन्ता/सहायक अभियंता (मु०)– सदस्य

7. **मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती की शर्ते –**

(i) मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों जिनको लोक जनसहभागिता के आधार पर संचालन हेतु देना है उसकी सूची संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं मत्स्य निदेशालय में उपलब्ध रहेगी। साथ–ही–साथ सभी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की सूची विभाग के वेबसाईट पर विज्ञापन हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।

(ii) तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफा आवेदक द्वारा अलग–अलग समर्पित किया जाएगा। दोनों लिफाफा एक साथ रहने पर ऑफर पर विचार नहीं किया जाएगा। सुरक्षित जमा प्रतिभूति राशि के रूप में संलग्न करना होगा। असफल रहने पर प्रतिभूति राशि वापस कर दी जायेगी।

(iii) तकनीकी रूप से ऑफरदाता के योग्य पाए जाने के बाद ही उनके आर्थिक ऑफर पर विचार किया जाएगा। उच्चतम ऑफरदाता को बन्दोबस्ती हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

(iv) वार्षिक निर्धारित सुरक्षित जमा से कम ऑफर राशि पर बन्दोबस्ती हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(v) इन मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के जिर्णोद्धार एवं मत्स्य बीज उत्पादन की शुरूआत करने हेतु ऑफरदाता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए एवं इसका प्रमाण–पत्र ऑफर के रूप में बचत खाता की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

(vi) पट्टेदार को प्रक्षेत्र का जिर्णोद्धार स्वयं के लागत अथवा बैंक ऋण से करना होगा एवं प्रक्षेत्र की रूपरेखा में बिना अनुमति के परिवर्तन करना प्रतिषेध रहेगा। मत्स्य प्रक्षेत्र पर अतिक्रमण न हो इसकी सारी जबाबदेही बन्दोवस्तदार की होगी।

(vii) पट्टेदार को प्रक्षेत्र की बन्दोवस्ती राशि, बन्दोवस्ती वर्ष के 30 जून तक जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करना अनिर्वाय होगा एवं प्रक्षेत्र पर उपयोग किए गए बिजली बिल का भी भुगतान प्रत्येक माह करना होगा।

(viii) पट्टेदार को ICAR के द्वारा सभी प्रतिबंधित मछलियों के पालन एवं बिक्री पर रोक रहेगी। निम्न मछलियाँ यथा–थाई मांगुर, बिगहैड, रूपचन्दा इत्यादि का प्रजनन, पालन एवं बिक्री करना निषेध रहेगा।

(ix) तीन एकड़ से छोटे मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के पट्टेदारों द्वारा मत्स्यबीज का उत्पादन–

(क) प्रक्षेत्र से 12.50 लाख फ्राई/हे० अथवा 6.25 लाख फिंगरलिंग/ हे० अथवा 1.625 लाख इयरलिंग अथवा जीरो साईज मत्स्यबीज का उत्पादन करना होगा। जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा इस आशय का आदेश करेंगें।

(ख) प्रक्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्पॉन का संचयन रजिस्टर्ड मत्स्य बीज हैचरी अथवा जिला मत्स्य पदाधिकारी चयनित गुणवत्तापूर्ण मत्स्यबीज हैचरी से ही क्रय कर संचय करना होगा।

(x) तीन एकड़ से बड़े मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के पट्टेदारों पर निम्नलिखित तकनीकी शर्ते भी लागु होंगी :–

(क) मत्स्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ हैचरी संचालन की योग्यता वाले ऑफरदाता को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) पट्टेदार को बन्दोवस्ती के उपरान्त एक साल के अन्दर 8–10 मिलियन फ्राई अथवा 40 मिलियन स्पॉन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का मत्स्य हैचरी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल एवं विभागीय अभियन्ता के मार्गदर्शन में तकनीकी पहलुओं, सुगमता एवं परिक्षेत्र के भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्माण करना होगा।

(ग) ब्रीडींग हेतु उपयोग में लाए जाने वाले ब्रुडर्स न्यूनतम 1.5–2.0 Kg प्रति पीस उपयोग कराना होगा। ब्रुडर्स की व्यवस्था प्राकृतिक श्रोतों से जैसे–नदी, मन, चौर इत्यादि से हो सके तो उत्तम होगा ऐसे ब्रुडर्स प्रतिस्थापन की उपलब्धता पट्टेदार स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

(घ) मछलियों के प्रजनन हेतु प्रत्येक वर्ष 30% ब्रुडर्स को प्राकृतिक श्रोत से लाकर प्रतिस्थापन एवं तीन वर्ष के अन्त में शत प्रतिशत ब्रुडर्स के साथ हैचरी का संचालन करना होगा।

(ड़) पट्टेदार के साथ मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की बन्दोबस्ती दस वर्षो के लिए की जाएगी। प्रथमवर्ष पट्टेदार को हैचरी निर्माण हेतु राजस्व राशि की छुट रहेगी एवं इसके बाद नौ वर्षो की बन्दोबस्ती अवधि की राजस्व गणना की जाएगी।

(च) पट्टेदार को एतद् विषयक एकरारनामा जिला मत्स्य पदाधिकारी के साथ करना होगा एवं इसके एकरारनामा एवं निबंधन पर होने वाले व्यय का भार ऑफरदाता को वहन करना होगा

(xi) बन्दोबस्तदार द्वारा किसी कारण बन्दोबस्ती अवधि के बीच में बन्दोबस्ती छोड़े जाने के अनुरोध पर उस वित्तीय वर्ष का निर्धारित राशि जमा कराने के उपरांत बन्दोबस्ती रद्द किया जा सकेगा।

(2). लोक जनसहभागिता के आधार पर बंदोबस्त मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के प्रबंधन हेतु मानक हैचरी संचालन प्रक्रिया(SOP)

राज्य में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधीन कुल 121 मत्स्य बीज प्रक्षेत्र है। सभी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र पूर्व में विभागीय प्रबंधन में रखकर मत्स्य बीज तैयार किये जाते थे। इन प्रक्षेत्र में नर्सरी, रियरिंग एवं संचयन तालाब निर्मित है। जिसका वार्षिक अनुरक्षण विभागीय योजनाओं के तहत किया जाता था। इन प्रक्षेत्रों पर प्रभारी मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के साथ–साथ दो या तीन विभागीय मछुआ पदस्थापित रहते थे। जलक्षेत्र के आधार पर प्रत्येक मत्स्य प्रक्षेत्रों का वार्षिक मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित होता था। इन प्रक्षेत्रों में लक्ष्यानुसार गंगा एवं राज्य के अन्य बहती नदियों से स्पॉन का संग्रहण मत्स्य बीज रियरिंग किया जाता था तथा विभागीय एवं निजी तालाबों में संचयन हेतु अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था का मूल उद्देशय मत्स्य कृषकों को उत्तम गुणवत्ता के मत्स्य बीज उपलब्ध कराना था। बाद के वर्षो में कर्मचारियों की कमी, गंगा नदी में प्रदूषण के कारण स्पॉन उपलब्धता की कमी एवं अन्य कतिपय कारणों से प्रक्षेत्रों पर हैचरी अधिष्ठापन तथा तीन एकड़ से कम जलक्षेत्र वाले मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों को मत्स्य बीज फार्म के रूप में विकसित करने का निर्णय हुआ, ताकि पट्टेदार अपने निधि अथवा बैंक लोन से हैचरी का निर्माण एवं प्रक्षेत्र का अनुरक्षण करते हुए 8 से 10 मिलियन मत्स्य बीज फ्राई अथवा 40 मीलियन स्पॉन का उत्पादन कर स्थानीय मत्स्य कृषकों को उपलब्ध करायें।

1. उद्देश्यः–

(क) मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों पर हैचरी निर्माण करना जिसकी क्षमता 8 से 10 मिलियन मत्स्यबीज फ्राई अथवा 40 मिलियन स्पॉन गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन का।

(ख) मत्स्य कृषकों को प्रेरित प्रजनन के द्वारा उन्नत नस्ल के मत्स्य बीज की सालों भर उपलब्धता।

(ग) तालाबों/जलकरों में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज के संचयन से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

उपर्युक्त उद्देश्य को दृष्टिपथ में लाते हुए निदेशालय स्तर से चयनित मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों का विज्ञापन प्रचारित कर आवेदन आमंत्रित किये गये। निदेशक मत्स्य के अध्यक्षता में अधिसूचना 743 दिनांक 22.04.2010 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

1. निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना– अध्यक्ष
2. संयुक्त मत्स्य निदेशक (रा०प०ई०) –सदस्य
3. उप मत्स्य निदेशक, (मु०)– सदस्य
4. सहायक मत्स्य निदेशक, (योजना)– सदस्य
5. वरीय प्रमंडलीय प्रबंधक– सदस्य
6. सहायक निदेशक अनुसंधान– सदस्य
7. कनीय अभियंता– सदस्य

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार विमर्श उपरांत सरकार का अनुमोदन लेकर दीर्घकालीन बंदोबस्ती की गयी। लेकिन कालांतर में बंदोबस्त प्रक्षेत्रों के विकासोन्मुख अवयवों के समीक्षा से यह दृष्टिगोचर हुआ कि पट्टेदार एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा उद्देश्य के प्रति अभिरूचि का अभाव है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी स्तरों पर दायित्व सुनिश्चित किया जाय ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

हैचरी संचालन के मुख्य मानकः

- हैचरी से 8–10 मिलियन फ्राई का उत्पादन किया जायेगा।
- 8 से 10 मिलियन फ्राई का उत्पादन के लिए लगभग 40 मिलियन स्पॉन का उत्पादन करना।
- नर्सरी तालाब से एक वर्ष में लगभग 6 चक्र में फ्राई का उत्पादन किया जायेगा।
- प्रजनन चक्र में 15 से 20 चक्र हैचरी का ऑपरेशन किया जायेगा।
- लगभग 1500 कि०ग्रा० (750 कि०ग्रा० नर तथा 750 कि०ग्रा० मादा) ब्रूडर की आवश्यकता होगी।

(क) प्रजनक तालाब प्रबंधन

1. प्रति माह उर्वरक का प्रयोग करना है। रासायनिक एवं जैविक उर्वरक के प्रयोग का अन्तराल 15 दिन का होगा। उर्वरक के प्रयोग से 2 दिन पूर्व 10–50 कि०ग्रा०/हेक्टेयर की दर से चूने को तालाब में घोल कर छिड़काव किया जायेगा।

(i) प्रत्येक माह के प्रथम तारीख को मवेशी का गोबर– 1000 कि०ग्रा०/हेक्टेयर की दर से घोल कर छिड़काव किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक माह के पन्द्रह तारीख को रासायनिक खाद के रूप में सिंगल सुपर फॉस्फेट या डी०ए०पी० का प्रयोग 25 कि०ग्रा०/हेक्टेयर की दर से घोल कर छिड़काव किया जायेगा।

2. पानी में प्लैंकटन (प्लवक) की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रति माह प्लैंकटन बढ़ाने वाली दवा (प्रोबायोटिक्स) का प्रयोग 2.5 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से किया जायेगा।

(ख) आहार प्रबंधन

मत्स्य आहार– आहार दर : प्रजनक के वजन का 2% (एफ०सी०आर० 2:1)

- प्रजनक मछलियों के जल्द तैयारी के लिए खनिज मिश्रण 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मत्स्य आहार में मिला कर मछलियों को दिया जायेगा। खनिज तत्व सही रूप से आहार में मिले इसके लिए एम०एफ०ए० (बाइण्डर) का प्रयोग 30 मी०ली० प्रति कि०ग्रा० आहार की दर से किया जायेगा।
- मछलियों के जल्द तैयारी के लिए प्रोबायोटिक्स का प्रयोग 1 से 2 ग्राम प्रति कि०ग्रा० आहार के साथ मिला कर मछलियों को खिलाने में किया जायेगा। प्रोबायोटिक्स सही रूप से आहार में मिले इसके लिए बाइण्डर का प्रयोग 30 मी०ली० प्रति कि०ग्रा० आहार में किया जायेगा।

3. पट्टेदार के दायित्वः–

पट्टेदार को बंदोबस्ती के उपरांत एक साल के अंदर 8–10 मिलियन फ्राई अथवा 40 मिलियन स्पॉन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का मत्स्य हैचरी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल एवं विभागीय अभियंता के मार्गदर्शन में तकनीकी पहलुओं, सुगमता एवं परिक्षेत्र के भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्माण करना होगा। मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में उपलब्ध जलक्षेत्र के आधार पर फ्राई का उत्पादन क्षमता निर्धारित होगा।

i. ब्रीडिंग हेतु उपयोग में लाए जाने वाले ब्रुडर्स कम से कम 1.5–2.0 कि०ग्रा०/ईकाई पीस से अधिक का होना चाहिए।

ii. ब्रूडर्स की व्यवस्था प्राकृतिक श्रोतों से जैसे– नदी, मन, चौर इत्यादि से हो सके तो उत्तम होगा ऐसे ब्रूडर्स की उपलब्धता को पट्टेदार सुनिश्चित करेंगे।

iii मछलियों के प्रजनन हेतु प्रत्येक वर्ष 30% ब्रुडर्स को प्राकृतिक श्रेत से लाकर बदलना एवं तीन वर्ष के अन्त में शत प्रतिशत ब्रुडर्स बदलना अनिर्वाय होगा अर्थात चौथे वर्ष के प्रारम्भ में 100% नए ब्रुडर्स के साथ हैचरी चलाना होगा।

iv. अपने हैचरी से बेचे गये बच्चा से विकसित ब्रुडर्स का उपयोग नहीं करना होगा ताकि आंतरिक प्रजनन की स्थिति न बने तथा उस क्षेत्र के किसानों को उत्तम गुणवता का मत्स्य बीज सुगमता से उपलब्ध हो सके।

v. पट्टेदार को एक पंजी संधारित करना होगा जिसमें प्रजातिवार ब्रुडर्स बदलने के संबंध में प्रमाण के साथ सूचना अंकित हो, साथ ही हैचरी द्वारा बीज उत्पादन एवं उत्पादित मत्स्य बीज किन–किन किसानों को बेचा गया है, उसकी स्पष्ट सूचना अंकित करना अनिवार्य होगा जिसका निरीक्षण संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

vi. पट्टेदार को प्रक्षेत्र का जीर्णोद्धार स्वयं के लागत से करना होगा एवं प्रक्षेत्र की रूप–रेखा में बिना अनुमति के परिवर्तन करना प्रतिषेध रहेगा। मत्स्य प्रक्षेत्र पर अतिक्रमण न हो, इसकी सारी जबावदेही बंदोबस्तदार की होगी।

vii. पट्टेदार को प्रतिबंधित मछलियों यथा–थाई मांगूर, बिगहैड, रूपचन्दा इत्यादि का प्रजनन, पालन एवं बिक्री करना निषेध होगा।

viii. पट्टेदार को प्रक्षेत्र की बंदोबस्ती राशि बंदोबस्ती वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा एवं प्रक्षेत्र पर उपयोग किए गए बिजली बिल का भुगतान प्रत्येक माह करना होगा। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता होने पर कारण पृच्छा कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

ix. पट्टेदार को बंदोबस्त किए गए प्रक्षेत्र को किसी भी स्थिति में किसी दुसरे के साथ किराए पर देना निषेध होगा।

x. पट्टेदार को किसान स्कूल के तर्ज पर बंदोबस्त प्रक्षेत्र पर स्थानीय 25 किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी ताकि उस क्षेत्र के किसान मत्स्य पालन के कार्य सीख सके जिससे उनके समाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

xi. पट्टेदार के द्वारा मत्स्य बीज बिक्री, हैचरी संचालन एवं ब्रुड स्टॉक का वार्षिक ब्यौरा आदि जिला मत्स्य पदाधिकारी को देना अनिवार्य होगा। सभी पंजी/अभिलेख जिला मत्स्य पदाधिकारी से अभिप्रमाणित होगा।

(क) स्पॉन/फ्राई बिक्री पंजी हेतु निर्धारित प्रपत्र–4 संलग्न है।

(ख) हैचरी संचालन हेतु निर्धारित प्रपत्र–5 संलग्न है।

(ग) प्रजनक से संबंधित विवरण का निर्धारित प्रपत्र–6 संलग्न है।

(घ) आगंतुकों से संबंधित पंजी का प्रपत्र–7 संलग्न है।

(ङ.) मानक संचालन प्रकिया के अनुरूप उपयोग की गई सामग्रीयों की पंजी का संधारण का प्रपत्र–8 संलग्न है।

(ञ) जिला मत्स्य पदाधिकारी/उप मत्स्य निदेशक द्वारा मत्स्यबीज प्रक्षेत्र के जाँच का प्रपत्र–9 संलग्न है। पट्टेदार के द्वारा प्रपत्र 4 से 8 तरह के प्रपत्रों का विधिवत संधारण अलग–अलग पंजियों में किया जायेगा।

4. जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के दायित्वः–

i. प्रत्येक पक्ष में मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का निरक्षण करेंगे ताकि प्रक्षेत्र का जिस उद्देश्य से बंदोबस्ती की गई है उसका अनुपालन सुनिश्चित हो सके। पायी गयी कमियों को चिन्हित कर सुधार हेतु पट्टेदार को नोटिस करेंगे।

ii. मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का अतिक्रमण, रख रखाव एवं सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे।

iii. ब्रीडिंग के समय सुनिश्चित करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण ब्रुड का चयन करके ब्रिडिंग कराया जा रहा है। साथ ही प्रत्येग वर्ष पट्टेदार द्वारा 30% ब्रुडर्स को बदलने की व्यवस्था को सुनिश्चित कराऐंगे।

iv. पट्टेदार द्वारा संधारित पंजी का निरीक्षण, हैचरी द्वारा बीज उत्पादन एवं उत्पादित मत्स्य बीज किन–किन किसानों को बेचा गया है उसकी जाँच करेंगे।

v. प्रत्येक तीन माह पर पट्टेदार द्वारा किए जा रहे कार्य का आँकलन कर अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र के माध्यम से निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना को भेजेंगे।

vi. क्षेत्रीय प्रभारी को प्रक्षेत्र का प्रभारी नामित करेंगे। प्रभारी का दायित्व होगा कि प्रक्षेत्र के हर क्रिया कलाप की जानकारी प्रतिवेदन के माध्यम से जिला मत्स्य पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

5. उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र के दायित्वः–

उप मत्स्य निदेशक कम से कम एक बार प्रत्येक तिमाही में बंदोबस्ती प्रक्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे एवं पट्टेदार द्वारा एकरारनामा के शर्तो का अनुपालन सूनिश्चित करायेंगे। अन्यथा पट्टेदार से कारण पृच्छा कर अपने मंतव्य के साथ निदेशालय एवं विभाग को अवगत करायेंगे।

6. निदेशालय के स्तर पर–

जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र द्वारा मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के कार्यो का आँकलन कर भेजे गए प्रतिवेदनों की निदेशालय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक (मु०) के द्वारा समीक्षा की जाएगी। साथ ही वैसे पट्टेदार जो एकरारनामा की शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं कर रहें हैं, उनसे संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं पट्टेदार से कारण पृच्छा कर अधिसूचना 747, दिनांक 22.04.2010 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी। समिति की अनुशंसा के अनुसार सरकार का समुचित आदेश प्राप्त किया जायेगा। उप मत्स्य निदेशक (मु०) मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

बंदोबस्त मत्स्य बीज प्रक्षेत्र पर संचालित होने वाले कार्यो का वार्षिक कैलेंडर

जनवरी

- ❖ तालाब में पानी की स्तर की जाँच तथा कम पाए जाने पर नया पानी अथवा मछलियों की निकासी।
- ❖ जाल चलाकर मछलियों में बीमारी की जाँच तथा बीमार पाये जाने पर दवा इत्यादि का प्रयोग।
- ❖ तालाब में कॉमन कार्प मछलियों के प्रजनकों को नियमित भोजन।
- ❖ मत्स्य उत्पादन संबंधित नई संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
- ❖ बादल वाले रातों में मछलियों का ऑक्सीजन की कमी से संभावित मृत्यु रोकने के लिए तालाब में जाल चलाना/चूना डालना।

फरवरी

- ❖ कॉमन कार्प के प्रजनन हेतु हापा, जलकुम्भी, हार्मोन की सुई, काकाबान इत्यादि की व्यवस्था करना।
- ❖ प्रजनको की जाँच करते रहना तथा प्रतिदिन सुबह तालाब में उनके गतिविधि का ध्यान रखना।
- ❖ सदाबहार तालाब में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन करना।
- ❖ कॉमन कार्प के स्पॉन के लिए नर्सरी की व्यवस्था करना।
- ❖ मौसमी तालाबों से मछलियों की निकासी/शिकारमाही और यदि सम्भव हो तो निकाली गई मछलियों को सदाबहार तालाब में संचयन।

मार्च

- ❖ कॉमन कार्प मछली का प्रजनन तथा स्पॉन की बिक्री एवं संचयन।
- ❖ कॉमन कार्प मछली के बीज की बिक्री/सदाबहार तालाबों में संचयन।
- ❖ तालाब के जलस्तर की जाँच तथा कम होने पर नया पानी भरना।
- ❖ रोहू, कतला इत्यादि मछलियों के प्रजनकों के रख–रखाव पर विशेष ध्यान देना।
- ❖ मछलियों की संख्या ज्यादा होने पर बड़ी मछलियों की बिक्री करना।
- ❖ भारतीय मेजर कार्प प्रजनको की उचित देखभाल।

अप्रैल

- ❖ तालाब के जलस्तर की जाँच।
- ❖ बाँध, इनलेट, आउटलेट इत्यादि की जाँच तथा मरम्मति कराना।
- ❖ प्रजनन हेतु प्रजनकों को भरपूर पूरक आहार उपलब्ध कराना।
- ❖ तालाब में पानी कम होने पर मछलियों की निकासी।
- ❖ मत्स्य बीज उत्पादन हेतु नर्सरी तालाबों का चुनाव तथा उनकी सफाई।
- ❖ मछलियों को नियमित भोजन।
- ❖ सदाबहार तालाबों में कॉमन कार्प के बीज का संचयन/अंगुलिकाओं का उत्पादन।

मई

- ❖ नर्सरी तालाबों की तैयारी, पानी सुखाने का कार्य, जोताई आदि।
- ❖ तालाब के जलस्तर की जाँच तथा पानी कम होने पर नया पानी भरना अथवा मछलियों की निकासी।
- ❖ पानी बहुत कम होने पर भोजन एवं खाद के प्रयोग पर रोक।
- ❖ ऑक्सीजन इत्यादि की जाँच।
- ❖ प्रजनन का प्रयास।
- ❖ बीज वितरण हेतु आवश्यक सामग्रियों की तैयारी।
- ❖ सदाबहार नर्सरी तालाबों में महुआ की खल्ली का प्रयोग कर उसकी सफाई।

जून

- ❖ नदी अथवा हैचरियों से स्पॉन प्राप्त कर नर्सरी तालाबों में संचयन।
- ❖ मत्स्य बीज का उत्पादन एवं बीज वितरण।
- ❖ संचयन से पूर्व तालाब की तैयारी जैसे जलीय घासों की निकासी, कीड़ों तथा जंगली मछलियों का उन्मूलन, चूना तथा खाद इत्यादि का प्रयोग।
- ❖ इनलेट, आउटलेट पर जाल लगाकर पानी के आवागमन पर नियंत्रण।
- ❖ हैचरी की मरम्मति तथा आवश्यक तैयारी।
- ❖ मत्स्य प्रजनकों का उचित देखभाल।
- ❖ माह के अन्त में भारतीय/विदेशी कार्प प्रजनन प्रारम्भ।
- ❖ संचयन तालाबों में उन्नत किस्म के मत्स्य बीज का संचयन।
- ❖ हैचरी/हापा ब्रिडिंग के प्रबंधन एवं संचालन के लिए विशेषज्ञों से समय–समय पर सलाह लें।
- ❖ मत्स्य पालक जीरा संचय से पूर्व तालाब की तैयारी जून के प्रथम सप्ताह में पूरा कर लें। तालाब की तैयारी इस प्रकार करें सुखाना, जोतना चूना 150 किलोग्राम/हेक्टेयर गोबर–5000 किलोग्राम/हेक्टेयर, S.S.Sp-250 किलोग्राम/हेक्टेयर यूरिया, 125 किलोग्राम/हेक्टेयर। इस के बाद 1 फीट पानी भर कर एक सप्ताह छोड़ दें, इसके बाद 4 फीट पानी भर एक सप्ताह छोड़ दें। इस के बाद तब मत्स्य बीज संचय करें।
- ❖ मत्स्य बीज संचय का कार्य जून के अंतिम सप्ताह में करें।
- ❖ मत्स्य बीज संचय के एक दिन बाद से पूरक आहार–बीज के कुल वजन का 5 प्रतिशत की दर से दें।
- ❖ मत्स्य बीज परिवहन का कार्य हमेशा रात में या 10 बजे पूर्वाहन से पहले करें।

जुलाई

- ❖ हैचरी से स्पॉन प्राप्त कर नर्सरी तालाबों में संचयन।
- ❖ मत्स्य बीज का उत्पादन एवं बीज वितरण।
- ❖ संचयन से पूर्व तालाब की तैयारी जैसे जलीय घासों की निकासी, कीड़ो तथा जंगली मछलियों का उन्मूलन, चूना तथा खाद इत्यादि का प्रयोग।
- ❖ इनलेट, आउटलेट पर जाल लगाकर पानी के आवागमन पर नियंत्रण।
- ❖ हैचरी की मरम्मति तथा आवश्यक तैयारी।
- ❖ मत्स्य प्रजनकों का उचित देखभाल।
- ❖ माह के अन्त में भारतीय/विदेशी कार्प प्रजनन प्रारम्भ।
- ❖ संचयन तालाबों में उन्नत किस्म के मत्स्य बीज का संचयन।

अगस्त

- ❖ मत्स्य स्पॉन का नर्सरी में संचयन एवं मत्स्य बीज उत्पादन।
- ❖ अत्याधिक बारिश की स्थिति में बाँध का बचाव।
- ❖ बीज वितरण तथा संचयन कार्य।
- ❖ मत्स्य बीज के पूरक आहार में वृद्धि।
- ❖ रोहू, कतला, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प के प्रजनन का प्रयास।

❖ कॉमन कार्प मछली के प्रजनन का प्रयास करना।

सितम्बर

❖ मछलियों को नियमित भोजन।
❖ बाँध की मजबूती का ध्यान।
❖ चूना इत्यादि का प्रयोग।
❖ संचयन तालाब में संचित मत्स्य बीज की जाँच तथा आवश्यक हो तो पुनः संचयन।
❖ कॉमन कार्प मछली के प्रजनन का प्रयास करना।

अक्टुबर

❖ तापक्रम गिरने के कारण मछलियों के भोजन में कमी।
❖ कॉमन कार्प मछली के नर तथा मादा प्रजनकों को अलग–अलग तालाबों में रखना।
❖ बीमारी की जाँच तथा रोकथाम के उपाय।
❖ ऑक्सीजन, प्लैंक्टॉन आदि को स्थिति पर ध्यान रखना।

नवम्बर

❖ तापक्रम गिरने के कारण मछलियों के भोजन में कमी।
❖ कॉमन कार्प मछली के नर तथा मादा प्रजनकों को अलग–अलग तालाबों में रखना।
❖ बीमारी की जाँच तथा रोकथाम के उपाय।
❖ ऑक्सीजन, प्लैंक्टॉन आदि की स्थिति पर ध्यान रखना।

दिसम्बर

❖ तालाब के पानी के स्तर की जाँच तथा कम पाए जाने नया पानी भरना अथवा मछलियों की निकासी।
❖ जाल चलाकर मछलियों में बीमारी की जाँच तथा बीमार पाये जाने पर दवा इत्यादि का प्रयोग।
❖ तालाब में कॉमन कार्प मछलियों के प्रजनकों को नियमित भोजन।
❖ तालाब में चुने का प्रयोग।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अपर सचिव।

प्रपत्र–1

पी०पी०पी० मोड पर मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों की बन्दोबस्ती हेतु "अभिरूचि की अभिव्यक्ति" का विज्ञापन प्रारूप

मत्स्य प्रक्षेत्र अन्तर्गत निम्नांकित सरकारी मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों पर पूर्व निर्मित मत्स्य बीज हैचरी को लोक–जन–सहभागिता के तहत चलाने के लिए इच्छुक पक्ष से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। हैचरियों का जिलावार विस्तृत विवरण निम्न हैः–

क्र0	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्र का रकबा (एकड़ में)	वार्षिक सुरक्षित जमा (रु में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

1. चयनित पक्ष को हैचरी "As is Where is" के रूप में बन्दोबस्त किया जाएगा। हैचरी का अनुरक्षण चयनित निजी पक्ष के द्वारा अपने संसाधनों से किया जाएगा।
2. इच्छुक पक्ष के द्वारा दो अलग–अलग ऑफर समर्पित करना होगा। एक ऑफर..... में उनकी तकनीकी योग्यता तथा दूसरे ऑफर में उनका वार्षिक वित्तीय ऑफर..... होगा। आवेदक के द्वारा वार्षिक वित्तीय ऑफर राशि का बैंक ड्राफ्ट जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकरी के पदनाम से एवं निर्धारित अवधि के अन्दर निबंधित डाक से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। निर्धारित अवधि में बैंक ड्राफ्ट प्राप्त नहीं होने पर उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. एक व्यक्ति द्वारा एक ही प्रक्षेत्र की बन्दोबस्ती हेतु आवेदन दिया जायेगा। यदि एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक प्रक्षेत्रों की बन्दोबस्ती हेतु आवेदन समर्पित किया गया तो उनके किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. चयनित निजी पक्ष को दस वर्षों के लिए हैचरी के निर्माण एवं हैचरी को चलाने के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी के साथ निबंधित एकरारनामा करना होगा।
5. चयनित पक्ष को इसे एक मॉडल हैचरी के रूप में चलाना होगा। चयनित आवेदक को हैचरी एवं मत्स्यबीज प्रक्षेत्र का संचालन विभाग द्वारा अधिसूचित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप करना अनिर्वाय होगा।
6. वैसे पक्ष जिन्हें मात्स्यिकी में स्नातक की योग्यता होगी, मात्स्यिकी एवं हैचरी चलाने का अनुभव होगा उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा जिनका वित्तीय ऑफर सर्वाधिक होगा उनका चयन किया जाएगा।

7. निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी ऑफरों पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
8. सभी ऑफर ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।
9. सभी तकनीकी ऑफर दिनांक ..... को अपराह्न..... बजे खोले जाएँगे।
10. विस्तृत विवरणी विभागीय वेबसाईट **http://ahd.bih.nic.in/**पर देखी जा सकती है।

प्रपत्र – 2

जिला मत्स्य कार्यालय, ...

पी0पी0पी0मोड पर बंदोबस्ती हेतु आवेदन–पत्र

1. आवेदक का नामः–
2. आवेदक के पिता का नामः–
3. आवेदक का पताः–
   (क) ग्राम : (ख) पंचायत का नाम :
   (ग) प्रखंड का नाम : (घ) डाक घरः
   (ड़) थाना : (च) जिला : (छ) मो० न० :

मुखिया द्वारा अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ

4. आवेदक का निजी विवरण :–
   (क) जन्म तिथि :
   (ख) शिक्षा :
   (ग) वर्त्तमान पेशा :
   (घ) वार्षिक आय :
5. मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का नाम /ग्राम/पंचायत/ प्रखंड का नाम जहाँ प्रक्षेत्र स्थित है :–
   (क) नाम : (ख) प्रखंड :
   (ग) ग्राम : (घ) पंचायत :
6. मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का विवरण :–
   (क) खाता नं0 : (ख) खेसरा नं0 :
   (ग) रकवा/ कुल जलक्षेत्र : (घ) मौसमी/बहुवर्षीय :
7. आवेदक के पक्ष में बंदोबस्ती संबंधित दावे,(जो लागू न हो उसे काट दें) :–
   (क) क्या आवेदक मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य हैं– हाँ/ना
   (ख) क्या आवेदक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ? यदि हाँ तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें– हाँ/ना
   (ग) क्या आवेदक, तालाब वाले पंचायत के मूल निवासी है? यदि हाँ, तो अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण–पत्र (तालाब से निवास स्थान की दूरी सहित) स्पष्ट करें।
   (घ) क्या आवेदक पूर्व में इस मत्स्यबीज प्रक्षेत्र के पट्टेदार थे– हाँ/ना
8. मत्स्यबीज प्रक्षेत्र की दीर्घकालीन बंदोबस्ती के पश्चात् सुधार/विकास हेतु बैंक से कर्ज/स्वलागत से चाहते हैं? हाँ या नहीं?
11. आवेदक किसी अन्य कार्य हेतु बैंक/प्रखंड से जो ऋण लिए हैं, उसका पूरा सत्यापित विवरण समर्पित करें।
12. क्या आवेदक किस्त खिलाफी तो नहीं कर रहें हैं?
13. क्या आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे के की सूची में दर्ज है? यदि हाँ, तो प्रखंड स्तरीय सूची की क्रम संख्या (सप्रमाण) का उल्लेख करें।
14. बंदोबस्ती संबंध में अन्य दावा यदि हो

आवेदक का हस्ताक्षर

जाँच पत्र

मैने उपरोक्त वर्णित तथ्यों/साक्ष्यों की जाँच किया है और मेरी जानकारी के अनुसार सभी सूचनाएँ सही पायी गई है। नीचे दी गई सूचनाओं को त्रुटिपूर्ण अथवा भिन्न पाया गया है, जिसमें विवरणी निम्नवत हैः–

1.
2.
3.

क्षेत्रीय पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रपत्र –3

ऑफर मनी प्रारुप

.....मत्स्यबीज प्रक्षेत्र की बन्दोबस्ती प्राप्त करने हेतु मैं.....पिता– ग्रम एवं पोस्ट–..... ....., जिला..... पी0पी0पी0 मोड से बन्दोबस्ती हेतु .....राशि वार्षिक का ऑफर मनी प्रस्तावित करता हुँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र–4

स्पॉन फ्राई बिक्री पंजी हेतु निर्धारित प्रपत्र

क्रं0	विक्रेता का नाम एवं पुरा पत्ता	मोबाईल नं0	बिक्री की तिथि	बिक्री किये स्पॉन की संख्या लाख में	बिक्री किये फ्राई के संख्या हजार/ किलो ग्राम में	मछली की प्रजाति	प्राप्त राशि रूपये मे	विक्रेता का हस्ताक्षर

प्रपत्र–5

हैचरी संचालन हेतु निर्धारित प्रपत्र

ब्रिडिंग सेट संख्या	तिथि	कॉमन कार्प संख्या/ वजन कि.ग्रा. में		रोहू संख्या/ वजन कि. ग्रा. में		नैनी संख्या/ वजन कि.ग्रा. में		कतला संख्या/ वजन कि.ग्रा. में		ग्रास कार्प संख्या/ वजन कि.ग्रा. में		सिलवर कार्प संख्या/ वजन कि.ग्रा. में		मिश्रित प्रजाति संख्या/ वजन कि.ग्रा. में		कुल अंश का उत्पादन मिटर में।	कुल कार्प का उत्पादन लाख में।
ब्रिडिग सेट 1		नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा		
ब्रिडिग सेट 1																	
ब्रिडिग सेट 2																	
ब्रिडिग सेट 3																	
ब्रिडिग सेट 4																	
ब्रिडिग सेट 5																	
ब्रिडिग सेट 6																	
ब्रिडिग सेट 7																	
ब्रिडिग सेट 8																	
ब्रिडिग सेट 9																	
ब्रिडिग सेट 10																	
ब्रिडिग सेट 11																	
ब्रिडिग सेट 12																	
ब्रिडिग सेट 13																	
ब्रिडिग सेट 14																	
ब्रिडिग सेट 15																	
ब्रिडिग सेट 16																	
ब्रिडिग सेट 17																	
योग																	

प्रपत्र–6
प्रजनक प्रतिस्थापन प्रपत्र

प्रजाति	वजन/संख्या		प्राप्ति का श्रोत	प्रजनक की आयु	प्रजनक का स्वास्थ्य	प्रजनक का कई प्रजनक हॉ/नहीं	प्रजनक का वार्षिक प्रतिस्थापन में (30% वार्षिक आवश्यक)		प्रतिस्थापन की तिथि	अभियुक्ति
	वजन (किलो ग्राम में)	संख्या					वजन (किलो ग्राम में)	संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कतला										
रोहू										
नैनी										
ग्रास कार्प										
कॉमन कार्प										
सिलवर कार्प										
मिश्रित प्रजाति										
अन्य प्रजाति										
अन्य प्रजाति										
योग										

प्रपत्र–7
आगंतुको से संबंधित पंजी का प्रपत्र

क्रं0सं0	आगंतुक का नाम एवं पुरा पता	मोबाईल नं0	तिथि	आगमन का समय	प्रपत्र– 1 के निरिक्षण से संबंधित टिप्पणी	प्रस्थान का समय	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र–8

मानक संचालन प्रकिया के अनुरूप उपयोग की गई सामग्रीयों का पंजी संधारण

1	2	3	4	5
क्रं0सं0	माह	तारीख	उपयोग की गई सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा

प्रपत्र– 9

जिला मत्स्य पदाधिकारी/उप मत्स्य निदेशक द्वारा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के जाँच का प्रपत्रः–

1. पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम–
2. मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के भ्रमण की तिथि एवं समय–
3. मत्स्य बीज उत्पादन(स्पॉन एवं) के संबंध में जाँच विवरणी–
4. ब्रुडर्स को प्राकृतिक श्रोत से बदलने से संबंधित संक्षिप्त जाँच विवरणी–
5. उत्पादित मत्स्य बीज को किसानों से की गयी बिक्री से संबंधित जाँच प्रतिवेदन–
6. जिला मत्स्य पदाधिकारी/उप मत्स्य निदेशक द्वारा पूर्व में पट्टेदार को दिये गये निदेश के अनुपालन संबंधित विवरण–
7. अन्यान(मंतव्य)

हस्ताक्षर

पदनाम

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 16—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

सं0 753––मैं, **सौम्या**, पिता – चक्रधारी शरण सिंह, पता–बी 95, पुलिस कॉलोनी, अनीसाबाद, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना शपथ पत्र संख्या 1334 दिनांक 14.06.22 के द्वारा घोषणा करती हूँ कि अब सौम्या सिंह के नाम से जानी जाउँगी ।

सौम्या।

No. 753––I, **SAUMYA** Daughter of Chakradhari Sharan Singh, Resident of B-95, Police Colony, Anisabad, District – Patna declare that I have changed my name for the purpose of adding a Surname to be known as Saumya Singh vide affidavit no. 1334 dated 14.06.2022.

SAUMYA.

No. 757––I, RICHA Kumari D/o Shiv K. Sharma R/o Nasib Chak Bagicha, PS-Mehdiganj, Patna City-800008 by affidavit no. 589 dated 21.06.22 shall be known as Richa Sharma for all purpose.

RICHA Kumari**.**

No. 770---I, Deepika Singh W/O Brajesh Singh R/O Vill+PO-Sandha, PS-Muffasil Tana, Distt.-Saran, Bihar declare vide Affidavit No. 8024/27.05.2022 that I have changed my Name as DEEPIKA SHARMA Now I shall be known as DEEPIKA SHARMA.

Deepika Singh.

सं0 771––मैं, पूर्णिमा सिन्हा, पिता–डॉ राम उदय सिन्हा एवं पति–प्रभाकर कुमार सिन्हा, निवासी C1-132 न्यू कॉलोनी, रोड नं0 5, संजय सिनेमा रोड, थाना ब्रह्मपूरा, पोस्ट MIT, जिला मुजफ्फरपुर–3 आधार नं0 780874957114 घोषणा करती हूं कि शादी के बाद मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी से पूर्णिमा सिन्हा परिवर्तित हो गया है और भविष्य में मैं पूर्णिमा सिन्हा के नाम से ही जानी और पहचानी जाऊँगी। (सन्दर्भ–शपथ पत्र सं0 15231 दिनांक 16.04.2022)।

पूर्णिमा सिन्हा।

No. 771––I, Purnima Sinha, D/o Dr. Ram Udaya Sinha & W/o Prabhakar Kumar Sinha, R/o C1-132, New Colony, Road No. 5, Sanjay Cinema Road, P.S.-Brahmpura, P.O. MIT, Distt. Muzaffarpur-3 Adhaar No. 780874957114 do hereby declare that after my marriage my earlier name Purnima Kumari to have been changed to Purnima Sinha vide affidavit No. 15231 dated 16.04.2022. I shall now onward be known and identified as Purnima Sinha.

Purnima Sinha.

सं0 772––मैं किरण देवी, पति–श्री रमा शंकर सिंह, निवासी ग्राम+पो0–सेवथा, थाना–सहार, जिला–भोजपुर (बिहार) 802201 शपथ पत्र संख्या–67/06.06.2022 द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र अनिश कुमार के मैट्रिक एवं इंटर के मूल प्रमाण पत्र में मेरा नाम गलती से किरण सिंह अंकित हो गया है जो गलत है सही नाम किरण देवी है।

किरण देवी।

सं0 773––मै सुमिता कुमारी पत्नी–ऋषि अजातशत्रु, अघोरेश्वर आर्शीवाद, आनंद विहार, पटना–14 शपथ–पत्र सं. 2534 दिनांक 15.06.2022 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि सुमिता सिंह एवं सुमिता कुमारी दोनो नाम मेरा ही है और अब से मैं सुमिता कुमारी के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी।

सुमिता कुमारी।

No. 773––I, SUMITA Kumari W/o Rishi Ajat Shatru R/o Aghoreshwar Ashirwad Anand Vihar, Patna-14 Declare that Affidavit no. 2534 dated-15.06.2022 in my son's Aryan Anshul educational certificate my name is written as Sumita Singh. Sumita Kumari and Sumita Singh both are same and one person from now on I shall be known as Sumita Kumari onwards.

SUMITA Kumari.

सं0 774––मैं, पियूष आर्यन, पिता–प्रमोद कुमार सिंह, पता–MIG-177, लोहिया नगर, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना, पिन–800020, शपथ पत्र सं.–02 दिनांक 02/11/2021 द्वारा आज से पियुष आर्यन के बदले पियुष आर्यन सिंह के नाम जाना जाऊंगा।

पियूष आर्यन।

No. 774––I, Piyush Aryan R/o MIG.-177, Kankarbagh, Patna-20 declare that changed my name to Piyush Aryan Singh vide Affidavit. No.-02 Dated 02.11.2021.

Piyush Aryan.

सं0 775––मैं, प्रमोद कुमार सिंह, पुत्र स्व. श्याम बिहारी सिंह, पता–MIG-177, लोहिया नगर, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना, पिन–800020, शपथ पत्र सं.–01 दिनांक 02/11/2021 द्वारा घोषित करता हूं कि मेरा पुत्र आयुष आर्यन का नाम अब आयुष आर्यन सिंह के नाम से जाना जायेगा।

प्रमोद कुमार सिंह।

No. 775––I, Pramod Kumar Singh R/o MIG-177, Kankarbagh, Patna-20 declare that my son's name has to be changed from Ayush Aryan to Ayush Aryan Singh vide affidavit No.-01 Dated.02.11.2021.

Pramod Kumar Singh.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 16—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in